राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या: 11

शुक्रवार,

17 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री पब्बाराम।

फलौदी में पटवार मण्डलों का सृजन

180. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें सम्मिलित राजस्व गांवों का पटवार मण्डल अलग-अलग है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामवार पटवार मण्डलों का नवसृजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें सम्मिलित राजस्व गांवों का पटवार मण्डल अलग-अलग हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बजट सत्र 2023-24 के दौरान दिनांक 10.02.2023 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण (क्रम संख्या 177) में संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत किसानों एवं काश्तकारों की सुविधा हेतु समस्त 11 हजार 307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय की भी स्थापना करने की दृष्टि से 1035 नये पटवार मण्डलों का सृजन किये जाने की घोषणा की है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, पंचायतों का गठन हुए साढ़े तीन साल हो गए है। मेरी सात पंचायतों के, जब से पटवार मण्डलों में रेवेन्यू गांव विभक्त हैं, कोई कहीं पर जाता है, ऐसी परिस्थिति में, अभी यह स्टेंडिंग आर्डर है कि हर पंचायत में पटवार मण्डल होगा। पहले से ही है। अभी मुख्य मंत्री जी ने और घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि आप पटवार मण्डलों को पंचायत स्तर तक कब तक करवा कर उसके अन्दर काम शुरू करवा देंगे? मेरा यह निवेदन है। एक और प्रश्न पूछूंगा।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मांग सही है। जितनी ग्राम पंचायतें होती हैं, उनमें पटवार मण्डल होना चाहिए। अभी जो परिसीमन हुआ, तो रेवेन्यू इकाई को हमेशा मानकर किया जाता है, लेकिन पंचायतों का परिसीमन रेवेन्यू इकाई को नहीं माना गया, इसलिए यह डिफरेंस आ गया। आपके एरिया में सात ऐसी पंचायतें हैं, जिनमें अलग-अलग गांव, पंचायत एक है और पटवार मण्डल दूसरा है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की, 11,307 पंचायतों में पटवार मण्डल की कमी थी, अभी हमें पटवार मण्डल 1033 मिले, उससे माननीय सदस्य की समस्या का हल हो जाएगा। पक्का हल हो जाएगा। इनके यहां डिफरेंस है अलग-अलग, 99 ग्राम पंचायतें और 700 पटवार मण्डल, पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पटवारी के पास 4-4 पंचायतों का चार्ज है। जब व्यक्ति वहां जाता है तो कहता है कि मैं दूसरी पंचायत में हूं, पटवार मण्डल में हूं। वहां जाता है तो वहां महीने-महीने भर पटवारी नहीं मिलता और वह घनचक्कर होकर घूमता है। कहीं न कहीं प्रशासनिक रूप से उसका दिन तय कर लिया जाए कि उस दिन उस पटवार मण्डल में रहेगा, तब तो वह वहां पर मिलेगा और काम हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या पहले थी, अभी वह समस्या नहीं है। अभी पटवारी, आपने मंजूर किया है, उसके बाद भर्ती होकर ट्रेनिंग करके आ गये हैं, पटवारी लगा दिये गये हैं। पूरे राजस्थान में 10 हजार 949 पटवारी अभी काम कर रहे हैं। 01 हजार

(श्री रामलाल जाट)

400 पद खाली हैं, जिसमें अभी 600 ट्रेनिंग में हैं, वेटिंग लिस्ट के। कोई पद हमारे पास विशेष खाली नहीं है। हम 90-95 प्रतिशत पद भर चुके हैं। फिर भी माननीय सदस्य की कोई मांग होगी, मैं देखकर पूर्ति कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र शक्तावत।

उदयपुर में डी.एम.एफ.टी. के लम्बित प्रस्ताव

181. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डी.एम.एफ.टी. में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं?

(2) जिला उदयपुर में डी.एम.एफ.टी. के कौन-कौनसे प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन हैं? उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(3) के अनुसार उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में पेयजल, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं विशेष योग्यजन कल्याण, कौशल विकास व स्वच्छता से संबंधित कार्य तथा अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं, सिंचाई, ऊर्जा एवं जलग्रहण विकास व खनन क्षेत्रों के पर्यावरण सुधार के कार्य संबंधित ज़िले की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(2) जिला उदयपुर में डी.एम.एफ.टी. के 774 प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन हैं। इनमें से 09 प्रस्तावों पर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। शेष 765 प्रस्ताव वित्त विभाग के पत्र दिनांक 23.05.2022 के तहत पूर्वानुमति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	प्रस्ताव का विवरण	प्रस्तावों की संख्या
1	गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी प्रस्ताव	168
2	गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित प्रस्ताव	597
योग		765

(श्री रामलाल जाट)

वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। क्रम संख्या 1 व 2 में उल्लेखित प्रस्तावों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से स्वीकृतियां जारी होने के बाद कितना पैसा शेष बचा है? साथ ही विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में डी.एम.एफ.टी. से जारी स्वीकृतियों के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें, ताकि अतिशीघ्र टी.एस. और एफ.एस. जारी हो जाए और स्वीकृत कार्य प्रारम्भ हो सकें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डी.एम.एफ.टी. फण्ड में 802 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से अभी कुछ स्वीकृतियां निकलीं। वल्लभनगर की भी निकली, कुछ और भी निकलीं। अभी बैलेंस 556.50 करोड़ रुपये है। उदयपुर डी.एम.एफ.टी. के 700 कार्यों के लिए 193 करोड़ व्यय हो चुके हैं। वल्लभनगर के 96 विकास कार्य 23 करोड़ के हैं, वह हम बहुत जल्दी निकाल देंगे। वित्त विभाग से हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। विशेष रोक नहीं है, लेकिन एक सिस्टम से काम होने के लिए दे रखा है, उच्च प्राथमिकता के काम तथा कुछ अन्य प्राथमिकता के काम। उच्च प्राथमिकता में 60 परसेंट कार्य करने पड़ते हैं और अन्य प्राथमिकता में 40 परसेंट कार्य करने पड़ते हैं। इनका अनबैलेंस होने की वजह से एक चेकलिस्ट रखते हैं। जिला कलेक्टर की मीटिंग हुई। 16 के बाद, पहले राउण्ड की काउंसलिंग की मीटिंग कोविड की वजह से बहुत कम हुई। माननीय सदस्या की जो बात आई है, हमने पूरा दिखवा लिया है। बहुत जल्दी इनके काम शुरू हो जाएंगे।

प्रश्न संख्या 182

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। शंकर सिंह रावत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री पानाचंद मेघवाल।

पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि

183. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(1) सरकार द्वारा वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्य को कितना वेतन व भत्ता दिया जाता है?

(2) उक्त के वेतन, भत्ते व मानदेय में विगत चार वर्षों में कोई वृद्धि की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त के मानदेय व भत्तों में वृद्धि करने का विचार रखती है?

(3) प्रदेश में उक्त को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कितना बजट आबंटित किया जाता है? क्या सरकार उक्त को विकास कार्यों के लिए विशेष बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) वर्तमान में सरपंच को विभागीय अधिसूचना 623 दिनांक 07.04.2022 के अनुसार मानदेय रु. 4,800 प्रति माह देय है। (संलग्न-परिशिष्ट "अ")

वर्तमान में वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्य को निम्नानुसार बैठक भत्ता देय है:- (संलग्न-परिशिष्ट "अ")

सदस्य, जिला परिषद्- रु. 600 बैठक भत्ता (प्रति बैठक)

सदस्य, पंचायत समिति- रु. 420 बैठक भत्ता (प्रति बैठक)

वार्ड पंच- रु. 240 बैठक भत्ता (प्रति बैठक)

(2) जी हां। मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के क्रम में विभागीय अधिसूचना 623 दिनांक 07.04.2022 जारी की जा चुकी है। (संलग्न-परिशिष्ट "अ")

इसके साथ ही वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में उक्त मानदेय एवं भत्तों में 15 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गयी है। (संलग्न- परिशिष्ट "ब")

(3) वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद् सदस्यों एवं सरपंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पृथक से कोई बजट आबंटित किये जाने का प्रावधान नहीं है। वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद् सदस्यों एवं सरपंच को विकास कार्यों के लिए विशेष बजट देने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): 02 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछना है?

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): जिला परिषद् के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, जिनका कार्यक्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, नगरपालिका क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है? पंचायत है या जिला परिषद्? पढ़कर आओ। बैठो आप।

प्रश्न संख्या 184

अगला प्रश्न। रामलाल मीणा। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न, श्री नरेन्द्र नागर।

छबड़ा में बेबी मिक्स की बकाया राशि का भुगतान

185. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) (श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) के स्थान पर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में माह जनवरी, 2019 से माह नवम्बर, 2022 तक बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को समय पर मानदेय दिये जाने के लिए बजट दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब एवं कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के बेबी मिक्स की राशि बकाया है? यदि हां, तो क्यों व अब उक्त बकाया राशि कब तक दे दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबडा में मांग अनुसार वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को समय पर मानदेय भुगतान हेतु बजट दिया गया है। दिये गये बजट का विवरण निम्नानुसार है:-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाऊं टेबल?

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**वित्तीय वर्ष**	**कुल आबंटित राशि (रुपयों में)**
1	छबड़ा	जनवरी 2019 से मार्च 2019	67 लाख 98 हजार
2		2019-20	2 करोड़ 24 लाख 87 हजार
3		2020-21	3 करोड़ 21 लाख 8 हजार
4		2021-22	2 करोड़ 78 लाख
5		2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)	1 करोड़ 78 लाख 66 हजार
1	छीपा बड़ौद	जनवरी 2019 से मार्च 2019	80 लाख 70 हजार
2		2019-20	2 करोड़ 17 लाख 48 हजार
3		2020-21	3 करोड़ 48 लाख 11 हजार
4		2021-22	3 करोड़ 20 लाख 15 हजार
5		2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)	2 करोड़ 10 लाख 38 हजार

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्ष 2019-20 के पूरक पोषाहार के बकाया दायित्वों में परियोजना छबड़ा में राशि रुपये 3 करोड़ 24 लाख 71 हजार 832 एवं परियोजना छीपाबड़ौद में राशि रुपये 2 करोड़ 54 लाख भुगतान हेतु शेष थे। उक्त बकाया राशि हेतु बजट आबंटन कर दिया गया है एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2018-19 का भुगतान करने के बाद भी बेबी मिक्स और गर्म पोषाहार की कितनी राशि बकाया है?

(श्री नरेन्द्र नागर)

यह भी बताने का कष्ट करें कि आबंटित बजट की शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बजट की राशि, छबड़ा के लिए पूछ रहे हैं?

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): हां, छबड़ा की।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): छबड़ा के अन्दर लगभग 4 करोड़ बकाया है। 2020 के अन्दर कोरोना आने के बाद, एस.एच.जी. का कार्य बंद हुआ। उस समय हमारे प्रदेश की बकाया राशि लगभग 350 करोड़ थी। आज दिनांक तक, हम इस राशि को एस.एच.जी. को भुगतान करते-करते 80 करोड़ पर लेकर आये हैं। छबड़ा, बारां ज़िले के अन्दर भुगतान शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। लगभग 4 से 5 करोड़ के करीब है।

मानदेय कर्मचारियों का भुगतान दिसम्बर तक पूरा हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च की केन्द्रांश की राशि अभी हमारे पास मानदेय कर्मचारियों की नहीं आई है। जैसे ही हमारे पास केन्द्रांश की राशि आ जाएगी, हम मानदेय कर्मचारियों का इन तीन माह का, जनवरी और फरवरी का भुगतान भी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में घटिया सड़कों के निर्माण की शिकायतें

186. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बजट 2021-22 में राशि पांच करोड़ के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण हेतु किन-किन संवेदकों को कार्यादेश दिए गए तथा उक्त में से कितनी सड़कों के निर्माण पूर्ण व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संवेदकों के विरुद्ध घटिया निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी संवेदक फर्मों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सड़कों की स्वीकृति के उपरांत भी कुछ सड़कें निरस्त की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? क्या सरकार उक्त

(श्रीमती संतोष)

निरस्त की गई सड़कों को पुनः स्वीकृत कर उनके स्थान पर उसी बजट से दूसरी सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट घोषणा राशि 5.00 करोड़ रुपये के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के 6 मिसिंग लिंक सड़कों तथा 6 सड़क नवीनीकरण के रुपये 492.80 लाख के कार्य स्वीकृत हुए। उक्त कार्य जिन संवेदक फर्मों को आबंटित किये गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। स्वीकृत 12 कार्यों में से 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मिसिंग लिंक योजना में स्वीकृत 6 कार्यों में से एक कार्य की स्वीकृति जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप निरस्त की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मिसिंग लिंक योजना में स्वीकृत एक सड़क, ''डीडी माइनर पुल संख्या 29 आरडी का मु. नं. 145/12 से 145/20 ग्राम 4 डीडी (सी) किमी. 0/0 से 1/0'' की स्वीकृति निरस्त की जाकर उसके स्थान पर ''रोटरी चौक से उपखण्ड कार्यालय नयी मण्डी घड़साना तक किमी. 0/0 से 0/750 तक सड़क सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण'' कार्य की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं, एक ही विभाग सड़क की स्वीकृति के अलग-अलग मापदंड अपना रहा है, इसका क्या कारण है? घटिया निर्माण की शिकायतें होने के बावजूद भी विभाग की ओर से उत्तर दिया गया है, जी नहीं। मेरे पास जो कापी है, वह मैं आपको टेबल भी कर सकती हूं कि गंगाजलजी मील के खेत तक की जो 10 एलएम की रोड है, उसकी शिकायत हुई है। ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें घटिया निर्माण की शिकायतें होने के बाद भी विभाग उसको छिपा रहा है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में पांच करोड़ रुपये के प्रावधान तो

(श्रीमती संतोष)

थे लेकिन जो व्यय है वह अभी तक 03 करोड़ 44 लाख रुपये का ही किया गया है, तो सरकार पूरे पैसे खर्च करना चाहती है या नहीं? यह मैं पूछना चाहती हूं।

जो प्रस्ताव में मैंने सड़क दी थी, उसमें अगर पैसे बचे हैं तो फिर उसको क्यों कैंसिल किया गया, इसका क्या कारण है? आप क्या उसको प्रस्ताव में लेंगे? जो घटिया निर्माण है, क्या उसकी जांच करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। बात रिपीट नहीं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात रखी है कि मापदंड क्या हैं? मापदंड क्या अलग-अलग है, वह आप मुझे बता दें कि कौनसे मापदंड की आप अलग-अलग की बात कर रहे हैं? नम्बर एक तो आपका यह जवाब हो गया।

नम्बर दो, आप यह कह रहे हो कि जो सड़क आपने निरस्त की है, तो आपका ही प्रपोजल हमारे पास आया है, आपने ही उस सड़क को प्रपोज किया है और आपने ही निरस्त करने का प्रपोजल हमारे सम्बन्धित अधिकारी को दिया है और वह नहीं बन पा रही है। इसके लिए हमने 492.80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। उसके अलावा हमने सात लाख रुपये और बढ़ाकर आपकी जो दूसरी सड़क का आपने प्रपोजल दिया था, उसकी हमने स्वीकृति भी कर दी, निविदा भी कर दी। 15 मार्च, 2023 को निविदा भी खुल जायेगी। आपके ही दोनों प्रपोजल हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका प्रश्न यह है कि आपके पास शिकायतें प्राप्त हुई या नहीं हुई? यह बता दीजिए।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारे पास अभी तक माननीय सदस्य की न तो कोई शिकायत प्राप्त हुई है और आप शिकायत देंगे तो हम जांच करवाकर अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको कह दिया है। आप बैठें। आपको पूरा अधिकार है, आप शिकायत लिखकर दें। अभी तक इनके पास शिकायत नहीं है। आप शिकायत करेंगे तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): शिकायत आयी है।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दें, उस पर कार्यवाही होगी। आपने लिखा है? आपके पास है तो आप इनको बतायें, ये उसके खिलाफ कार्यवाही कराएंगे।

अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर में छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थी

187. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला नागौर में सभी छात्रवृत्तियों का समय पर भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रवृत्तियों में से कितने विद्यार्थियों की राशि शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बी.पी.एल., अन्त्योदय, कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। कतिपय विद्यार्थियों की आवेदन पत्रों में कमियां, समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, शिक्षण संस्थाओं के मान्यता/ सम्बद्धता नहीं होना, बैंक खाते का त्रुटिपूर्ण विवरण होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग के अनुरूप बजट प्राप्त नहीं होकर नोशनल एलोकेशन के आधार पर बजट प्राप्त होने के कारण उक्त योजनान्तर्गत सभी पात्र विद्यार्थियों को भुगतान नहीं हो पाता है।

(2) नागौर जिले में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत गत दो वर्षों (2020-21 एवं 2021-22) के लम्बित आवेदन पत्रों का संख्यात्मक, वर्गवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत बी.पी.एल., अंत्योदय, कमजोर वर्ग की अलग से पात्रता निर्धारित नहीं है। उक्त योजनाओं में नियमानुसार निर्धारित आय सीमा वाले सभी नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण 17 प्राथमिकताएं (जिसमें बी.पी.एल. भी सम्मलित है) निर्धारित कर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार की मांग के अनुरूप भारत सरकार से बजट प्राप्त नहीं होकर नोशनल एलोकेशन के आधार पर बजट प्राप्त होने के कारण उक्तानुसार बजट सीमा में ही बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि दिया जाना सम्भव हो पाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने मुझे उत्तर दिया है, उसके अन्दर यह लिखा है कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो वर्ष 2020-21 में 460 थी, उसकी संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1663 लम्बित हो गयी। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो फिगर है, आप प्रश्न पूछें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आप यह बताने का कष्ट करें कि जिन विद्यार्थियों के आवेदनों में त्रुटि और अन्य कमियों के कारण लगे आक्षेपों की वजह से छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं, उनमें सुधार हेतु क्या सरकार ब्लाक स्तर पर विशेष कैम्प लगवाकर त्रुटि/कमी को पूरा करवायेगी ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण बतायें।

श्री अध्यक्ष: विवरण में तो दूसरा प्रश्न आ जायेगा फिर तो।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): दूसरा ही पूछ लेता हूं मैं तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विवरण मांग रहे हैं तो दूसरा आ जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं इसका बता देता हूं, फिर दूसरे का भी बता दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह काफी जायज है और मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने इस पोर्टल के अन्दर, पहले दो-दो, तीन-तीन साल तक भुगतान नहीं होता था, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपने जो 460 लम्बित प्रकरण बताये हैं, 11,575 आवेदन आये थे, जिसमें से 10,879 का भुगतान कर दिया, उसके बाद मात्र 460 प्रकरण लम्बित हैं। वे भी छात्रों के फार्म में कोई न कोई कमी या उनसे गलती रही है। वह सुधार कर दिया है और अब बहुत ही जल्दी इनका भी भुगतान हो जायेगा, कोई भी पेंडिंग नहीं रहेगा। बहुत ही जल्दी हम इनका भुगतान कर देंगे।

अगले साल में 13,947 आये थे, जिसमें से 10,696 का भुगतान कर दिया और मात्र 1,663 लम्बित हैं, वे भी प्रक्रियाधीन हैं और जैसे ही ये संशोधन जो देते हैं, त्रुटि कोई भी हुई है तो वह बिल हमने बनाकर ट्रेजरी में भेज दिये हैं और बहुत जल्दी ही इनका भी भुगतान हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अच्छी चीज पूरे सदन के माननीय सदस्यों को भी बताना चाहूंगा कि पहले जो दो-दो, तीन-तीन साल तक बच्चे परेशान होते थे, आज हमने एक पोर्टल इस प्रकार का बना दिया कि बच्चा उसमें सिर्फ अपना आवेदन करेगा और जनाधार कार्ड से लिंक करेगा। उसको न तो जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, न मूल निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, न आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, न अंक तालिका लगाने की जरूरत है। ये सारी सुविधाएं हमने बच्चों के लिए की हैं। सारे पोर्टल ऑनलाइन जोड़ दिये हैं। वहां से यह सारी सूचनाएं हम ले लेते हैं और बच्चों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है।

दूसरा, जो राजकीय शिक्षण संस्थान हैं, उनके अन्दर जो बच्चे पहले साल ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उनका हम डाटा अपलोड कर देते हैं। संस्थान ने यस किया तो हम भी यस कर देते हैं तो उन बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसी प्रकार से जैसे सैकण्ड ईयर है, थर्ड ईयर है या कुछ में फोर्थ ईयर भी बच्चों का रहता है तो उसमें भी उनको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, केवल पिछले साल की वह अंक तालिका लगा दें और उसी के आधार पर हम उनका अगले साल भी सैंक्शन कर देते हैं।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक बढ़िया काम यह भी हम कर रहे हैं कि बच्चों का यह सिस्टम था कि बच्चे पहले अपनी फीस भरते थे और उसके बाद उनकी छात्रवृत्ति आती थी, यानी बच्चों को अपने पास से यह पैसे लगाने पड़ते थे। अब हमने यह सिस्टम कर दिया है कि फ्रीशिप कार्ड हमने जारी कर दिया है। बच्चा एप्लाई करेगा और एक प्रकार से सरकार यह गारंटी दे देती है संस्थान को कि इनकी फीस हम भर देंगे इनकी स्कालरशिप से और आप इनसे फीस मत लीजिए तो बच्चे फीस नहीं भरते हैं और डाइरेक्ट हम उनकी छात्रवृत्ति उनको जमा करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सारा जवाब आ गया।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पोर्टल की बात मंत्रीजी कह रहे हैं तो बहुत-बहुत आपको धन्यवाद, लेकिन यह पोर्टल आपने अपडेट कर दिया तो फिर यह जो आपने मुझे जानकारी दी है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में तीन-तीन, चार-चार गुना पैंडेंसी क्यों हो गयी, उसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: वह 13 हजार का फिगर दिया है। अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मैं बता दूं?

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, हो गया। अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सराड़ा उप खण्ड (उदयपुर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

188. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप-खण्ड सराड़ा में बजट 2020-21 में कृषि उपज मण्डी की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सलूम्बर, सराड़ा में मण्डी हेतु भूमि व राशि आबंटित कर निर्माण-कार्य कराया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी मण्डी में कितनी-कितनी राशि से निर्माण कार्य कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमृतलाल मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मण्डियों में वर्षाकाल में फसलों को भीगने से बचाने हेतु किये गये प्रबन्ध अपर्याप्त हैं? यदि हां, तो इस हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है तथा किस-किस मण्डी में कितनी-कितनी राशि से उक्त कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप खण्ड सराड़ा में कृषि उपज मण्डी की घोषणा बजट वर्ष 2020-21 में नहीं की गई थी। यद्यपि, बजट वर्ष 2020-21 में गौण मण्डी सलूम्बर को स्वतंत्र मण्डी बनाने की घोषणा की है।

(2) गौण मण्डी यार्ड सलूम्बर की स्थापना के लिए जिला कलेक्टर, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.11.1982 द्वारा 20 बीघा भूमि का आबंटन किया गया तथा आबंटन राशि 200/- रुपये जरिये रसीद संख्या 10935/35 दिनांक 25.11.1982 को जमा कर मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया।

वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक राशि 280.93 लाख रुपये के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है एवं इन पर राशि 232.86 लाख रुपये व्यय कर निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वर्ष 2013 के पश्चात् गौण मण्डी यार्ड सलूम्बर में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

सराड़ा में मण्डी गौण मण्डी अधिसूचित नहीं है। उप खण्ड सराड़ा में चावण्ड गौण मण्डी अधिसूचित है जिसके लिए भूमि आबंटित नहीं होने के कारण कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है।

(3) जी नहीं। गौण मण्डी यार्ड सलूम्बर में वर्षाकाल में किसानों की फ़सलों को भीगने से बचाने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध है, जिसके तहत एक 200X40 वर्गफीट का कवर्ड प्लेटफार्म निर्मित है। फ़सलों को भीगने से बचाने हेतु कृषि उपज मण्डी समितियों को तिरपाल क्रय हेतु समय-समय पर राशि आबंटित की जाती है। वर्ष 2019-20 में विशिष्ट श्रेणी की प्रत्येक मण्डी समिति को राशि 2.00 लाख रु. का तिरपाल क्रय हेतु आबंटन किया गया था।

चावण्ड गौण मण्डी हेतु भूमि आबंटित नहीं होने के कारण यार्ड निर्मित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 2020-21 में गौण मण्डी सलूम्बर को स्वतंत्र मण्डी करने के लिए कहा। मैं यह पूछना चाहूंगा कि कितनी प्रगतिहुई? सरकार ने गौण मण्डी सलूम्बर को स्वतंत्र मण्डी बनाने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई? बताने की कृपा करें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, अभी तक चारों बजट सत्र में 88 मण्डियां घोषित हुई थीं। बीच में तीन कानून आये थे, उसके कारण कुछ गति स्लो हो गई थी। चरणबद्ध तरीके से हम इन मण्डियों को घोषित करेंगे। प्रथम चरण में 50 मण्डियों पर काम चल रहा है। सैकण्ड में 38 पर चल रहा है। आमदनी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, सैकण्ड फेज में इनकी मण्डी के ऊपर प्रक्रिया जारी है। जैसे ही सैकण्ड फेज में मण्डियां घोषित करेंगे, आपकी मण्डी घोषित कर देंगे।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चावण्ड गौण मण्डी हेतु कब तक भूमि आबंटित हो जाएगी? यह बताने की कृपा करे। 2020-21 का मामला है, चार साल हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वह चावण्ड के लिए पूछ रहे हैं।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): चावण्ड गौण मण्डी 1979 में घोषित हुई थी।

श्री अध्यक्ष: जमीन के बारे में पूछ रहे हैं। जमीन कब अलाट हो जाएगी?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अभी हमने इसके लिए प्रक्रिया चालू की है। हम कोशिश करेंगे, अगर भूमि उपलब्ध हुई तो शीघ्र अलाटमेंट करा देंगे।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): चार साल हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। चार हो गये, जमीन उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेंगे?

प्रश्न संख्या 189

अगला प्रश्न। रामनिवास गावड़िया

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में शुभ शक्ति योजना के लाभार्थी

190. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में लागू संनिर्माण श्रमिक योजना में क्या-क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत बेटी के विवाहोपरांत राशि देने की योजना है? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक विधान सभा क्षेत्र चौमूं में उक्त योजना से कितनों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अंतर्गत श्रमिक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, श्रम के स्थान पर): (1) प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को देय कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शुभ शक्ति योजना में विवाह उपरांत आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

शुभ शक्ति योजना पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहिता बेटियों तथा महिला हिताधिकारियों को उद्यमिता से सशक्त व आत्म निर्भर बनाने तथा विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है। महिला हिताधिकारी/पुत्री स्वयं के विवेक से सहायता राशि विवाह हेतु उपयोग में भी ले सकती है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र चौमूं में उक्त योजना में लाभान्वित किये गये आवेदकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। कोरोना काल में मण्डल कोष का प्रयोग अपेक्षाकृत अन्य संवेदनशील योजनाओं यथा सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति एवं शिक्षा सहायता योजनाओं में किया गया। इसके अतिरिक्त कोष का प्रयोग राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रमिकों को तात्कालिक सहायता दिये जाने में किया गया।

(3) शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है। छात्रवृत्ति हेतु मंडल द्वारा संचालित

(श्री टीकाराम जूली)

'निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना' के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक चौमूं विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को दी गई छात्रवृत्ति का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के आपके पास 215 आवेदन आये, 170 को आपने रिजेक्ट किया, 45 को आपने पेंडिंग रखा और अब तक एक भी लाभार्थी को कोई लाभ नहीं दिया।

मंत्री महोदय, आप मुझे एक तो यह बता दीजिए कि 170 आपने रिजेक्ट किये, ये किस आधार पर किये? एक आपने कहा कि कोरोना काल में मण्डल कोष का उपयोग अपेक्षाकृत अन्य संवेदनशील योजनाओं यथा सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोविड से मरने वालों में कितनों की आपने सहायता की? सिलिकोसिस से मरने वाले कितने व्यक्तियों की आपने सहायता की?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड की सहायता श्रम विभाग से नहीं है, वह समाज कल्याण से दी जाती है। सिलिकोसिस का प्रकरण है, सिलिकोसिस के दो लोगों के आवेदन आये हैं और हमने दो अप्रूव्ड कर दिये हैं।

माननीय सदस्य की भावना है, मैं कहना चाहूंगा कि शुभ शक्ति का भुगतान आपके समय से ही नहीं हो पाया। सेस इकट्ठा होता है, कोविड की वजह से सेस भी इकट्ठा नहीं हो पाया। इसके अन्दर न तो भारत सरकार मदद करती है, न राज्य सरकार मदद करती है। सारा सेस आता है उसी से इसका भुगतान होता है।

मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पिछली बजट घोषणा की कि इसके जो भी भुगतान पेंडिंग हैं, उसका बजट राज्य सरकार देगी और उनको भुगतान कराया जाएगा। इसी प्रक्रिया में अभी कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है जो इन सारे प्रकरणों का निस्तारण कर रही है, जांच कर रही है। हमने अभी भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी जो पुरानी पेंडेंसी है, हम उसको कर देंगे।

मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य, अगर आप

(श्री टीकाराम जूली)

पुराने में देखेंगे तो पहले भी 750 प्रकरण शुभ शक्ति के थे, तब तो आप खुद बांट रहे थे। चुनाव का समय था। उस समय भी 750 में से मात्र 90 प्रकरण ही इन्होंने स्वीकृत किये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मंत्री महोदय, मैं कोई बात कर रहा हूं, प्रमाणिकता के साथ कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के किशनमानपुरा की रहने वाली संतोष है, इसके पति का नाम बंशी है। दस दिन पहले इसके पास फोन गया कि मैं श्रम विभाग से बोल रहा हूं, हरमाड़ा सर्वे के लिए आया हुआ हूं। आप मुझे 5 हजार रुपये दे दोगे, तो मैं अप्रूव कर दूंगा। आपने आवेदन कर रखा है क्या? मैंने इसकी सूचना आपके कमिश्नर को भी दी। जिस मोबाइल नम्बर से उसने कॉल किया, वह नम्बर भी दिए। उसकी वॉइस रिकार्डिंग थी, वह भी मैंने भेजी। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करना चाहोगे? नम्बर एक।

दूसरा, आपने परिशिष्ट-3 पर कहा कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में, आपने 2020-21 में 148 स्वीकृत किये और 2021-22 में आपने 67 किये, टोटल 215 किये। मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपके पास कितने आवेदन आये और आपने कितनों को रिजेक्ट किया?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में 1,012 आवेदन आये और 2021-22 में 648 आवेदन आये, जिसमें से 148 और 67 सैंक्शन किये हैं।

दूसरी बात, आपने कहा है कि इस प्रकार का फोन आया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, वह अगर सही फोन है, सच्चाई में है तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी और कार्यवाही भी की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी जो ई-मित्र इसके अन्दर संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी हमने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। हमारे अधिकारी-कर्मचारी भी कोई इसके अंदर संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी हमने कार्यवाही की थी। मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर, माननीय मुख्य मंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त का अभियान चल रहा है, ए.सी.डी. लगातार कार्यवाही कर रही है। इस प्रकार के कोई भी प्रकरण हों तो आप निश्चित तौर पर हमें सूचना दें, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या 191

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में चरागाह भूमि पर काबिज परिवारों को भूमि आबंटन

192. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के किस-किस ग्राम में चरागाह भूमि पर कितने परिवार कब से निवास कर रहे हैं? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त परिवारों को भूमि का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास की चरागाह भूमि पर वर्षों से काबिज परिवारों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जिले में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 3,360 परिवार चरागाह भूमि पर बसे हुए हैं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा पालिसी दिनांक 27.12.2021 जारी की गयी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चरागाह भूमि के संबंध में मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) नम्बर 326/2022 उनवान श्री राजस्थान गौ सेवा समिति बनाम राज. सरकार से प्रभावित होने के कारण चरागाह भूमि का नियमन नहीं किया जा रहा है।

(3) राजकीय भूमि पर बसे हुए व्यक्तियों को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी भूमि में सैटअपार्ट किये जाने का प्रावधान है।

उक्त नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 326/2022 उनवान श्री राजस्थान गौसेवा समिति बनाम राजस्थान, यह रिट दायर की गयी है। मैं पूछना चाहूंगी कि गौसेवा समिति द्वारा रिट दायर की गई है तो गायों के लिए जो मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में नन्दी गौशाला खोलने की घोषणा की है, तो क्या उनके लिए भी जमीन चरागाह भूमि से अलाट की जायेगी?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, गौसेवा समिति ने जब रिट दायर की, उसमें साफ लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का जो 2011 का जगमाल सिंह जी का फैसला, फिर गुलाब कोठारी जी का 2017 का फैसला, उसमें पब्लिक लार्जेस्ट इंटरेस्ट दिया। गौशाला को एक संस्था मानी गयी। को-आपरेटिव और इन तमाम चीजों को एक संस्था मानी गयी। पब्लिक लार्जेस्ट इंटरेस्ट में सरकार के जो काम-काज हैं, उन्हीं को इसमें माना। गौशाला इन चीजों में नहीं आती है। हमने काफी कोशिश की है। ए.जी. साहब से भी राय ली है और ए.ए.जी. साहब से भी ली है। यह रिट अभी पेंडिंग है, कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी उन्होंने इसको रोका हुआ है। रीको भी रोक दिया, सब रोक दिया, फिर वापस राय ली। अभी ए.ए.जी. ने जो राय दी, उसमें हार्डली रखते हुए आप चरागाह भूमि को क्षतिपूर्ति करते हुए दे सकते हो, लेकिन पब्लिक लार्जेस्ट इंटरेस्ट भी है, गौशाला को उसमें देना है, जो नहीं दे सकते।

मकान के लिए केबिनेट में फैसला लिया। राजस्थान में कई ऐसी बस्तियां बसी हुई हैं, जिनके लिए हमने ए.जी. साहब को भी रिक्वैस्ट की, हाई कोर्ट में जज साहब को भी रिक्वैस्ट की। उन्होंने इस चीज को माना, लेकिन डी.बी. ने वापस उसमें रोक लगायी। यह अभी विचाराधीन है। इसमें पॉजिटिव आने के संकेत हैं मकानों के लिए, वह कैबिनेट के फैसले को कोर्ट भी मान रही है। हमने उसमें हार्ड निर्णय रखा और क्षतिपूर्ति करते हुए मकान बसे हुए बस्ती को देने के लिए कहा है। जैसे ही यह होगा, हम इनकी भावना के अनुसार कार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

बूंदी में पर्यटन विकास कोष से स्वीकृत कार्य

193. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु आधारभूत संरचना के लिए वर्ष 2021-22 में पांच सौ करोड़ रुपये के विकास कोष की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना में जिला बूंदी के किस-किस पर्यटन स्थल पर कितनी-कितनी राशि से, कौन-कौनसे विकास कार्य कराये गये व कौन-कौनसा कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है? यदि नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत इन्द्रगढ़ माताजी मन्दिर पर रोप-वे स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ क्लियरेन्स हेतु वन विभाग में विचाराधीन था? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त प्रस्ताव स्वीकृति की क्या स्थिति है तथा उक्त के संबंध में विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मन्दिर के विकास कार्य हेतु 99.74 लाख रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था? यदि हां, तो विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का व्यय व शेष रहे कार्य कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु वर्ष 2021-22 में 500 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोष की राशि को बढ़ाकर 1,000 करोड़ किया गया है। बजट वर्ष 2023-24 में इस राशि को बढ़ाकर 1,500 करोड़ करने की घोषणा की गई है।

उक्त योजना में बूंदी जिले के स्वीकृत एवं कराये जा रहे विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इन्द्रगढ़ माताजी मंदिर पर रोप-वे स्थापना का कार्य उक्त योजना में नहीं किया जा रहा है। मैसर्स इन्द्रगढ़ बीजासन माता रोप-वे प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा बीजासन माता मन्दिर पर रोप-वे लगाने के लिए वन्यजीव स्वीकृति हेतु वन विभाग को आवेदन किया गया है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

उक्त प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव मण्डल की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.09.2022 तथा राज्य वन्यजीव मण्डल की बैठक दिनांक 13.09.2022 में स्थायी समिति की अभिशंषा अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल को अग्रेषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। पर्यटन विभाग के राज्य मद में स्वीकृत प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा राशि रुपये 14.73 लाख से चारदीवारी का निर्माण कार्य व सीढ़ी पर जी.आई. शीट की छत का कार्य सम्पादित कराये गये हैं।

प्रोजेक्ट अन्तर्गत शेष कार्य वाटर कूलर, बेंच/चेयर, प्रसाधन (महिला एवं पुरुष) जागरण पार्क, बाउण्ड्रीवाल, धर्मशाला बाउण्ड्रीवाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण कर लिए जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीधा प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछ लें, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यही निवेदन है कि जो मेहरानगढ़ हादसा हुआ, उसके बाद नये मापदण्ड के अनुसार भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बीजासन माता मंदिर के रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करने का आप विचार रखते हैं? रोप-वे लगाने के लिए वन विभाग को जो आवेदन किया था, कमेटी ने प्रस्ताव भी ले लिए दो बार, स्थायी समिति वन्य जीव मण्डल की बैठक भी हुई और राज्य वन्यजीव मण्डल की भी बैठक हुई। यह बैठक दो बार हो चुकी है। आप इसका प्रस्ताव कब तक राष्ट्रीय कमेटी को भेज देंगे? इतना-सा मुझे बताने का कष्ट करें।

दूसरा, मेरा एक यह भी निवेदन है आपके माध्यम से कि यह जो आपने हमें राशि दी है, 2021-22 में 500 करोड़ रुपये के विकास कोष की जो आपने स्थापना की, 1,048.68 लाख रुपये में से बूंदी के लिए मात्र 09 लाख रुपये दिये और 99.74 लाख रुपये में से मात्र 20 लाख रुपये दिये और 16 लाख रुपये ही आपने खर्च बताया है अपने उत्तर में। मेरा निवेदन है यह काम कब तक करवा दिया जायेगा और कब तक आप यह राशि दे देंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

माननीय सदस्या ने बताया कि निजी फर्म मैसर्स इन्द्रगढ़ बीजासन माता रोप-वे प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, इन्होंने पैसेंजर-वे स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। यह रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है और इसके कारण फरवरी में वन विभाग के पोर्टल पर आवेदन एफ.पी/आरजे/अदर्स/30300/2017 किया था। जैसे ही हमारी सरकार आयी तो हम लोगों ने वन विभाग से बातचीत की, तो उन्होंने 12.09.2022 को राज्य वन्यजीव मण्डल की बैठक की और 13.09.2022 को स्थायी समिति, राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल को अग्रेषित करने के लिए स्थायी समिति ने निर्णय लिया, जो उनको अग्रेषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चूंकि यह निजी कम्पनी द्वारा आवेदन किया गया है तो निजी कम्पनी से, यूजर्स से कुछ क्वेरी उन्होंने की हैं, उसका जवाब तो यूजर स्वयं ही देगा। बाकी स्थायी समिति ने इसको राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल को आगे अग्रेषित करने हेतु निर्णय कर लिया है।

इसके साथ-साथ, इन्होंने पर्यटन विकास कोष की बात की, इसके संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि अभयनाथ की बावड़ी, बोहरा जी का कुण्ड, भावल्दी बावड़ी, मीरा गेट बावड़ी, मालन मासी बावड़ी, शुक्ला बावड़ी, नागर-सागर कुण्ड ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह तो सब उत्तर में है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं, इन्होंने कहा था न कि बहुत कम प्रावधान किये हैं।

श्री अध्यक्ष: यह तो सब उत्तर में दे रखा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इनको करीब-करीब 10 करोड़ 48 लाख 68 हजार रुपये तक की स्वीकृति की हुई है। इनको पता नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): आगे की राशि कब तक दे देंगे? इतना-सा बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह तो सब एनेक्सचर में है। यह तो खाली पूछ रहे हैं कि अगली राशि कब दे देंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इसका पहले चरण का कार्य तो हो चुका है 14 लाख 74 हजार का और इसी महीने दूसरे चरण का कार्य भी शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

194. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के किस-किस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् उसके पास आबादी भूमि में भूखण्ड नहीं होने के कारण उक्त योजना से लाभान्वित नहीं किया गया? क्या सरकार उक्त को आबादी भूमि में निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान में किस-किस गांव में किस-किस परिवार के पास पूर्णतया कच्चा मकान होने के पश्चात् भी उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित किये जाने वाली सूची में नहीं है? क्या सरकार उक्त परिवारों का पुनः सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ होने से अब तक कितने आवास स्वीकृत हुए? कितनों को प्रथम व द्वितीय किस्त दे दी गई व कितने आवास बनकर तैयार हो गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के जिन गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् उनके पास आबादी भूमि में भूखण्ड नहीं होने के कारण उक्त योजना में लाभान्वित नहीं किया जा सका है, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। भूमि रूपान्तरण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। आबादी भूमि उपलब्ध होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में सर्वे किये जाने पर कुल 3,751 परिवारों के पास पूर्णतया कच्चा मकान होने के बाद भी उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लाभान्वित किये जाने वाली सूची में नहीं है। गांववार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अब तक पुन: सर्वे हेतु कोई निर्देश जारी नही किये गये हैं।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से अब तक कुल 4,966 आवास स्वीकृत, 4,818 आवासों की प्रथम किस्त जारी, 4,552 आवासों की दि्वतीय किस्त जारी एवं 4054 आवास पूर्ण हो गये हैं।

(विवरण एवं सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, आप सीधा प्रश्न पूछें। माननीय मंत्रीजी, प्रश्न पूछने दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्ताव कब-कब, किस-किस माप के किस-किस गांव के और किस-किस गांव हेतु भेजे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बी स्पेसिफिक, आप इसमें डिटेल पूछोगे तो आधा घंटा लग जायेगा। आपका जो प्रश्न है, उससे संबंधित सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं इसलिये पूछ रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूछ रहे हैं, किसके खाते का कर रहे हैं, यह सप्लीमेंट्री का पार्ट थोड़े ही है? प्लीज आप प्रश्न पूछें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं पूछ रहा हूं, भूमि रूपान्तरण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, इस संबंध में ही पूछ रहा हूं कि प्रेषित किये गये हैं तो कब किये गये हैं? किस-किस गांव के लिए किस-किस माप के किये गये हैं?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह जो माप की बात कर रहे हैं तो 25 वर्ग मीटर 269 और आपके जो लाभार्थियों की संख्या है, जो भूमिहीन हैं, उनकी बात कर रहे हो न आप?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, उनकी कर रहा हूं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कूकड़ाखुर्द में 53 हैं, जुल्मी में 18 हैं, कुनकट में 40 हैं, पीपल्दा में 3 हैं, लक्ष्मीपुरा में 6 हैं, कुल 120 परिवार हैं। ग्राम कूकड़दा भू-आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि पर भूखण्ड लेने से मना कर दिया है 53 ने और ग्राम लक्ष्मीपुरा में 4 लाभार्थी पलायन कर चुके हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है।

(श्री रमेश चन्द मीना)

ग्राम पीपल्दा में 3 लाभार्थी मुकुन्दरा हिल्स में ही आवास बनाना चाहते हैं, जो सम्भव नहीं है। ग्राम कुनकट के 40 लाभार्थी की आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित कर दी गयी है। नामांतरण दर्ज होने के उपरांत लाभार्थियों को भूखण्ड आबंटन कर दिया जायेगा। पहले से अनुमोदन सिवायचक में दर्ज है। राज्य सरकार के स्तर से होगा, इसके बाद इसका नामांतरण होगा, जो ग्राम पंचायत के नाम आबादी में दर्ज हो जायेगा। ग्राम जुल्मी में 18 लाभार्थियों के लिए चरागाह भूमि के संपरिवर्तन हेतु उप खण्ड अधिकारी, खैरावत को पत्र संख्या 6296 दिनांक 15.02.23 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। सिवायचक भूमि में चरागाह को दे देंगे। इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि कूकड़ाखुर्द वालों ने मना कर दिया है, यह बहुत गलत बात है, क्योंकि इन्होंने प्रस्ताव दिया था देने के, वह खालखद्दर हैं। यदि मकान बनायेंगे तो प्रधानमंत्री आवास का सारा पैसा क्या, इससे दुगुना पैसा है, वह भी चला जायेगा। इसलिये वहां सम्भव ही नहीं है मकान बनाना। मैं कहता हूं कि उनको समतल जमीन, जहां मकान बन सकता है, वहां कब तक दे देंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अभी भूमि आसपास देख लेते हैं और आप भी हमें सहयोग करेंगे, जहां भूमि मिल सकती है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उन लोगों ने भूमि का प्रस्ताव आपको दिया हुआ है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो हमारे पास प्रस्ताव है, ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, यहां आप डायलॉग कर रहे हैं? मंत्री खड़े हैं, आप भी खड़े हुए हैं। आप नीचे बैठें। मंत्री जवाब दे रहा है और आप खड़े हो, यह कौनसा तरीका है? माननीय मंत्रीजी।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर लाभार्थी कहीं दूर जाना चाहते हैं, वहां सिवायचक भूमि है तो हम उन लाभार्थियों को भूमि दे देंगे और नहीं जाना चाहेंगे तो पहले से बसे हुए हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 3,751 ऐसे प्रार्थी इन्होंने बताये, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं है। यह प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना आयी थी, उसमें इन्होंने इनके नाम क्यों नहीं जुड़वाये? 3,751 बहुत बड़े नाम होते हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो उस समय आवास अपलोड हुए थे, उस समय खैरावत पंचायत समिति में आवास प्लस अपलोड होने वाले पात्र परिवार हैं 2,526, रिजेक्टेड वाले सिस्टम में 938, इस प्रकार कुल 3,464 और लाडपुरा में हैं आवास प्लस शेष रह गये 111 रिजेक्टेड में 176, इस प्रकार कुल परिवार 287 हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लें या अगला प्रश्न पुकारूं? आप दुबारा पूछ लेना खड़े होकर।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 3,751 परिवार वंचित रह गये हैं। उनके लिए भारत सरकार के माननीय केन्द्रीय मिनिस्टर गिर्राज सिंहजी से मैं पर्सनल मिल चुका हूं, क्योंकि भारत सरकार वहां से स्वीकृत करे, सैंक्शन करे तो हम तो राज़ी हैं। आप वहां से करवा दें। यह अपलोड हो जायेंगे तो उनको किस्त जारी हो जायेगी। आप करवा दें। 2022-23 का भी हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना बंद-सी हो गयी है, तो उसको भी चालू करवा दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने यह पूछा था कि आवास प्लस टू में क्यों नहीं जोड़ा गया? उसका जवाब नहीं दिया माननीय मंत्री महोदय ने।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बता दिया कि अपलोड नहीं हुआ।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सिस्टम जो बोला है किसी ने मोबाइल की जगह टेलीफोन नंबर लिखवा दिया। लैंड लाइन हो गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हो गया अब। माननीय मंत्री जी। बहुत गलत तरीका है। आप खुद प्रश्न करके खड़े हो जाते हैं।

अगला प्रश्न। श्री अमित चाचाण।

नोहर में किलाबंदी व मुरब्बाबंदी का कार्य

195. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमित चाचाण)

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में किलाबंदी व मुरब्बाबंदी का कितना कार्य पूर्ण हो गया है व कितना कार्य शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त शेष कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में वाप्कोस लिमिटेड द्वारा दिनांक 15.05.2017 से 118 ग्रामों में किलाबंदी/मुरब्बाबंदी का कार्य किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र नोहर के सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में 48 ग्रामों में से पत्थरों की सप्लाई एवं उनकी मौके पर स्थापना कुल 48 ग्रामों में की जा चुकी है। सूची नम्बर 4, 46 ग्रामों की तैयार की जा कर प्रमाणीकरण किया गया है। सूची नम्बर 8, 45 ग्रामों की तैयार की जा कर प्रमाणीकरण किया जा चुका है। पर्चा खतौनी 45 ग्रामों की तैयार की जा चुकी है। जमाबन्दी लेखन 107 चकों की तैयार की जा चुकी है। सूची नम्बर 4, 2 ग्रामों की, सूची नम्बर 8, 3 ग्रामों की, पर्चा खतौनी 3 ग्रामों की, जमाबन्दी लेखन 38 चकों की शेष है।

(2) वाप्कोस लिमिटेड द्वारा चकबंदी/मुरब्बाबंदी कार्य रिकार्ड राइटिंग के तहत अन्तिम चरण में चकवाइज जमाबन्दी लेखन का कार्य किया जा रहा है। जमाबन्दी लेखन का कार्य 31 अगस्त, 2023 तक पूर्ण करवाया जा कर जमाबन्दी राजस्व विभाग को संभलवाया जाना सम्भावित है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नोहर, भादरा का महत्वपूर्ण मामला है। पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत ही गलत फैसला करते हुए ऐसी कंपनी को कार्य दिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किलाबंदी कार्य करने वाली कंपनी को अब तक कितना भुगतान कर दिया गया है एवं कितना शेष है? जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, जो यह चकवाइज सूची तैयार की गयी है, इसकी गुणवत्ता बाबत उपनिवेशन की जांच, विधिक टिप्पणी के लिए क्या सरकार कार्य कर रही है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी को 6 बार भुगतान किया गया है। इसमें 26.12.2017 को 59 लाख का

(श्री शाले मोहम्मद)

भुगतान किया गया। 28.03.2016 को 01 करोड़ 15 लाख 05 हजार का, 29.03.2018 को 78 लाख 40 हजार का, 28.01.2019 को 01 करोड़ 49 लाख 55 हजार, पांचवां 30.03.2020 को 42 लाख 55 हजार का किया गया। कुल 4 करोड़ 44 लाख 55 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

इसके लिए जैसे माननीय सदस्य ने कहा, हमने उपनिवेशन की हमारे विभाग की तरफ से भी अलग-अलग जांच करवायी। इसके लिए टीमें गठित कीं, जिन्होंने अलग-अलग समय पर वहां जाकर चैक किया। 6 बार टीम वहां पर गयी। 31.01.2018 को गयी, 2019 में भी भेजा। 28.08.2018 को भी भेजा है। 08.03.2022 को भी हमारी टीम वहां गयी है। टीमें वहां 06 बार मौके पर जाकर आयी हैं।

नोहर के 13 गांव हैं जिनके 32 चक हैं। उनको हमने निर्देश दिये हैं कि सही समय पर इनका जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह पिछले 7 वर्षों से कार्य चल रहा है, जो कार्य चल रहे हैं उसमें सुस्ती बाबत कृषकों द्वारा प्रश्न चिह्न भी लगाये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो इस कंपनी का बकाया पैसा है, क्या आप उस पर रोक लगाने की मंशा रखते हैं? क्या यह कार्य उपनिवेशन विभाग के द्वारा करवाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय सदस्य, उत्तर आने दो। आप नीचे बैठो। उत्तर आने दो।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी ने समय पर काम नहीं किया। जो जी.एफ.एंड ए.आर. के नियम हैं, उनके अनुसार हमने 10 परसेंट इन पर पेनल्टी भी लगायी है। अभी 31 अगस्त, 2023 तक का इनको अंतिम समय दिया है। अगर उस समय तक इनका काम पूर्ण नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

196. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं व

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

उक्त में मूलभूत संसाधन उपलब्धता के क्या मानदण्ड हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के पास स्वयं का भवन है व कितने भूमि व भवन विहीन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समस्त भूमि व भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब तक भूमि व भवन उपलब्ध करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) वर्तमान में प्रदेश में कुल 61,848 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए मूलभूत सुविधा के अन्तर्गत लाभान्वितों के बैठने के लिए स्थान, पेयजल, शौचालय एवं विद्युत सुविधा आती है, जिनका संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 27,050 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों अर्थात् विभागीय भवनों में संचालित हैं। 26,035 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, अन्य सरकारी भवनों में संचालित हैं एवं भूमि भवन की उपलब्धता नहीं होने के कारण 8,763 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) भूमि, भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। सीधा प्रश्न पूछें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यही जानना चाहती हूं कि जहां आंगनबाड़ी चल रही हैं, वहां उनके खुद के भवन हैं या नहीं हैं? आपने सारे प्रदेश की मुझे एक लिस्ट दी है। मुझे अभी मिली है। उस लिस्ट में इन्होंने आंकड़े ही आंकड़े दे दिये हैं। मुझे उन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि भवन हैं या नहीं हैं?

जैसे मैं सूरसागर की बात बताऊं, जोधपुर शहर की बताऊं, सरदारपुरा

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

की बताऊं, ये 3 तो मैं बता ही सकती हूं। सूरसागर में तो यह स्थिति है कि वहां कितनी ही शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियां हैं। कैसी बस्तियां हैं, हरिजन बस्ती हैं, सारी हैं। मंत्री महोदय, यह बता दें कि सूरसागर में कितने भवनों में आंगनबाड़ी चल रही हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तर सुन लें। आप विराजें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने दो। मैं जब जाती हूं और देखती हूं बाहर आकर एक महिला बोलती है, जीजी, आप बैठो, मैं आपने बताऊं, वा कांई बतावेला, एक बक्स लावेला लोहे का, लोहे के बक्स लार एक रजिस्टर काढ नै बतावेला और बच्चा, कहेला कि बाहर रमण ने गया हैं। आ स्थिति है। इं वास्ते म्हारो आपने कहनो है कि यहां कोई प्रेस्टीज पाइंट नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। माननीय मंत्री जी, बहुत स्पेसिफिक है। सूरसागर में कितनी आंगनबाड़ी चल रही हैं? कितनों के भवन नहीं हैं, जिनके बारे में आप बता दें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर जो कि जोधपुर शहर के अंदर आता है, वहां 92 आंगनबाड़ी चल रही हैं। स्कूलों में संचालित 19 हैं। किराये के भवन में 73 हैं। जिनमें पेयजल सुविधा 88 में हैं, शौचालय वगैरह 34 में हैं, बिजली की सप्लाई 82 के अंदर है।

माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वह वास्तव में है। लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर, चूंकि मेरे जवाब में लिखा हुआ है कि भूमि मिलना, पैसा आना इन तमाम चीजों पर यह डिपेंड है। शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी के लिए भूमि मिलना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे ही हमारे पास शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होगी, हम नये आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने का प्रस्ताव भी रखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा भारत सरकार को नवनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप विराजें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्री जी आप विराजें। आप एक मिनट बैठें। आपने फिगर दिया कि 92 वहां पर आंगनबाड़ी हैं।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: 19 स्कूल में चल रही हैं और 73 प्राइवेट में चल रहे हैं। आप उन प्राइवेट की लिस्ट माननीय सदस्य को दे दें। माननीय सदस्य के साथ विभाग का अधिकारी जाकर के देख ले कि वास्तव में वह प्राइवेट में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। माननीय सदस्य की चिंता यह है।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही है, मैं विभाग के अधिकारी को इनके साथ लगा दूंगी, लेकिन मैं एक चीज निवेदन करना चाह रही हूं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का संबंध है?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हां, प्रश्न से रिलेवेंट ही बात बता रही हूं कि हम लोग आंगनबाड़ी बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भारत सरकार को...

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय मंत्री जी, प्लीज। माननीय मंत्री जी, प्लीज। Always be confined to the answer. आपके उत्तर का स्कोप इतना नहीं है। आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है।

माननीय सदस्य वहां जाती हैं और वह बता रही हैं कि वहां पर उनको दीदी बोलकर बाहर बैठा देते हैं और कमरा कहां है, वह मालूम नहीं है। आप 73 जो प्राइवेट चल रहे हैं, उनके नाम इनको दे दो और विभाग के अधिकारी इनके साथ जाकर वहां पर चैक कर लें। सीधी बात है।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध करा दूंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। सॉरी। एक मिनट रुक जायें। पहले बलवान पूनियां।

भादरा से सिद्धमुख-राजगढ़ सड़क का निर्माण

197. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा से सिद्धमुख-राजगढ़ सड़क का बजट 2021 की घोषणा के उपरान्त भी अब तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार उक्त का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य राजमार्गों के विकास कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी थी, जिसमें राजगढ़ (सिद्धमुख) भादरा खण्ड (एस.एच.-106) राजमार्ग भी सम्मिलित है। उक्त कार्य की निविदा दर अधिक प्राप्त होने के कारण निविदा दिनांक 21.12.2022 को निरस्त की गयी, अत: कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

जी हां। सरकार बजट घोषणा पूरी करने का विचार रखती है। निविदा दिनांक 24.01.2023 पुन: आमंत्रित कर ली गयी है जो दिनांक 27.02.2023 को प्राप्त की जानी है। निविदा प्राप्ति के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवा दिया जावेगा। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् 15 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से सीधा सवाल है कि क्या आप दुबारा निविदा निरस्त नहीं करेंगे? आश्वस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष: निविदा आने के बाद ही तो करेंगे। निविदा आने से पहले निरस्त कैसे कर देंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक बार निरस्त कर दी। काम शुरू हो जाता।

श्री अध्यक्ष: निविदा आयेगी तब बात करेंगे न। अभी आयी नहीं। हाइपोथिटिकल सवाल कैसे पूछ रहे हो? माननीय मंत्री जी।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पी डब्ल्यू डी का आर टी पी पी एक्ट है, उसके तहत यदि नियमानुसार निविदा आयेगी तो हम निश्चित रूप से इसको अप्रूवल करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। आप सीधा प्रश्न पूछ लें।

आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति

198. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति अथवा अन्य आर्थिक सहायता दी जा रही है? उक्त छात्रवृत्ति एवं अन्य आर्थिक सहायता देने की क्या पात्रता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

(2) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में उक्त वर्ग के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य आर्थिक सहायता दी गयी? उक्त पर कितना व्यय हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त वर्ग के छात्र-छात्राओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति राशि, अनुरक्षण भत्ता दिया जा रहा है तथा वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क कोचिंग करवायी जा रही है एवं अन्य शहर से आकर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को आवास/भोजन इत्यादि हेतु प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उक्त योजनाओं की पात्रता का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अम्बेडकर डी बी टी वाउचर योजना प्रारम्भ कर राजस्थान राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश पत्र परिशिष्ट-2 संलग्न है।

विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश पात्रता की शर्त एवं संचालित विभिन्न वर्गों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-3 संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा से प्राप्त सूचना के अनुसार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) की छात्राओं को स्कूटी दिये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 (जनवरी, 2023) तक वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है एवं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु वर्ष 2021-22 से 2022-23 (13 फरवरी, 2023) तक व्यय की गयी राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

अम्बेडकर डी बी टी वाउचर योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में आर्थिक कमजोर वर्ग के 75 छात्रों को लाभान्वित किया जाकर 7.50 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु विगत तीन वर्षों में देय आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) की छात्राओं को स्कूटी वर्ष 2020-21 से दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में 573 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गयी है। वर्ष 2020-21 में स्कूटियों पर 302.92 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के आवेदनों की जांच कार्य प्रक्रियाधीन है।

(3) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शिक्षा स्तर को बढाने के लिए डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पूर्व में आय सीमा 1.00 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 से 2.50 लाख रुपये वार्षिक की गयी है एवं उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी। अब वर्ष 2022-23 से निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिया जाना प्रारम्भ किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्ष 2021-22 में 1,000 अभ्यर्थियों का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 1,499 किया गया है एवं वर्ष 2023-24 के बजट में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी करने के फलस्वरूप लक्ष्य बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2022-23 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 55 की अनुपालना में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग कोष का गठन क्रमांक 593 दिनांक 06.04.2022 किया गया है। (परिशिष्ट-9) उक्त कोष में छात्र-छात्राओं का शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए 07 संभाग स्तर पर बालिका छात्रावास, आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण, साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना प्रारम्भ की हुई है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी, यह जो जवाब मुझे लाभार्थियों के बारे में मिला है, इसमें कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। इन्होंने यहां पर जवाब में लिखा है कि 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, पर कितनी छात्राओं को एक्चुअली यह मिली है, कितनी छात्राएं एक्चुअली इससे लाभांवित हुई हैं यह अभी तक भी क्लियर नहीं किया गया है।

दूसरे उत्तर में आपने लिखा है कि 573 छात्राओं को स्कूटी वितरित हुई। परिशिष्ट-5 पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक लाइन यह कहती है कि प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभांवित किया जाएगा। अगर ये आंकड़े मैं मानूं 573 के, उसके बाद परिशिष्ट-5 में अगर और डिटेलिंग टेबल्स में जाते हैं तो कहीं लिखा है, 1,619 हमने स्कूटी वितरण की, कहीं लिखा है, 1,000 वितरण की। आगे के उत्तर में लिखा है 573 वितरण की है। मुझे किस आंकड़े को सही मानना चाहिए कि वाकई में इतनी स्कूटियां वितरण हुई हैं ताकि मुझे भी पता पड़े कि बात क्या हो रही है और एक्चुअल में कितनी बच्चियों को सुविधा मिल पा रही है। इसके अलावा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले एक प्रश्न। माननीय मंत्रीजी।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का पहला खण्ड है उसमें आपने संख्या पूछी ही नहीं है। इन्होंने पूछा है कि क्या-क्या स्कीम है?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सैकंड में पूछा है।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा सुन लें, फिर पूछ लें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पहले खण्ड में आपने पूछा है, सिर्फ पात्रता पूछी है और क्या सहायता दी जा रही है। यह हमने आपको बता दिया। दूसरे में आपने पूछा है कि चार वर्षों में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य आर्थिक सहायता दी गई है, उस पर कितना व्यय हुआ है? इसका विवरण सदन की मेज पर रखें। यह आपको हमने सूची उपलब्ध करवा दी। बाकी आप और भी कहेंगे तो बेनिफिसरीज की सूची व्यक्तिवाइज भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपने जो पूछा है वो हमने इसमें बता दिया।

स्कूटी की जहां तक बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूटी हमारे विभाग की योजना है, लेकिन चूंकि कालेज एजुकेशन इसको डील करता है, बीच में कोरोना का कारण भी रहा, पेपर नहीं हुए दो साल, बच्चों को फार्म भरने में भी दिक्कत हुई, इस कारण से डिले है लेकिन स्कूटी बांटने का काम जारी है। इस बजट के अंदर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्कूटी की संख्या इस वर्ष 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है, मेरी भी भावना यही है कि बच्चियों को स्कूटियां मिलनी चाहिए क्योंकि गांव से हमारे कालेजेज काफी दूर हैं, स्पेशली छात्राओं के लिए। अगर द्वारकाधीश गर्ल्स कालेज, राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बच्चियों को स्कूटी मिलेगी तो लाभ होगा। मेरा भी प्रश्न आपसे इसी वजह से है कि इन बच्चियों को लाभ मिले। इतना बड़ा अंतर है इन स्कूटियों को मिलने का, 1,050 लिख रहे हैं और अब आप कह रहे हैं 30 हजार, वाकई में 573 का आंकड़ा तो आपने दिया है, आपके जवाब से ही मैंने प्रश्न बनाया है, आंकड़ा मैं नहीं दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय मंत्रीजी, आप क्या इस स्थिति में हैं कि कालेज, जो भी स्कूटी बांट रहा है, उनकी संख्या जो बता रहे हैं कि आज की डेट में कितनी स्कूटी बंटी है? उनकी चिंता यह है कि 10 हजार की जगह 573 बंटी। 20 हजार कर देंगे तो संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज के दिन कितनी स्कूटियां मिली हैं कालेज के अंदर?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह संख्या मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं इस प्रश्न को पोस्टपोन कर रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 199

अगला प्रश्न। श्री अशोक डोगरा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अविनाश।

जैतारण में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय सहायता

200. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के शहीद सैनिकों की संख्या, नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को मुआवजा, नौकरी, सहायता व अन्य लाभ प्रदान किये गये व उक्त परिलाभों से कौन-कौनसे परिवार वंचित हैं? नामवार, ग्रामवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा शहीद परिवार को पच्चीस बीघा जमीन दी जाती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने शहीदों के परिवारों को उक्त परिलाभ प्राप्त हुआ व कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष रहे परिवारों को उक्त परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के 7 सैनिक शहीद हुए हैं, जिनका नाम व पते सहित विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को राज्य सरकार के नियमों के तहत दिये गये मुआवजा, नौकरी, सहायता व अन्य लाभ का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

उक्त शेष परिलाभ से वंचित शहीद परिवारों की सूचना निम्नानुसार है:-

1. शहीद सिपाही कूप सिंह, गां.पो.-रेलडा, तह.-रायपुर, जिला-पाली को उपनिवेशन विभाग, बीकानेर के पत्र क्रमांक 5148-49 दिनांक 24.08.2022 द्वारा भूमि आबंटन के स्थान हेतु विकल्प चाहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.09.2022 को विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

(श्री रामलाल जाट)

2. शहीद पी.ओ. पूरण सिंह रावत, गांव-भीला, पो. काजुजा, तह.-रायपुर, जिला-पाली के आश्रित को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (1)डीओपी/ए-2/18 पार्ट दिनांक 09.09.2022 के नियमों के तहत पुत्री के पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह चौहान को कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर, पाली के पास विचाराधीन है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा शहीद परिवार को पच्चीस बीघा भूमि अथवा भूमि के बदले नकद राशि के भुगतान का प्रावधान है।

जैतारण विधान सभा क्षेत्र में कुल 07 शहीदों के परिवारों में से 04 को भूमि आबंटित कर दी गई है तथा 02 परिवारों को भूमि के बदले नकद राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 01 परिवार को भूमि आबंटन का प्रकरण उपनिवेशन विभाग, बीकानेर में विचाराधीन है।

शेष रहे इस 01 परिवार को शीघ्र भूमि आबंटित करवाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें। उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, प्रश्न के उत्तर में मुझे दो सूची दी गई हैं एक जैतारण विधान सभा क्षेत्र में शहीद 1999 से पूर्व और एक 1999 के बाद। 1999 से पूर्व आपने बताया कि दो शहीद हुए हैं, शहीद कूप सिंह और शहीद पूरण सिंह। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि एक शहीद प्रेम सिंह हैं, जो 21.07.1990 को शहीद हो गये थे और यह प्रमाण पत्र मेरे पास में है, कार्यालय कमांडेंट 28 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, मार्फत 56 सेना मंत्रालय। इसकी जांच रिपोर्ट में उनका डैथ सर्टिफिकेट भी है कि ये 1990 में शहीद हो गये। एक तो यह जानकारी आपके विभाग ने गलत दी है कि 1999 से पूर्व...

श्री अध्यक्ष: गलत जानकारी के बारे में आपको पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का। इसमें हम क्या समझें? आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हो गलत है, you please give the proof, an action will be taken. उसका क्या सम्बन्ध है इससे?

श्री अविनाश (जैतारण): जी सर। मेरा निवेदन है कि शहीद प्रेम सिंह,

(श्री अविनाश)

ये 1990 में शहीद हो गये, सूचना नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि एक तो उत्तर में आपने दिया है कि इनको भूमि परिशिष्ट-ख के अंदर दी है। शहीद कूप सिंह के परिवार द्वारा 20.09.2022 को विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। इनको जमीन कब तक अवेलेबल करवा देंगे? इसी परिशिष्ट-ख के अंदर एक और है, ये सरकारी अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जिला कलेक्टर, पाली के पास में शहीद पूरण सिंह रावत, गांव भीला का प्रकरण लम्बित है। एक तो जमीन का और एक अनुकम्पा नियुक्ति का, ये दोनों प्रकरण 2022 के 9वें महीने से लम्बित हैं, इनको कब तक पूरा कर दिया जाएगा? जमीन कब तक आबंटित हो जाएगी?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो। काम की बात करो कि अनुकम्पा नियुक्ति कब मिल जाएगी और जमीन कब अलाट हो जाएगी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, पूरण सिंह का, अब तक की जो सूचना है उसमें 7 शहीद हुए हैं, सातों के नाम दिये हैं। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो आप मुझे देना, उसको निकलवाकर हम पैकेज के आधार पर उसकी पूर्ति करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा के अनुसार 9.9.2022 को सर्कुलर निकाला, उसके बाद कई ऐसे शहीदों के परिजनों में जागृति आई जो अपने नाम लेकर आये। इसमें राजस्थान में 81 लोग आये थे, अगर उसमें होगा तो हम देख लेंगे। आप दे देना मुझे, मैं दिखवा लूंगा अधिकारियों से।

दूसरा, आपका शहीद कूप सिंह के लिए जमीन देने का प्रश्न है। इसमें इन्दिरा गांधी नहर पर 25 बीघा जमीन देने का प्रोविजन कर रखा है। उसमें इनसे जवाब मांगा था। इनके आश्रित ने एक एप्लीकेशन दी 20.09.2022 को। अभी मैं जो हमारे कालोनाइजेशन के कमिश्नर हैं उनसे बात करके ही आया था, यह उनके पास पहुंच गया और जल्दी ही इनके जमीन अलाटमेंट का तरीका है, वैसे गवर्नमेंट सीधा ही करती है, उनके पास हमने भेज दिया है, वो जल्दी ही अलाट हो जाएगी।

दूसरा प्रकरण था शहीद पूरण सिंह रावत का। इनको हमने बाकी सुविधाएं, जैसे बस में नि:शुल्क यात्रा और अन्य, वो पैकेज तो दे दिया, जमीन भी दे दी, लेकिन नौकरी का पाली के कलेक्टर के पास विचाराधीन है, कनिष्ठ लेखाकार पद के लिए। वो भी जल्दी ही करवा देंगे, आज ही हम बात करके।

(श्री रामलाल जाट)

दो ही प्रश्न आपने पूछे थे। एक का अध्यक्षजी ने जैसा बताया प्रेम सिंह का दिखवा दूंगा, 2 के हमने कर दिये लगभग। मैं बात करके आया हूं कम्प्लीट बहुत जल्दी मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। No. This is a limit. रिलीफ मिल गई आपको। आपको धन्यवाद देना चाहिए मंत्रीजी को। (व्यवधान) नहीं। प्लीज, आप बैठें। जब उन्होंने कह दिया कि मदद करेंगे फिर भी आपको बोलना जरूरी है?

अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली में श्रमिक कार्ड के लाभार्थी

201. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 तक किस-किस वर्ष में श्रम सेस की कितनी-कितनी राशि जमा हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने श्रमिक कार्डधारियों को कब-कब व किस-किस योजना में कितनी राशि से लाभान्वित किया गया? योजनावार लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त जिले में कितने श्रमिकों के, कितने समय से, किस-किस योजना में, किन कारणों से प्रकरण लम्बित हैं? योजनावार लम्बित प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, श्रम के स्थान पर): (1) जिला पाली में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में संग्रहित उपकर राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में योजनावार एवं वर्षवार स्वीकृत आवेदन तथा स्वीकृत की गई राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्री टीकाराम जूली)

(3) वर्तमान में जिला पाली में योजनाओं के वर्षवार लम्बित आवेदनों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। लम्बित रहने का मुख्यतः कारण आवेदन का फिजिकल वैरिफिकेशन में होना, क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता होना, आवेदन का फर्दर इन्क्वायरी में होना, विभाग के स्तर पर वरीयतानुसार (फीफो) आवेदन के निस्तारण में समय लगना इत्यादि है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं सीधा प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने जवाब दिया है कि 7,344 आवेदन आपके पेंडिंग हैं। जैसा आपके प्रश्न का उत्तर था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में काफी अच्छी राशि का प्रावधान किया है, तो ये पेंडिंग आवेदन हैं 7,344, इनका निस्तारण आप कितनी अवधि में कराकर उनको लाभ पहुंचा देंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा, चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के बाद में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है तीन लोगों की, जो फार्मों को वापस देख रही है, क्योंकि गरीबों का, मजदूरों का पैसा है। इसमें ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हो गये जो मजदूर नहीं हैं और इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए उन्होंने फार्म भर दिये, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हम तय कार्यक्रम के तहत इन सभी का भुगतान कराएंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गई आपकी बात। नोटिस में ले लिया। भुगतान के लिए मना कर रहे हैं क्या? (व्यवधान) अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

सीधा प्रश्न पूछ लें माननीय सदस्य।

झुन्झुनूं में सुनवाई के अधिकार अधिनियम में पंजीबद्ध प्रकरण

202. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुभाष पूनिया)

(1) सरकारी सेवाओं की गारंटी डिलीवरी के लिए राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत जिला झुंझुनूं में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण कब-कब किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए कब-कब, किस-किस स्तर के, कौन-कौन से प्रशासनिक आदेश जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जन अभाव अभियोग निराकरण (डा. सुभाष गर्ग): (1) सरकारी सेवाओं की गारंटी डिलीवरी के लिए राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत झुंझुनूं जिले में वर्ष 2021-22 में 144 एवं वर्ष 2022-23 में 156 प्रकरण पंजीकृत हुए हैं।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों का संबंधित कार्यालयों द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से दिनांक 17.12.2012, 12.08.2013, 30.01.2018, 03.01.2019, 06.03.2019, 14.03.2019, 27.03.2019, 25.10.2019, 02.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021, 20.09.2021 तथा 06.10.2021 को पत्र/परिपत्र/आदेश जारी किये गये। (प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न) एवं जिला स्तर से पत्र क्रमांक 323 दिनांक 13.08.2021, पत्र क्रमांक 336 दिनांक 04.10.2021, पत्र क्रमांक 438 दिनांक 18.11.2021, पत्र क्रमांक 200 दिनांक 08.09.2022 तथा पत्र क्रमांक 326 दिनांक 05.12.2022 को पत्र जारी कर समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। (प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न)

(विवरण एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सीधा-सा प्रश्न यह है कि मंत्रीजी ने यह बताया है कि जन अभाव अभियोग में सब के सब, हंडरेड परसेंट निस्तारण हो चुके हैं। मैं पूछना चाहूंगा

(श्री सुभाष पूनिया)

कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो मासिक रिपोर्ट आ रही है, उसमें भिन्नता पाई गई है क्या? अगर भिन्नता पाई गई है तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? इसमें जिला कलेक्टर का एक स्पष्ट लैटर लिखा हुआ है, जिसमें 9 नम्बर पर कलेक्टर ने खुद ने माना है कि ऑनलाइन रिपोर्ट के समय सीमा से बाहर के प्रकरणों को 'शून्य' दर्शाया जा रहा है, इसलिए आप सबको यह निर्देशित किया जाता है कि ऑफलाइन मासिक रिपोर्ट भिजवाए जाने से पूर्व ऑनलाइन डैशबोर्ड एवं ऑनलाइन रिपोर्ट का मिलान कर लें। सभी को आदेश दिया है। मैं जहां तक मानता हूं यह रिपोर्ट सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब दें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर है। हमारे सिस्टम में अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि सारी सूचनाओं का ऑनलाइन सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से कम्पाइलेशन किया जा रहा है। उसका आंकड़ा मैं पूरा दे चुका हूं, लेकिन फिर भी सदस्य की जो भावना है उसके अनुरूप अगर ऐसा कोई अंतर है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करवाएंगे। जो हमारा कानून है जन सुनवाई अधिकार का, उसके तहत और मैंने पूरा आंकड़ा पूरे झुंझुनूं का और सूरजगढ़ का, पूरे जिलेवाइज आपको दिया है। आप मुझे बता दें, जहां आवश्यक होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत जालमपुरा के खोर घटीयावली मार्ग पर गम्भीरी नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के आस-

(श्री अध्यक्ष)

पास के गांवों में थर्मल प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना कस्बे में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक एवं चौक का नामकरण वीरचक्र विजेता हजारी लाल के नाम से करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से नगरपालिका रावतसर में वर्षा के समय जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के जैन मन्दिरों में चोरी की वारदातों को रोकने हेतु कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ब्राह्मणों की सरेरी, कंवलियास गुलाबपुरा पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना-सिणधरी पेयजल योजना से पचपदरा रिफाइनरी से पूर्व आमजन को जल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्वीकृत जल जीवन मिशन कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर सम्भाग में बढ़ती बाल तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से माउंट आबू में गठित मोनिटरिंग कमेटी के पदाधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले की पी एच सी एवं सी एच सी में चिकित्सा अधिकारियों का ठहराव नहीं होने से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांवों में स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अन्तर्गत गांवों में विगत गर्मी के पेयजल परिवहन का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी अस्पतालों द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ न दिया जाकर रोगियों से शुल्क वसूल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में विद्युत के बिल समय पर जमा नहीं कराने पर उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं करने के सम्बन्ध में।

(16) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में हेमावास से नाडोल स्टेट हाईवे के लिए अवाप्त की गयी भूमि की मुआवजा राशि किसानों को नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(18) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में स्वीकृत 33/11 के वी जी एस एस का निर्माण करवाने एवं सिंगल फेज सप्लाई सुचारु नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से नगरपालिका चौमूं में हुए एल.ई.डी. एवं पानी सप्लाई पाइप लाइन भ्रष्टाचार की जांच होने के उपरान्त भी कार्रवाई नहीं करने के सम्बन्ध में।

(20) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से लगातार घटित हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।

(21) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश के राशन डीलरों को सम्मानजनक मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ, श्री हमीर सिंह भायल, श्री अमृतलाल मीणा, श्री जगसी राम, श्री संदीप शर्मा, श्री पुखराज एवं श्री वासुदेव

(श्री अध्यक्ष)

देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में आये दिन यातायात में अवरोध होने से आमजन को हो रही समस्या का स्थायी समाधान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में राशन डीलरों की समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में खनन क्षेत्र से प्रभावित पंचायतों में किसानों को जमीन आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से नगरपालिका शिवगंज की मानसावालीवास में विगत 40 वर्षों से निवासरत परिवार के मकान का पट्टा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से बुहाना उपखण्ड में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से माउंट आबू में गठित मोनिटरिंग कमेटी के पदाधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जगदीश चन्द्र, सदस्य की ओर से प्रदेश की रायसिख जाति की दयनीय सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अनुसूचित जाति में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती मीना कंवर, सदस्य की ओर से प्रदेश में यूनानी, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं एक परिसर में उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली

(श्री अध्यक्ष)

की आर.एस.एम.एम. में हुई अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कालीचरण सराफ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर के जैन मन्दिरों में चोरी की वारदातें

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले छह महीनों से जयपुर शहर के जैन मन्दिरों में लगातार चोरियां हो रही हैं। मैं आपको उसकी बानगी बताता हूं।

12 फरवरी को दिगम्बर जैन मन्दिर, मुरलीपुरा में; 9 फरवरी को दिगम्बर जैन मन्दिर, सैक्टर 10, मालवीय नगर में; 9 जनवरी को महावीर दिगम्बर जैन मन्दिर, महेश नगर, 80 फीट रोड पर और चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मन्दिर, श्योपुर में; 11 दिसम्बर को दिगम्बर जैन मन्दिर, जनकपुरी में; 19 दिसम्बर को दिगम्बर जैन मन्दिर, विश्वेश्वरैया नगर, त्रिवेणी नगर में; 20 नवम्बर को सम्भवनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, राधा विहार में; पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, वाटिका में; 2 फरवरी को पारस विहार, मोहनपुरा मुहाना मण्डी में; 24 सितम्बर को केसरिया पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर में; 30 सितम्बर को टोंक रोड, कल्याण नगर स्थित मन्दिर में; 6 नवम्बर को विवेक विहार, आदिनाथ नगर, जैन मन्दिर और 12 नवम्बर को वर्द्धमान सरोवर मन्दिर में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी जैन मन्दिरों में सी सी टी वी कैमरे लगे हुए हैं। उनकी फुटेज देने के बाद भी चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। जिन स्थानों पर चोर पकड़ में भी आये हैं, उनका माल बरामद नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनकी अधिकृत संस्था है, राजस्थान जैन सभा, उसने और बाकी जैन संगठनों ने समय-समय पर पुलिस अधिकारियों को इन चोरियों को रोकने के लिए ज्ञापन भी दिये हैं, परन्तु इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।

(श्री कालीचरण सराफ)

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि एक अनुभवी आई पी एस अधिकारी के नेतृत्व के एक स्पेशल टीम गठित की जाये जो इन चोरियों को रोकने के लिए, क्या किया जा सकता है एवं इन चोरियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में बताये। इसके अलावा, जो चोर पकड़े नहीं जा रहे, वे पकड़े जाएं और उनसे माल बरामद किया जाये। इसके साथ-साथ जयपुर के सभी जैन मन्दिरों के आस-पास स्थित सम्बन्धित थाने उन मन्दिरों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें, गश्त और चौकसी की व्यवस्था करें। इससे निश्चित रूप से ये चोरियां रुक सकती हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना-सिणधरी पेयजल योजना से पचपदरा रिफाइनरी से पूर्व आमजन को जलापूर्ति

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार को अवगत कराने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण-फलसूण्ड-वीलिया-सन्तरा जो जल योजना बनी, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, सिणधरी, मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र के टेल पर आने की वजह से वहां आज दिन तक पानी नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जैसे रिफाइनरी बनी है तो इस लाइन से रिफाइनरी में मीठा पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु जनता के लिए, पशुधन के लिए, मवेशियों के लिए, पीने के लिए त्राहि-त्राहि सर्दियों में हो रही है।

रिफाइनरी में भू-माफियाओं द्वारा और इस प्रोजेक्ट के अधिकारियों को बाईपास करके, जब लाइन चलती है तो इसमें 2 करोड़ 6 लाख लीटर पानी आता है, उसे बाईपास करके रिफाइनरी में 1 करोड़ 5 लाख लीटर पानी चला जाता है। पशुधन से लेकर जनता को पीने के पानी के लिए दो-दो महीनों तक सर्दियों में पानी नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे अख़बार भरे पड़े हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जनता को और पशुधन को पीने के लिए पानी मिले। इन भू-माफियाओं और रिफाइनरी का पानी बन्द करके जनता के लिए दिया जाये, यही मेरी सरकार से अपेक्षा रहेगी।

(श्री हमीर सिंह भायल)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारी यह जो प्रोब्लम है, सिणधरी, सिवाना, पचपदरा, बालोतरा के सैकड़ों गांवों में त्राहि-त्राहि सर्दियों में मची हुई है। गर्मियों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, यह हालत होगी। धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

उदयपुर सम्भाग में बढ़ती बाल तस्करी

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले और उदयपुर सम्भाग में बढ़ती बाल तस्करी की घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच के सम्बन्ध में मैं श्रीमान् से निवेदन कर रहा हूं। उदयपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। विशेषकर झाडोल, कोटड़ा, फलासिया, मामेर समेत जिले के अन्य क्षेत्रों में बाल तस्करी, बच्चों की खरीद-फरोख्त करने की घटनाएं विगत तीन वर्षों से हो रही हैं। समय-समय पर कई मामले सामने आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही नहीं करके मामले को तहस-नहस कर दिया जाता है। अभी 11 लोग पकड़ में आ पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, 11 लोग बच्चों को चोरी करके ले जा रहे थे और यहां से बाहर के शहर अहमदाबाद, मुम्बई, पूना, मद्रास, लखनऊ, दिल्ली आदि शहरों में ले जाते हैं। ये अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं जिनको खेलते हुए को पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाकर इसकी जांच करायी जाए, यह मेरी अपील है, निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

रेवदर में पिछले वर्षों के पेयजल परिवहन का भुगतान

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे बोलने का आपने मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 2022 में सिरोही जिले में औसतन वर्षा बहुत कम होने की वजह से पंचायत समिति रेवदर में टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की गयी। पिछले वर्ष 7 अप्रैल से 15 अगस्त तक पूरी रेवदर तहसील के अन्दर टैंकरों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था एस डी आर एफ के तहत की थी। अब अप्रैल महीना और गर्मियों का सीजन आने वाला है, पर पिछले वर्ष के 71 लाख 35 हजार 75 रुपये के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम

(श्री जगसी राम)

से राज्य सरकार ने आदेश दिया था, परन्तु उन टैंकरों का आज तक पेमेंट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक साल होने के उपरांत और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच लोग द्वारा एस डी एम साहब, कलेक्टर साहब को कई बार बताने के बाद भी आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि तुरन्त प्रभाव से इसका समाधान किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के चलते पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर का जनसंख्या क्षेत्रफल बहुत तेजी के साथ विस्तार कर रहा है। शैक्षिक नगरी होने से अन्य शहरों के 2 लाख विद्यार्थी भी कोटा में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में कोटा शहर की 15 लाख से अधिक की आबादी हो चुकी है तथा क्षेत्रफल 86 हजार करोड़ से भी अधिक हो चुका है। ऐसी स्थिति में पुलिस शहरों में अपराधों को नियंत्रित करने में अक्षम नजर आ रही है तथा आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। शहर में मात्र 21 थाने व 27 चौकियां हैं और 3 हजार के करीब नफरी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 17 थाने व 30 चौकियां तथा एक हजार पुलिस फोर्स होने से यह नाकाफी है कि इतनी बड़ी कानून व्यवस्था वह सम्भाल सके। इतने बड़े रूप में कानून व्यवस्था सम्भालने के लिए पुलिसकर्मियों के पास संसाधनों व नफरी की बहुत कमी होने के कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कोटा में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की जाए। यहां पर दो लाख बच्चे विभिन्न शहरों से पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे वहां पर भी आपराधिक तत्व प्रभाव छोड़ने लगे हैं। इसलिए ऐसा थाना भी बने जो इन बच्चों पर निगरानी कर सके जिससे कोटा शहर में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर नियंत्रण हो सके तथा लोगों को सुरक्षा मुहैया हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

भोपालगढ़ में स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण एवं सिंगल फेज की असुचारु सप्लाई

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि और पशुपालन है, लेकिन कृषि के अन्दर पिछले दो-तीन महीने से विद्युत सप्लाई बराबर नहीं मिल रही है। न तो सप्लाई आने का पता है, न जाने का पता है और किसानों को 6 और 7 घंटे दिन में बिजली देने की सरकार की मन्शा थी उसके अनुरूप सप्लाई भी नहीं मिल रही है। अभी क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के एग्जाम आने वाले हैं और उनके लिए जो सिंगल फेज सप्लाई है, वह भी प्रोपर नहीं मिल रही है। सप्लाई समय पर नहीं आती है, अच्छी गुणवत्ता की भी नहीं आती है। माननीय मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो 5 जी एस एस दईकड़ा, मिण्डोली, खोखरिया, दाड़मी और लवारी में स्वीकृत हैं, इन जी एस एस का समयबद्ध निर्माण कराकर सप्लाई चालू करावें, ताकि लोगों को अच्छी गुणवत्ता की सप्लाई मिले, छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की सप्लाई, विदाउट ट्रिपिंग सप्लाई मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

राशन डीलर्स को सम्मानजनक मानदेय का भुगतान

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, राशन डीलर खाद्य विभाग के महत्वपूर्ण अंग हैं। राज्य में लगभग 27,033 राशन डीलर हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है और ये आर्थिक दृष्टि से बिखर चुके हैं तथा इनके परिवार का पेट भरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इन अल्प आय वर्ग का लम्बे समय से शोषण हो रहा है। ये कोरोना के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर भी रहे तथा ये काफी लम्बे समय से अपनी मांगों, जिनमें मुख्यतया मानदेय हेतु संघर्षरत हैं। इन राशन डीलरों का विद्याधर नगर स्टेडियम में एक महासम्मेलन भी हुआ उसमें माननीय माननीय खाद्य मंत्री खाचरियावास जी ने आश्वासन दिया कि जो मानदेय आपके मन में है, उससे भी अच्छा

(श्री वासुदेव देवनानी)

मानदेय लागू करवाकर रहूंगा, पर बड़ी पीड़ा का विषय है कि सरकार ने इस पर विचार तक नहीं किया और बजट में राशन डीलरों की पूर्णतया उपेक्षा की गयी है। इनकी जो प्रमुख मांगें हैं, उनमें मानदेय 30 हजार रुपये देने, 55 वर्ष की आयु से अधिक हो जाने पर परिवार के किसी सदस्य को लाइसेंस ट्रांसफर करने की अनुमति देने, मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित सदस्य के नाम पर करने और 2 परसेंट प्रति क्विंटल छीजत कम मिलने की छूट देने की बात है। आश्चर्य तो तब है जब इनकी मांगों के लिए 13 मंत्री और 80 विधायकों ने समर्थन किया है, फिर भी बजट में विचार न करना बहुत ही पीड़ादायक है। अत मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनकी मांगों को तत्काल स्वीकार कर इनको राहत दें, ताकि 27 हजार परिवार अपना पेट पालन कर सकें और मंत्री जी के आश्वासन की भी धज्जियां न उड़ें तथा उसे पूरा किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री अशोक लाहोटी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सांगानेर में यातायात अवरोध की समस्या का स्थायी समाधान

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सांगानेर थाने से चौरड़िया पेट्रोल पम्प होते हुए सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया; डिग्गी रोड मुहाना मोड़ पर; पिंजरापोल गौशाला के सामने टोंक रोड; इण्डिया गेट, सीतापुरा; भांकरोटा चौराहा व कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड; सिटी पार्क के आस-पास, मध्यम मार्ग, थड़ी मार्केट, मानसरोवर; रीको कांटा, न्यू सांगानेर रोड पर; सांगानेर बाजार, रामपुरा रोड पर; त्रिवेणी चौराहे व रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर, गोपालपुरा बाईपास, दुर्गापुरा व महारानी गार्डन, विजय पथ, रजत पथ सहित कई स्थानों पर नियमित रूप से घंटों तक यातायात जाम लगा रहता है जिसके कारण आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस व ट्रैफिक सिग्नल की प्रोपर व्यवस्था नही होने के कारण यह समस्या और ज्यादा गंभीर होती जा रही है।

(समय: 12.18 बजे)

(श्री जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

महोदय, सांगानेर बाजार, नगर निगम रोड, सांगासेतु रोड, मालपुरा गेट, श्योपुर रोड; मध्यम मार्ग, मानसरोवर, भांकरोटा, प्रताप नगर सेक्टर-8 व

(श्री अशोक लाहोटी)

सेक्टर-3 के सभी मुख्य बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी भारी जाम से पैदल चलना भी दूभर हो गया है। सांगानेर बाजार में सी टी एस बस स्टैण्ड पर जर्जर एवं कबाड़ हो चुके कियोस्क की जगह पर भूमिगत व मल्टीलेवल पार्किंग बनाकर, साथ ही सांगानेर स्टेडियम तथा अन्य बाजारों में भी सभी बाजारों में भूमिगत पार्किंग बनाकर इस ज्वलंत समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। राज्य सरकार के पास यदि बजट नहीं है तो प्रस्ताव बनाकर भेजे, इसमें आधे रुपये केन्द्र सरकार से स्मार्ट सिटी बजट से भी दिलवा देंगे।

मानसरोवर, सांगानेर, प्रताप नगर, भांकरोटा, दुर्गापुरा सहित विधान सभा क्षेत्र में कई स्कूलों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं, परन्तु स्कूल बसें व आने वाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्कूलों में व्यवस्था नही होने के कारण इन क्षेत्रों में स्कूल लगने व छुट्टी के समय घंटों तक यातयात जाम लगा रहता है एवं आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

अतः मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण प्रकरण का अतिशीघ्र समाधान कर राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

राशन डीलरों की समस्याओं का समाधान

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में राशन डीलरों को मानदेय कार्मिक घोषित करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव कर निवेदन है कि वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदार विगत कई वर्षों से प्रदेश की जनता को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, परन्तु उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनको कोई मानदेय कार्मिक का दर्जा नहीं दिया गया है तथा उनकी आय का कोई साधन भी नहीं है। उक्त उचित मूल्य दुकानदारों की मांग है कि उन्हें राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल, 2022 में नियमितीकरण कर सम्मिलित किया जाये। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में लिए गये संवेदनशील निर्णय की पालना में 55 वर्ष से अधिक उम्र के उचित मूल्य दुकानदारों को स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने की भी इनकी मांग है। इसके साथ ही, केन्द्र सरकार द्वारा भी इनका मानदेय बढ़ाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार को अवगत कराया गया है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(श्री निर्मल कुमावत)

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से निवेदन है कि प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों की उपरोक्त मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर उन्हें राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा (अनुपस्थित)। श्री राजकुमार रोत।

शिवगंज की मानसावालीवास में निवासरत परिवार को मकान का पट्टा

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत सिरोही जिले की नगरपालिका शिवगंज की मानसावालीवास में लगभग 40 वर्ष पूर्व से श्री कपूराराम पुत्र श्री केसाजी भील के पुराने मकान का पट्टा नहीं दिये जाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि सिरोही जिले के नगरपालिका, शिवगंज की मानसावालीवास में श्री कपूराराम पुत्र श्री केसाजी भील का लगभग 40 वर्ष पूर्व मकान बना हुआ है। इस मकान में 20-25 वर्ष पूर्व विद्युत कनेक्शन हुआ है। यह परिवार अशिक्षित होने के कारण इसके पट्टे की प्रक्रिया को नहीं समझ पाया। फिर भी, उन्होंने नगरपालिका में आवेदन किया और अधिशासी अधिकारी द्वारा फरवरी, 2000 में कच्ची बस्ती नियमन के तहत पट्टे पर हस्ताक्षर करके पट्टा दे दिया गया, लेकिन जातिवादी मानसिकता एवं राजनैतिक प्रभाव के कारण नगरपालिका अध्यक्ष ने हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां एक मात्र भील समूह का घर है। राज्य सरकार राज्य में वर्तमान में जो जहां बैठा है, उसको पट्टा देने का दावा कर रही है, लेकिन यह पीड़ित परिवार पिछले 40 वर्षों से मकान बनाकर बैठा हुआ है और उसे पट्टा आदिनांक तक नहीं दिया गया है। अतएव यह दावा खोखला साबित होता है।

इसको लेकर RI, शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह मकान किसी रास्ते के रोकने में बाधक नहीं है। अतः पट्टा दिया जाना उचित है। इसके बावजूद इस परिवार को नियम कायदों में उलझा कर मकान को हटाने का प्रयास वर्षो से किया जा रहा है और इसी कारण से कांतिलाल/कार्तिक भील के साथ 19 नवम्बर, 2022 को मारपीट की गई और उसकी इलाज के दौरान 02 जनवरी, 2022 को मृत्यु हो गई। इसके बाद पीड़ित परिवार एवं कई सामाजिक संगठनों द्वारा पीड़ित को पट्टा देने एवं अन्य मांगों को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है।

(श्री राजकुमार रोत)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विभिन्न मांगों को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

बुहाना उप खण्ड (सूरजगढ़) में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बुहाना उप खण्ड पर अपर एवं जिला न्यायालय कोर्ट नहीं होने से पक्षकारों को 65-70 किमी. की यात्रा कर खेतड़ी या अन्यत्र स्थान पर जाना पड़ता है। दूरी ज्यादा होने के कारण से पक्षकारों को अधिक राशि का व्यय करना पड़ता है तथा आवागमन के साधन नहीं होने से समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। बुहाना क्षेत्राधिकार के वर्तमान में 1,010 प्रकरण खेतड़ी के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के यहां लम्बित चल रहे हैं। अभिभाषक संघ द्वारा लंबे समय से अपर सेशन कोर्ट खोले जाने की मांग की जा रही है। बुहाना उप खण्ड के अंतर्गत बुहाना, सिंघाना, पचेरीकला व एक आबकारी थाना क्षेत्राधिकार के अधीन है।

अतः आमजन की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपके माध्यम से विधि एवं न्याय मंत्री जी का तथा सदन का ध्यान बुहाना उप खण्ड में अपर जिला एवं न्यायालय कार्यालय खोले जाने की जब तक व्यवस्था नहीं हो, तब तक के लिए कैम्प कोर्ट खोले जाने की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत (अनुपस्थित)। श्री समाराम गरासिया।

माउंट आबू में गठित मॉनिटरिंग कमेटी के पदाधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत माउंट आबू में मोनिटरिंग कमेटी बनने के बाद उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में

(श्री समाराम गरासिया)

निवेदन है कि माउंट आबू में मोनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अध्यक्ष व सदस्य ऐसे लोगों को बनाया गया, जिनके ऊपर अवैध निर्माण के आरोप लगे हुए हैं। आज माउंट आबू की जनता कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ कई दिनों से धरने पर बैठी हुई है। राज्य सरकार ने यह कमेटी गठित की है। पूर्व में इस कमेटी के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर हुआ करते थे, जो कानून के जानकार भी होते हैं और प्रशासनिक अनुभव भी होता है। साथ ही निवासियों के दस्तावेज के कस्टोडियन बनने का अधिकार भी होता है। आज जो कमेटी गठित की है, उसने आबू की जनता के दस्तावेजों को निजी हाथों में सौंप दिया है। मेरी सरकार से मांग है कि इस कमेटी को भंग किया जाए। आज माउंट आबू में जिस प्रकार रसूखदार लोगों के अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं तो वहीं आम इंसान को एक सीमेंट का कट्टा ले जाने के लिए भी पाबंदी है। माउंट आबू से प्रशासन आमजन के साथ अन्याय कर रहा है। जिस प्रकार कल माउंट आबू नगरपालिका से 160 फाइलें गायब हुईं ये सीधा-सीधा अपनी कमियों को छिपाने के लिए पालिका के अधिकारियों ने षड्यंत्रपूर्वक फाइलों को गायब करवाया गया है। इससे पूर्व भी नगरपालिका से 300 फाइलें गायब हो चुकी हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर माउंट आबू नगरपालिका के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया जाए।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

रायसिख जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत रायसिख बिरादरी को पंजाब एवं हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी SC में शामिल करने के संबंध में विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि रायसिख बिरादरी (जाति) के लोग भारत के अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थायी रूप से बसे हुए हैं। देश के विभाजन के समय ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर भारत में आकर बस गये थे। इनका आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर काफी कमजोर है तथा इनका समाज जीवन स्तर पर बहुत पिछड़ा हुआ है। साथ ही शिक्षा के स्तर में भी मात्र एक प्रतिशत है। पंजाब के समीप अन्य राज्यों में इनको अनुसूचित जाति (SC) में शामिल किया गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंजाब में इस जाति को SC में शामिल करने का फैसला सुनाया है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कि इस जाति की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति को देखते हुए, इनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु राजस्थान में भी SC जाति में शामिल करने हेतु सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि इस पर विचार करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मीना कंवर (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली की आर.एस.एम.एम. में अनियमितताएं

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत खंगरों की भागल के नागरिक आर.एस.एम.एम. के कारण त्रस्त हैं। वहां खदान में खनन होने से समेता व धामधर ग्राम में दिनभर ब्लास्ट होते रहते हैं, लोगों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं। खान के लिए समेता की भूमि अवाप्त की। अब उन्हें सन् 2001 की दर से मुआवजा दिया जा रहा है, जो अनुचित है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी समेता व धामघर में पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यह जनजाति बहुल क्षेत्र है। स्थानीय युवाओं को माइंस में रोजगार नहीं है। गांव में श्मशान तक जाने का रास्ता भी आर.एस.एस.एम. ने खोद दिया है। मैं उस गांव में जाकर आया, वहां पानी की टंकी बनी हुई है। वह बिना ढक्कन की खुली थी। नागरिक व मवेशी दोनों उसी में से पानी पी रहे थे। आर.एस.एम.एम. द्वारा न्यायालय में वाद के बहाने ब्लास्टिंग की जा रही है। लोग त्रस्त हैं, लोगों का कहना है कि सरकार आज की दर से जमीन का मुआवजा दे, तो वे वाद हटा लेंगे।

(समय: 12.28 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरी जानकारी में आया है कि आर.एस.एम.एम. में निविदाओं में अनियमितता हो रही है। यहां निविदा संख्या 192/2022-23 दिनांक 03.10.2022 के अनुसार जो निविदा 14.10.2022 को खोली जानी थी, वह 28.10.2022 को खोली गयी। यह तारीख क्यों बदली गई? अभी हाल ही में आर.एस.एम.एम. में उत्पादित होने वाले डिस्पोजल प्रोडक्ट 'टेलिंग' के विक्रय की निविदा 23.11.2022 को खोली गयी। इस निविदा में उच्चतम क्रय दर की

(श्री धर्मनारायण जोशी)

निविदा वाली फर्म को कार्यादेश नहीं दिया जा रहा हैं। इस विषय में एक विशेष बिन्दु की ओर सदन का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, 'टेलिंग' के लिए इससे पूर्व हुई निविदा में उच्चतम दर मात्र 51 रुपये टन पर कार्यादेश हुआ था। दिनांक 23.11.2022 को हुई निविदा में उच्चतम दर 502 रुपया प्रति टन आने के बावजूद कार्यादेश न देने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही, यह विषय भी संज्ञान लेने योग्य है कि जिस उत्पाद की विक्रय दर आज 502 रुपया टन है, वो अब तक मात्र 51 रुपये टन में कैसे बिका? यह स्पष्ट रूप से घोटाला प्रतीत होता है, जिसकी जांच आवश्यक है। मुझे यह दरें देखकर लगता है, पूर्व के वर्षो में कम भाव पर निविदा देकर भारी घोटाला किया गया है, जो जांच का विषय है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री टीकाराम जूली।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2021-22)

1. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22;

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2021-22)

2. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22;

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2021-22)

3. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22.

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023, श्री टीकाराम जूली।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज माननीय मनोनीत राज्यपाल महोदय की तरफ से सायंकाल का भोजन भी है इसलिए समय की सीमा के अन्तर्गत 5.00 बजे तक हम हाउस को चलाना चाहते हैं तो दोनों ही बिल मैं एक साथ इंट्रोड्यूस करूंगा और दोनों ही बिल पर माननीय सदस्य अपनी बात कह दें, फिर उसको पास करेंगे।

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 माननीय मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को भी प्रस्तुत करें।

श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस बिल में कोई मोटा डिस्कशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को इन्कारपोरेट करने के लिए यह बिल है पर फिर भी माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसकी लिमिट रखें, क्योंकि मोटे तौर पर बिल का मतलब यह है कि जो बिल जिस परपज के लिए है, वह परपज सिम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं रखा गया है। वह इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। माननीय सदस्य अपनी बात व्यक्त करें, लेकिन मेहरबानी करके उस स्कोप को बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करें। यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 और नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार कर रहा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दोनों पर एक ही साथ विचार व्यक्त कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): और अध्यक्ष महोदय, आसन से जो आज्ञा मिली है वह बिलकुल सही मिली है कि दोनों संशोधन मूल रूप से बिलकुल समानता लिए हुए हैं। मूल रूप से यह जो संशोधन मंत्री महोदय लेकर आये हैं, यह श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992 में बना था। उसकी धारा 6 (3) के खण्ड 4 में और नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम जो मन्दिर आज राजस्थान में है उसमें सबसे पुराना अधिनियम यही है 1959 में बना, उसकी धारा 5 2(डी) में संशोधन लेकर आये हैं और संशोधन लाने के पीछे जो मकसद है

(समय: 12.34 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

कि इन दोनों मन्दिरों के प्रबन्धन में दोनों मन्दिरों के बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के अन्दर आप एक अभिव्यक्ति गूंगा, बहरा और कुष्ठ रोग से पीड़ित, इसको विलोपित करने का प्रस्ताव लेकर आये हैं और इस प्रस्ताव का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विरोध भी नहीं है। मगर इस प्रस्ताव की जो पृष्ठभूमि है, मंत्री महोदय, वह माननीय उच्चतम न्यायालय में, सभापति महोदय, विधि सेन्टर फोर लीगल पालिसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यह 2016 के अन्दर एक ऐतिहासिक निर्णय आया था और उसमें यह निर्धारित किया गया था कि कुष्ठ रोग कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कोई संक्रमण रोग नहीं है इसलिए इससे पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कलंकित होना या किसी प्रकार का भेदभाव होना, यह बर्ताव अनुचित होगा। सभापति महोदय, जैसा इस बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में लिखा है, यह जो विधि सेन्टर फोर लीगल पालिसी वर्सेज यूनियन आफ इंडिया, इसके आधार पर इस देश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 आया था और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की 13(2) जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में लिखा है, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं - "The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life and have the right to equal recognition everywhere as any other person before the law." यानी कानून के सामने एक समानता का अधिकार डिसेबल जो लोग हैं, जिनको प्रधान मंत्री जी ने दिव्यांग का नाम दिया, कानून के सामने वे समान हैं और उनको विधिक अधिकार भी समान हैं और यह जो, सभापति महोदय, यह राइट आफ लिव, जो जीने का अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल अधिकार है, मैं, मंत्री महोदय, आपसे इस बिल पर दो बातें कहूंगा। लम्बी बात नहीं कहूंगा, पर मैं आपका ध्यान 2021-22 में पैरा 118 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें आपने मुख्य मंत्री जी से दो साल पहले एक बात कहलायी कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिनको आज हम अधिकार दे रहे हैं श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम और नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम के तहत, उनकी कार्यकारिणी के अन्दर उनके प्रबन्धन में शामिल होने के लिए आपने इस सदन में यह घोषणा की थी कि सारे दिव्यांग लोग, 2021-22 पैरा 118, इनको आप बी पी एल के समान सुविधा देंगे। घोषणा हो गई और 13 अप्रैल, 2022, आपके सचिव महोदय ने एक आदेश भी निकाल दिया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं इसका स्वागत करता हूं प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आये हैं लेप्रोसी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, परन्तु आपने इस सदन में इन दिव्यांगों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के लिए जो बजटीय घोषणा की, मैं आपकी दूसरी घोषणा पर कतई बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है पर आपने खुद अपने विभाग से जो घोषणा करायी, आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आवास के अन्दर बी पी एल के समान इनको सुविधा नहीं है। इनको इलाज में नहीं है और इनका अलग से कोई कार्ड नहीं बना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप इन दिव्यांगों का अलग से कार्ड बनायें। मन्दिर के अन्दर प्रबन्ध कार्यकारिणी से लेकर मन्दिर में प्रवेश की बात भी ठीक है, पर जब तक इनको आप, पहली घोषणा की, उसका अधिकार नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा और सभापति महोदय, श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992 में बन गया, नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 में बन गया, दो-दो एक्ट बने हुए हैं।

आज सदन के अन्दर हम संशोधन लेकर आये हैं, उन पर विचार कर रहे हैं पर आपको ध्यान है, आपका जो देवस्थान विभाग है, मैं वह सूची लेकर आया हूं इस देवस्थान विभाग में 59,413 मन्दिर हैं। सभापति महोदय, जिसमें राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 390, आत्मनिर्भर 203, राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के 343, राजकीय सहायता प्राप्त 10,009 और वार्षिक एन्युटी, मतलब साल में एक बार सहायता देते हैं ऐसे हैं 48,406 हैं जो कुल 59,413 हैं। इनके साथ ही जो किराये के भवन में चल रहे हैं, और पंजीकृत प्रन्यास, जो ट्रस्ट हैं, जो ट्रस्ट से संचालित हैं, वे 9,006 हैं। आप ये जो संशोधन लेकर आये हैं, सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं यह ट्रस्ट एक्ट भी बना हुआ है। इस ट्रस्ट से संचालित 9,006 देवस्थान विभाग में जो पंजीकृत हैं, आज आप उन्हीं लोगों को जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, उनके प्रबंधन में क्या इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आये हैं? सभापति महोदय, मैं जिन श्रीमान् के सामने बात कर रहा हूं, आप खुद के इलाके में कलेक्टर विराजे हैं, आपके पास प्रशासन का अनुभव है। एज ए कलेक्टर आपके पास भी शिकायत आती रही। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर आज भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और आज भी कुष्ठ रोगी को जिस दृष्टि से समाज देखता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, कुष्ठ रोग का उन्मूलन भी हो रहा है, परंतु फिर भी गांवों में जो मंदिर हैं, जिन मंदिरों की संख्या मैंने बताई, 59,413, जो आपके पंजीकृत हैं, इनमें इनकी प्रबंध कार्यकारिणी, किसी न किसी रूप से है। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य उस सीकर के नगर से आते हैं, जिसको राजस्थान में छोटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

काशी कहते हैं। वहां हर गली में मंदिर हैं और हर गली के मंदिर में कोई न कोई इस प्रकार की प्रबंध कार्यकारिणी सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र में बनी हुई है। आज आप जो अमेंडमेंट सदन में लेकर आये हैं, उसके आधार पर क्या एक परिपत्र आप इन मंदिरों के लिए निकालेंगी? मेरा आपसे निवेदन है कि इन मंदिरों में निश्चित तौर पर आपको परिपत्र निकालना चाहिये।

सभापति महोदय, 'National Leprosy Eradication Programme' चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। सभापति महोदय, 2021 का जो health dozier है वह कहता है, मंत्री महोदय, आपको जानकारी होगी, 2022 में पूरे प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या मात्र 1,124 है, बड़ी संख्या नहीं है। मंत्री महोदय, एन एल ई पी की रिपोर्ट आप मंगवा लें चाहें, वह एन एल ई पी की रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में पिछले सात वर्षों में जिस प्रकार का अभियान 'National Leprosy Eradication Programme' के तहत भारत सरकार ने चलाया, 97.7 फीसदी लोग जो इस leprosy से पीड़ित थे, वे ठीक हो गये। (व्यवधान) सभापति महोदय, देखो आप, इतने गंभीर विषय पर और नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो विप्र समाज के अग्रज हैं। यह अपने आपको सबसे बड़े, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं।

श्री सभापति: बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे को जानते हैं।

श्री सभापति: नहीं, आपको ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सदन में आप जातिवादी मानसिकता से बात नहीं करो तो ही ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह उनसे पूछ लो, यह मेरी भलीमानसता को जानते हैं, मेरे रुतबे को नहीं, मेरे प्रभाव को जानते हैं। मैं आपकी तरह रुतबा नहीं रखता। (व्यवधान) मैं प्रभाव रखता हूं।

श्री सभापति: प्लीज कंटीन्यू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा था, इन कुष्ठ रोगियों के लिए पहले 1500 पेंशन की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बजट के रिप्लाई में कल शायद 2,500 हुई, आप मेरे को करेक्ट करेंगी। अब जो यह 1,124 रह गये, आप इनकी 10 हजार पेंशन क्यों नहीं करते? मेरी यह मांग है कि इनकी 10 हजार पेंशन करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अमेंडमेंट आज हम यहां लेकर आये हैं, 'The Hindu Marriage Act, 1955', 'The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956', 'The Special Marriage Act, 1954', The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939' and 'The Divorce Act, 1869', इन सबमें कुष्ठ रोगी का जो पहले आधार था, सभापति महोदय, डायवर्स करने में और दूसरे में कुष्ठ रोग एक आधार था। एक संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने इसको डिलीट किया है। यह सारे एक्ट जो मैंने अभी पढ़कर सुनाये, मंत्री महोदय, इन सारे एक्टों के आधार पर लाखों मुकदमे हिन्दुस्तान में चलते हैं और विवाह विच्छेद में इस leprosy को आधार मानकर अनेकों डिक्रियां होती थीं, आज उनको डिलीट कर दिया। सभापति महोदय, राजस्थान में कितने प्रचलित कानून हैं? राजस्थान में कानून बहुत हैं। मेरा बड़ी गंभीरता से सुझाव है और मेरे सुझाव पर इस सदन में और कोई ध्यान दें ...

श्री सभापति: सुनिए प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बात हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जरूर ध्यान देंगे। राजस्थान में जो प्रचलित विधियां हैं, इन सारी प्रचलित विधियों में भी जिस प्रकार का अमेंडमेंट लेकर आये हैं, उसी तरह एक राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, 1955 का बना है, इसमें एक अमेंडमेंट कर दें। मैं इस प्रोग्रेसिव कानून के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जब भारत सरकार इन एक दर्जन प्रचलित एक्ट में अमेंडमेंट लाकर इस leprosy को खतम कर सकती है तो क्या राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, 1955 में संशोधन लाकर जितनी भी विधियां प्रचलित हैं, उनमें इस कुष्ठ रोगी, गूंगा, बहरा को डिलीट करावें ताकि लोगों को अच्छा लगेगा।

मंत्री महोदय, आज हालत क्या है? देवस्थान विभाग में 59 हजार से ज्यादा मंदिर हैं और इनके जीर्णोद्धार और मरम्मत के कार्य के लिए 2022-23 में साढ़े तीन करोड़ रखे और खर्च किये 11 लाख 35 हजार। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप जब से भारत जोड़ो यात्रा में गये और वहां राहुल गांधी जी के कहने पर आप यह अमेंडमेंट तो ला रहे हो, पर मैं राहुल गांधी जी को यह शिकायत करूंगा कि आपने जो 59 हजार मंदिरों के लिए साढ़े

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तीन करोड़ के बजट का प्रोविजन किया और उसको भी आपने खर्च नहीं किया तो मंत्री महोदय, आपकी टिकट खतरे में पड़ जायेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालात क्या हैं? आज देवस्थान विभाग में जो इनके 857 रजिस्टर्ड मंदिर हैं, पब्लिक ट्रस्ट डिपार्टमेंट ने सात साल पहले 2015 में सर्वे किया तो 32,000 बीघा जमीन में से 14,000 बीघा जमीन जो डेढ़ लाख करोड़ की है, उस पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस जमीन के बारे में, मंत्री महोदय, अभी आपने रुद्राभिषेक किया, क्यों किया, वह मेरे को मालूम है। आप घबराओ मत, इन मंदिर माफी की जमीन का अगर आप सर्वे भी करा लेंगी तो उस कष्ट से पार पा जाएंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, आज पंडित, पुजारी प्रोटेक्शन बिल के नाम पर वे लोग बाहर धरने पर बैठते हैं। प्रदेश में लगातार पुजारियों की हत्या, आत्महत्या, करौली, सपोटरा, दौसा, महुवा, भरतपुर, जालोर में हो रही है। महुवा के मामले में डाक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ जो समझौता किया, उस समझौते की कापी भी आप कहोगे तो मैं ला दूंगा, उससे भी सरकार मुकर गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारे मामलों को निश्चित तौर पर आप देखें।

सभापति महोदय, आज ये कानून लेकर आये हैं, अच्छी बात है। दो एक्ट से हमारे मंदिर संचालित हैं पर क्या राजस्थान में 59,000 हजार मंदिरों में नियमित पूजा होती है? नियमित पुजारी नहीं जाता, मंदिरों के ताले नहीं खुल रहे, मंदिरों की साफ-सफाई नहीं हो रही। अब जब राहुल जी के कहने पर आप यह कर रही हो तो कम से कम इनका प्रबंधन भी करो। वह पुजारियों की परीक्षा जो पिछले कार्यकाल में हुई थी, उसी तरह पुजारियों की भर्ती करो, नहीं तो परम्परागत रूप से ईश्वर से जिनका संबंध है, उन प्रकांड पंडितों को इसमें शामिल करके उनकी भर्ती करो, ताकि मंदिरों में पूजा हो जाये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12 सितम्बर, 2018 को भारतीय जनता पार्टी के समय में एक निर्देश जारी हुए थे, मंदिर माफी की जमीन के लिए विस्तृत परिपत्र जारी हुए थे और उसमें लिखा गया था कि मंदिर की मूर्ति पर्पेचुअल माइनर है और अगर मंदिर माफी की जमीन पर अतिक्रमण होगा तो उसकी बेदखली की कार्यवाही उसी प्रकार की होगी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस प्रकार सरकारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। आप टोकोगे तो मैं बात रोक दूंगा, पर जब मंदिर की चर्चा हो रही है, मंदिर के साथ मंदिर माफी की जमीन की चर्चा होगी और मैं समझता हूं जिस सदन में कल्ला जी आप विराजे हों, आप इस संस्कृति के पोषक हो, संस्कृति के ज्ञाता हो, आज हालात क्या हैं? राजस्थान में मंदिर माफी की जमीन भू-माफियाओं की नजर में जहां चढ़ी, यह चढ़ी थी सपोटरा में, वहां बाबू लाल वैष्णव को पेट्रोल डाल कर जला दिया। यह चढ़ी थी जयपुर में मुरलीपुरा में लक्ष्मीनारायण मंदिर में, उस गिर्राज को आत्मदाह करना पडा। राजसमन्द में देवगढ़ में नवरतन लाल को पेट्रोल बम से उड़ा दिया। ये हालत किस प्रकार के हैं?

श्री सभापति: माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, मैं निवेदन करता हूं कि ये दो मन्दिरों के बारे में स्पेसिफिक बिल आया है। आप थोड़ा-सा इधर-उधर जा रहे हैं। इसी पर बोलें तो आई थिंक, ज्यादा ठीक रहेगा।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इस ज्ञान को किसी और दिन काम में लेना। आज नाथद्वारा और सांवलिया जी के बारे में चर्चा करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि सदन में हम कुछ भी बोलते हैं, वह रिकार्ड पर जाता है। मंत्री महोदया, आपने बोलकर इन सारे मन्दिरों और पंडितों का जो विरोध किया है, ऐसे-ऐसे यहां से निकालकर जाऊंगा और सिकराय के गली-कूचे में जाकर बताऊंगा कि आपका असली चेहरा क्या है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इन्होंने विरोध नहीं किया है। इन्होंने तो केवल नाम लिया है कि स्पेसिफिक पर ही बोलें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जिन मन्दिरों की चर्चा चल रही है, उनके बारे में भी कुछ तो बात कीजिये, क्योंकि अध्यक्ष जी कहकर गये हैं कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। हम आप जैसे विद्वान व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम उनके बारे में भी कुछ बोलेंगे। आप उस बात को भूल ही गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं हर साल सांवलिया सेठ के दर्शन करने जाता हूं और मैं नाथद्वारा भी जाता हूं। मैं आपकी तरह +++ नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आशीर्वाद तो लाओ। दोनों के आशीर्वाद से 'ज' से 'झ' पर पहुंचो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं मेरी बात को समाप्त करूं, उसके साथ ही मैं यह जरूर कहूंगा कि..

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, मुझे आपत्ति है कि इन्होंने मुझे +++ कैसे बोला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप +++ हो।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, मैं अपने माथे पर मेहंदीपुर के बालाजी का तिलक लगाकर आयी हूं। इन्होंने यह कैसे बोला? सभापति महोदय, मुझे इस बात की आपत्ति है।

श्री सभापति: +++ वाला डिलीट कर दीजिये।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं इनके जैसे दिखावे वाली आस्तिक नहीं हूं। सभापति महोदय, यह डिलीट करवाइये। मुझे इस बात पर आपत्ति है।

श्री सभापति: डिलीट करा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं माफी मांगता हूं। ये सदन में हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दें, मैं मान जाऊंगा कि ये आस्तिक हैं।

"जय हनुमान ज्ञान गुन सागर,
जय कपीस तिहुं लोक उजागर
रामदूत अतुलित बल धामा,
अंजनि पुत्र पवनसुत नामा,
महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी..."

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ऐसा करो। आप सुना दो और मैं भी सुना दूंगा।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, बैठिये।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): मैं सुना देता हूं:-

"श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि
बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि

(श्री रामलाल जाट)

बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार

बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार.''

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह मन्दिर माफी की जमीन के बारे में जो परिपत्र भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 12 सितम्बर, 2018 को जारी किया, जिसमें मन्दिर की मूर्ति को पर्पेचुअल माइनर माना और यह कहा था कि मन्दिर का पुजारी सब-टीनेंट हो सकता है, पर इस जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। इस परिपत्र के आधार पर सरकार को सावचेत होकर कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही जोधपुर न्यायालय के निर्णय तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार 15 जुलाई, 2015 को जो पांच इश्यु फ्रेम किये गये थे। सभापति महोदय, मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, उन इश्यु के आधार पर मन्दिर की जमीन को बचायें। जो परम्परागत पुजारी हैं, देवस्थान के मन्दिरों में पूजा हो, इसका प्रबन्ध करो। थोथी बात करने और इस प्रकार के एक्ट लाने और जय सियाराम कहने से आप राम भक्त नहीं होंगे। राम सेतु तुड़वाने वाले लोग हो आप। भगवान राम की आस्था पर सवाल खड़े करने वाले लोग हो। (व्यवधान) आप यह बिल लाकर अपने चेहरे पर नकाब लगाना चाहते हो, जिसमें आप कामयाब नहीं होंगे।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप धर्म की परिभाषा बता दें कि धर्म किसे कहते हैं? आप बता दें कि हिन्दू किसे कहते हैं?

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): पहले भी आपको सौंपा गया था और अब भी आप ही इसका विश्लेषण करेंगे।

श्री सभापति: बैठिये। श्री अशोक लाहोटी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कल्ला जी से टक्कर लेकर दिखाओ। आपको पता लग जायेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, लम्बी-चौड़ी बहस कर रहे हैं। रफीक खान जी भी यह बताने लग गये कि हिन्दू किसे कहते हैं? भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिन्दू है। यह धर्म नहीं है, यह तो अपने आप में एक जीवन शैली है। हर व्यक्ति हिन्दू है। इसमें रफीक खान जी थोड़े ही बतायेंगे।

सूचना

मारवाड़ जंक्शन में लापता श्री श्रवणसिंह के शव की बरामदगी पश्चात् प्रकरण की समुचित जांच

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात दिन से श्री श्रवण सिंह नाम का लड़का लापता था। उसकी बॉडी मिल गयी है। मैं चाहता हूं कि उसकी जांच हो। क्षत-विक्षत हालत में उसकी बॉडी मिली है। उसकी सही जांच हो और परिवार को न्याय मिले।

श्री सभापति: आ गया है। आपने लिखित में दे दिया है, आ गया।

विधेयक पर विचार

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

व श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, श्री सांवलिया जी मन्दिर अधिनियम, 1992 की धारा 6 और उप धारा 3 एवं श्री नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 की धारा 5 एवं उप धारा 2 में, अभी उप नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने अभी विस्तार से इस बारे में बताया। यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, 2016 के उस फैसले के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 13(2) में यह उपबंध करती है कि 'दिव्यांगजन जीवन के सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करें और विधि समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें।'

सभापति महोदय, आप इसमें एक जो डिलीट करके उसकी जगह इंसर्ट कर रहे हैं- इसमें उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति जो बहरा, गूंगा या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। श्री सांवलिया जी मन्दिर बोर्ड और श्री नाथद्वारा मन्दिर के बोर्ड में अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए और दर्शन करने के लिए निरर्हता के जो खण्ड हैं, उनको हटाने का विनिश्चय किया है। सभापति महोदय, मैंने पहले भी सदन में कई बार कहा है कि जब कोई बिल लाया जाता है तो एक्ट में एक लाइन के लिए बिल नहीं लाया जाता है। जब कभी बिल लाते हैं तो उस बिल से सम्बन्धित जितनी भी चीजें हैं, उन सब को कन्क्लूड करके बिल से सम्बन्धित जो चीजें हैं, उनको इन्कारपोरेट करके। यह

(श्री अशोक लाहोटी)

बिल ठीक उसी प्रकार से आया, जिस प्रकार से एक माननीय मंत्री जी को को-आपरेटिव में मदद करने के लिए एक लाइन का बिल लाया गया। हमने इस्तीफा दिया और आप मंत्री बन गये। इस प्रकार से छोटी-छोटी चीजों के लिए बिल लाना सदन का अपमान है। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं। मंत्री जी, मैं तो आपको ही कह रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, किसी मंत्री पर बिना नोटिस के आरोप लगाना नियमों में निषेध है। इन्होंने जो बातें कही हैं, आप उन्हें एक्सपंज करिये। नोटिस दिये बिना मंत्री पर आरोप लगाना नियमों के विपरीत है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप हर बात में खड़े क्यों होते हैं? मंत्री जी, बैठे हैं। मैं तो मंत्री जी से बात कर रहा हूं। आप जबरदस्ती हर बात में खड़े क्यों होते हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस तरीके से करना गलत है। (व्यवधान) संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। आप बार-बार खड़े क्यों होते हैं? कल आपने मेरे दस मिनट खराब कर दिये थे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिना नोटिस दिये ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप यहां जबरदस्ती हर बात में खड़े क्यों होते हैं? यह क्या बात हुई? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसको एक्सपंज करें। मंत्री पर टिप्पणी करना...(व्यवधान) यह रिकार्ड पर जायेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या आप एक्सपंज करने के लिए गाइडलाइन देंगे? (व्यवधान) आप गाइडलाइन देंगे? आप गाइडलाइन देने वाले कौन होते हो? एक्सपंज करने के लिए गाइडलाइन देने वाले ये कौन होते हैं?

श्री सभापति: प्लीज, सुनिये। जो माननीय सदस्य ने बोला है, मैं रिकार्ड से उसको चैक करके बाद में निर्णय दे दूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैंने केवल उदाहरण

(श्री अशोक लाहोटी)

दिया था कि बिल का एक व्यापक स्कोप होता है। वह स्कोप इसलिए होता है कि जब भी बिल आता है तो उस बिल से सम्बन्धित, चूंकि यह बिल मन्दिरों से सम्बन्धित है, दोनों मन्दिरों पर एक्ट हैं, दूसरे मन्दिरों पर भी वही एक्ट लागू होता है। जब सारे मन्दिरों पर एक्ट लागू होता है तो क्या एक-एक मन्दिर के लिए अलग-अलग बिल लायेंगे। मेरा यह कहना है कि जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो इस तरह के उपबंध जहां-जहां पर भी हैं, उन सभी मंदिरों के एक्ट को कन्क्लूड करके एक साथ लाते। देवस्थान विभाग से सम्बन्धित जितनी भी चीजें हैं, जो अनियमितताएं चल रही हैं, देवस्थान विभाग में जो सुधार की गुंजाइश है, हम सब सदन में बैठकर सार्थक चर्चा करते कि किस प्रकार से हमारे मन्दिरों का संरक्षण हो, किस प्रकार से मन्दिर में पुजारी और पंडित, जो पूजा करते हैं, उनके संरक्षण की बात हो, राजस्थान में जिस प्रकार से मन्दिर खुर्द-बुर्द हो रहे हैं, उसकी बात हो। इन सब चीजों को इन्कारपोरेट करके बिल में एक साथ लाया जाता तो उस बिल की सार्थकता होती।

मैं इसमें कुछ बिन्दु जोड़ना चाहता हूं। मैंने जो अमेंडमेंट दिया है कि इसको क्यों जनमत जानने के लिए दिया है, उसमें इन बिन्दुओं को इन्कारपोरेट किया गया है। सभापति महोदय, मैं सदन में कहूंगा, जैसे कि माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने बताया कि अकेले देवस्थान विभाग में 59,413 मन्दिर हैं। मंत्री महोदय, इन मन्दिरों की हम सबने स्थिति देखी है। यह आपसे भी छिपी हुई नहीं है। कई बार अनौपचारिक रूप से आपकी और मेरी चर्चा भी हुई है। आज मन्दिरों की स्थिति क्या है? उन मन्दिरों के बारे में हम सोचें। 75 साल बाद भी अगर हम सोचकर ठीक नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। यह मैं जिम्मेदारी के साथ सदन में इसलिए कह रहा हूं कि आज मन्दिरों की जो स्थिति है, मैं सदन में मांग करता हूं कि मंदिरों में 2 हजार यूनिट तक बिजली बिलकुल मुफ्त दी जाये, पानी निःशुल्क किया जाये, यह बिल में जोड़ा जाये। पुजारी, पंडित, धर्मगुरू, कथा वाचक, इनके प्रोटेक्शन को भी बिल में साथ जोड़कर इसमें लाना चाहिए, ताकि इनको जोड़कर इनको बहाल किया जाये। मन्दिरों में व्यवस्था व प्रसाद के लिए 10 हजार रुपये भत्ता प्रति मन्दिर दिया जाए, यह इसमें जोड़ना चाहिए। केवल हम एक अमेंडमेंट के लिए बिल लाए हैं। ये सब चीजें इस बिल में जुड़नी चाहिए।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज सदियों से, वैदिक काल से, सनातन काल से परम्परागत रूप से मंदिरों की पूजा करता है। हम मंदिरों के लिए कोई अलग से एग्जाम तो करते नहीं हैं तो इस पूजा के लिए तो अब समय आ गया कि 75 साल बाद भी पूजा के लिए इस एक्ट में प्रावधान करके उनको संरक्षित किया जाए। इसमें पुजारियों की सुरक्षा का प्रावधान किया जाए। जैसे अभी हमने देखा और ये 01/12/2022 को दैनिक भास्कर ने हैडलाइन लिखी थी, हे भगवान, प्रदेश में पुजारी मारे जा रहे हैं। मंदिर माफी की डेढ़ लाख करोड़ की 14 हजार बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। खुद सरकार के सर्वे में, सरकारी सर्वे में माना है कि मंदिरों की 6 हजार 35 हैक्टेयर जमीन में से 40 फीसदी पर अतिक्रमण हैं।

(समय: 13.00 बजे)

सभापति महोदय, यह अतिक्रमण आज से नहीं छूटेगा। यह एक्ट आया था, आजादी के समय 1949 में मंदिर, इनकी धर्मशालाओं के लिए प्रबन्ध एवं सुचारु संचालन हेतु आपका विभाग बना था। 1959 में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम आया था। इन दोनों को इसके साथ इन्कारपोरेट करके, उस समय के पूरे मानचित्र और रूपरेखा के आधार पर आज देवस्थान विभाग के सभी मंदिरों को हम जिओ टैगिंग व जिओ मैपिंग करें ताकि आगे से इन पर कब्जा नहीं हो और जितनी जमीनों पर कब्जे हो गये, जितनी जमीनों के नामांकन गलत खोले गये हैं, जितनी जमीनों के नामांकन भू-माफियाओं ने दर्ज करवा लिए, उन सभी नामांकनों को इसी विधान सभा में एक्ट लाकर रद्द करना चाहिए, वरना ये फाइलें घूमती रहेंगी। यदि हम ये एक्ट नहीं लाए तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। यह केवल एक छोटा-सा विषय नहीं है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में यह कह रहा हूं कि जैसा अभी कहा कि पंडित, पुजारियों की हत्याएं हो रही हैं। सपोटरा, दौसा, भरतपुर, जालौर, डीग, अजमेर, मुरलीपुरा, हाल ही में राजसमंद, देवगढ़ में पेट्रोल बम फैंका गया और महुआ की घटना में तो मैं स्वयं धरने पर था और उस समझौते का मैं भी गवाह हूं, जब चीफ सेक्रेटरी के कमरे में समझौता हुआ। किरोड़ी लाल जी और सब लोग थे। उस समझौते की प्रति आज भी लागू नहीं हुई है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, अभी सदन में चर्चा आयी कि आज मंदिरों में दिन-प्रतिदिन चोरी हो रही है, चाहे कोई सा भी विधान सभा क्षेत्र हो। क्यों हो रही हैं? अति-प्राचीन मूर्तियां हैं। केवल मैं यदि जयपुर की बात करूं तो पिछले 6 महीने में 22 चोरियां हुई हैं। विशेष रूप से जो बड़ी चोरियां हुई उनमें जैन समाज के मंदिरों में चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर, श्योपुर; विश्वेश्वरैया नगर, त्रिवेणी नगर, शक्ति नगर, महेश नगर, मुहाना मंडी, वर्धमान सरोवर, विवेक विहार, कल्याण नगर सहित जनकपुरी, इन मंदिरों में व्यापक चोरियां हुई हैं। चोरियां तो हुई, चोरियों के बाद में वीडियो में वहां पर चोरियां पकड़ी गई। चोरियों के तथ्य दे दिये, सबूत दे दिये, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या उसको प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, I would like to interrupt you. आज जो आपके सामने हैं, आपके कंसीडरेशन के लिए हैं, दोनों मंदिरों में जो क्वालिफिकेशन हैं, उस पर चर्चा हो रही है। दूसरा, मैं निवेदन करता हूं देवस्थान का सब्जेक्ट डिस्कशन में रखा हुआ है आगे, अगर इधर-उधर की बात और भी कोई करनी हो देवस्थान के बारे में, तो आपको एक अपार्च्युनिटी और है। आपका देवस्थान का है, माननीय मंत्री महोदय, मुखबंद में थोड़े ही है, डिस्कशन में है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, डिस्कशन में नहीं है।

श्री सभापति: आपको उस वक्त अपार्च्युनिटी है। आज तो मेरे विचार से इसी पर बोलिए, प्लीज। बहुत लोग हैं बोलने वाले।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि बिल जो है उसको हमको समझने की आवश्यकता है। जितना मैंने पढ़ा है कि एक लाइन के लिए बिल लाना और एक बिल पर व्यापक चर्चा करना दोनों में फर्क है। चूंकि ये बिल मंदिरों से संबंधित है और यदि मंदिरों की बात नहीं कहेंगे तो एक लाइन में तो बिल का कुछ है ही नहीं, मुखबंद भी कर सकते हैं। इसको मुखबंद करके भी लाया जा सकता था। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि मंदिरों पर यदि आज हम चर्चा नहीं करेंगे तो इन मंदिरों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? राजस्थान के सदन से, राजस्थान की 8 करोड़ जनता उम्मीद से देख रही है कि राजस्थान का सदन उनको संरक्षित करे।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही और कहूंगा, इन सबके साथ-साथ आज आवश्यकता है कि लम्बे समय से मांग चल रही है कि मंदिरों को पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से मस्जिदें, वक्फ की संपत्तियां, चर्च की संपत्तियां, ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं, ठीक उसी प्रकार से मंदिरों को भी अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जिस तरह दक्षिण भारत के ट्रस्ट चलते हैं, उस प्रकार से राजस्थान में भी उन ट्रस्टों को उनका संचालन करने दिया जाए। सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए। ये मंदिरों के अधिकार क्षेत्र में सरकार का जबरदस्ती का दखल, जबरदस्ती का नियंत्रण भू-माफियाओं को संरक्षित करता है और न मंदिरों को संरक्षित कर रहा है, न पुजारियों को संरक्षित कर रहा है, न राजस्थान की जनता को संरक्षित कर रहा है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस बिल को तसल्ली से, इन सब उपबंधों को जोड़कर, इन्कारपोरेट करके इस बिल को ठीक प्रकार से बनाकर लाया जाए तो हम सदन के माध्यम से मंदिरों के साथ भी, पुजारियों के साथ भी, देवस्थान विभाग के मंदिरों के साथ भी न्याय कर पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, सांवलियाजी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 और नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022, इन दोनों पर चर्चा के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति जी, दोनों में जो संशोधन सरकार लेकर आयी है, नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (2) का संशोधन और इसमें 1992 का अधिनियम सं. 8 की धारा 6 की उप-धारा (3) का संशोधन लायी है। सुप्रीम कोर्ट मे विधि सेंटर फोर लीगल पालिसी बनाम यूनियन आफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुष्ठ रोग कोई संचारी रोग नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है और इस रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के कलंक या भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्यों को उन उपबंधों, जिनमें कुष्ठ रोग को कलंकित दिव्यांगता के रूप में माना गया है, के निरसन के संबंध में उठाये गये कदमों के बारे में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

(श्री बिहारीलाल)

केन्द्र सरकार इसी सन्दर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 13(2) में यह उपबन्ध करती है कि दिव्यांगजन, जीवन के सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें।

केन्द्र का उक्त बिल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सात वर्ष पहले आये और हम दशकों तक, 1959 से लेकर अब तक और 1992 से लेकर अब तक गूंगे-बहरे न होते हुए भी, गूंगे-बहरे बने रहे। इनके अधिकारों से इनको वंचित किया। अब ये एक लाइन का संशोधन सरकार लेकर आयी है, ठीक है, अच्छा संशोधन है। इतने वर्षों बाद संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और केन्द्र के बिल के बाद आया, लेकिन ये बिल किस संदर्भ में आया है और किस यात्रा में? जब सब लोग जय श्रीराम का नारा बोलते हैं, तब कुछ लोग कहते हैं कि सियाराम बोलना होगा और माननीय मंत्री जी वहां आश्वासन देती हैं कि मैं इस तरह का बिल लेकर आ रही हूं और बिल पर एक लाइन के संशोधन में, आपने, माननीय सभापति जी ने फरमाया है कि आगे देवस्थान पर चर्चा का स्कोप है। डिमांड्स में ऐसा कुछ कहीं है नहीं। जब राजस्व रिकार्ड में पुजारियों के विलोपित नाम पुन: राजस्व रिकार्ड में जोड़े जाने के संबंध में बात आ रही है तो पिछली वसुन्धरा जी की सरकार ने 12/09/2018 को ही आदेश कर दिए। पुजारियों के नाम जमाबन्दी में लिंक करने का आदेश किया जा चुका है। उसके बाद भी यह काम अभी तक नहीं हुआ है। इसके नहीं होने से मंदिर भूमि के विकास से संबंधित विभाग के अनुसार वहां विद्युत, पेयजल, ट्यूबवैल आदि के कनेक्शन नहीं हो पाते। फसल खराबी की स्थिति में नियमानुसार सहायता, अनुदान नहीं मिलता। कृषि विभाग की योजना के अनुसार पात्र होते हुए भी बीज, कृषि उत्पादन आदि पर नियमानुसार मिलने वाले अनुदान प्राप्त नहीं होते। राज्य सरकार की अन्य योजनाएं जिनमें भूमि रहन न होती हो, उनका यथा प्रावधानानुसार लाभ नहीं मिलता।

माननीय सभापति जी, जिस तरह मंदिरों का वर्गीकरण है। अलग-अलग केटेगरी में, देवस्थान के 59,413 मंदिर हैं, निजी ट्रस्ट के 9,006 मंदिर हैं। सामाजिक प्रकार के, राजकीय प्रकार के मंदिर, सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित, व्यक्तिगत संचालित, रियासतकालीन मंदिर, जातिगत सामाजिक स्तर पर संचालित मंदिर, निजी संचालित, ग्रामीण व शहरों में

(श्री बिहारीलाल)

मंदिर समितियों द्वारा गठित निजी जन सहयोग से संचालित मंदिर, इन सब में राजस्थान में लगभग संवत् 2000 से 2004 की अवधि के प्रथम भू-प्रबन्ध के दौरान पुरातन रूप से रियासतकालीन पूजा स्थलों, मंदिर, मठ के नाम से, मंदिर, मूर्ति, मठ, पूजा स्थल के नाम भूमियां रिकार्ड में दर्ज हुईं जिनमे महंत का नाम बतौर संरक्षक दर्ज किया गया था। इनका नाम हटा दिया गया। नाम हटाये जाने से इनको बहुत नुकसान हुआ और भूमाफियाओं की और गुंडा तत्वों की नजर इन कीमती ज़मीनों पर पड़ी। 1991 से लेकर 2022 तक सरकार ने क्या किया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो दो अमेंडमेंट्स हैं, उन पर आ जाइए आप।

श्री बिहारीलाल (नोखा): जैसा हमारे माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि देवता जब शाश्वत नाबालिग हैं तो वहां पर पुजारियों, काश्तकारों को राजस्व अभिलेख से हटा देना, इसका जिन जिलों में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, पिछली सरकार के आदेश के बावजूद, उनको किया जाए। दशकों बाद इस बात की चिंता हुई तो संशोधन में हम इस बात का समर्थन करते हैं लेकिन ये जो बहुत बड़ी मांग माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने उठाई, अशोक जी ने कही, मैंने कही, मंदिर माफी से जुड़ी जमीनों पर पूरे वर्ग को संबल प्रदान कीजिए। वापस उनके नाम जोड़े जाएं। माननीय सभापति जी, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे श्री नाथद्वारा मन्दिर एवं श्री सांवलिया सेठजी मन्दिर के संशोधन विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन है, यह एक बहुत ही अनावश्यक प्रयास है और यह बात मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि बचपन से इन दोनों मंदिरों में हम लोग जाते आये हैं, देखते आये हैं, वहां की व्यवस्थाएं देखते हुए आये हैं।

जिस तरीके का यह संशोधन आया है, एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कितने डिसीजन हैं जिनके अन्दर यह कहा गया है और यह आया है कि मन्दिर चलाना सरकार का काम नहीं है। यह

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

सरकार के उसमें नहीं आता है कि एक मन्दिर किस तरीके से चलना चाहिए या वहां का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। ट्रस्ट बनता है और उस ट्रस्ट के अकोर्डिंग मन्दिर चलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार यह बात आती है कि हम लोगों को इन दोनों मन्दिर पर ही बोलना चाहिए। इसलिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी विषयवस्तु रखी है मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि मैं बहुत नई वक्ता हूं और अगर बोलेंगे तो थोड़ा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, सरकार जो यह संशोधन लेकर आयी है इस विधेयक में और यह बात कही है कि किस तरीके से एक लाइन का यह संशोधन लाये हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि डिसेबिलिटी के लिए स्पेशियली एबल्ड जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें सरकार कर सकती है और उन्होंने बहुत घोषणाएं की हैं। बहुत अलमअलग तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम मोटिवेट कर सकते हैं, एक अच्छी जीवनी के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकते हैं। मन्दिरों को ही इस तरीके से क्यों माना जाता है तो कुछ नहीं है तो मन्दिर में कर लें। चिकित्सालय, आर्मी या पुलिस को जितना सीरियस हम लेते हैं, उतना सीरियस हम कभी भी मन्दिरों को क्यों नहीं लेते? यहां का प्रबंधन भी उतना ही सीरियस है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहां पर आते हैं और जिन दो मन्दिरों की आज चर्चा हो रही है, पर दिन में इतने दर्शनार्थी आते हैं और वहां पर रहते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं में हम क्या अच्छा ला सकते हैं, उस बात पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन नाथद्वारा मन्दिर और सांवलिया सेठ मंदिर, ये दोनों मन्दिर पूरे राजस्थान में और स्पेशियली अगर हम कहें तो मेवाड़ में एक बहुत ही बड़ी भूमिका रखते हैं। एक कृष्णा सर्किट, मैं आदरणीय प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिनकी वजह से यह बनने वाला है और आने वाले टाइम में यहां पर इतने सारे दर्शनार्थी बढ़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कहीं न कहीं यह जानकर मन में बहुत

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

पीड़ा और दु:ख होता है कि इन मन्दिरों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। शिरड़ी मन्दिर है, माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय किरणजी की उसमें बहुत आस्था थी और हम भी बचपन से वहां पर जाते आये हैं। बचपन से आज तक 35 साल की उम्र में मैंने सिर्फ वहां पर बढ़ोतरी ही देखी है। जिस तरीके से शिरड़ी टेम्पल ट्रस्ट ने वहां पर जितना भी अतिक्रमण हटाया, मैं अतिक्रमण नहीं बोलूंगी, उस टेम्पल को किस तरीके से बढ़ाया है, वहां पर उन्होंने टेम्पल ट्रस्ट से करीबन 5,500 लोगों को खाना, मात्र दो रुपये की चाय, तीन रुपये की काफी, सात रुपये में भोजन की व्यवस्था होती है प्रतिदिन। वहां पर एक कालेज का निर्माण हुआ है, वहां पर रहने की सुविधाएं बहुत ही कम रुपये में मिलती हैं, वहां पर अभी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप दोनों अमेंडमेंट पर आ जायें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, मैं उसी अमेंडमेंट को इससे लिंक कर रही हूं कि हम क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव बात ही कर रही हूं, मैं प्रोग्रेसिव बात ही कर रही हूं।

मैं इस सदन में यह बात नहीं कर रही हूं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उस बात पर नहीं जा रही हूं। हम इसमें क्या अच्छा ला सकते हैं, सदन के पटल पर इसलिए मैं यह बात कहना चाहूंगी कि करीबन 20 एकड़ भूमि में 166 करोड़ रुपये की लागत से साईं बाबा के जीवन चरित्र और हिंदू धर्म पर आधारित एक साईं नालेज पार्क विकसित कर रहे हैं तो जब वे यह कर सकते हैं तो हम यह क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इस सदन में इस बात पर चर्चा ही नहीं होती है कि हम किस तरीके से इस धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, हिंदू धर्म को हम आगे बढा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, करीबन 25 परसेंट आय अगर हम इस बात पर स्पेंड करें कि हम हिंदू धर्म को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तिरुपति बालाजी मन्दिर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने तुलसी विवाह, जगह-जगह पर उन्होंने पूरे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में करने लगे हैं जिसकी वजह से धर्म के प्रति लोगों का बहुत ज्ञान बढ़ता है और युवाओं के लिए स्पेशली यह बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, एक और मन में पीड़ा होती है कि जब यह जानते हैं कि सरकार इन मंदिरों को चलाना चाहती है। कलेक्टर, एक्स-

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

आफिशियो कलेक्टर, आर.ए.एस. आफिसर से इन मंदिरों को चलाना चाहती है, लेकिन सांवलिया सेठ मन्दिर में, श्री नाथद्वारा मन्दिर में एक समिति बैठी है जिसके मन्दिर के अधिनियम धारा 5 और 2 में यह स्पष्ट लिखा है कि नाथद्वारा मन्दिर में हिन्दू धर्म एवं पुष्टिमार्गीय वल्लभ सम्प्रदाय को मानने वाले ही प्रबंध मण्डल में सदस्य बनाये जा सकते हैं तो हम उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। यहां पर यह क्लियरली लिखा है कि हिन्दू धर्म के लोगों को ही आगे बढ़कर उन मंदिरों का प्रबंधन करना चाहिए।

यहां पर चर्चा यह होनी चाहिए कि विधान सभा में एक कमेटी बनाएं, एक कमेटी ऐसी बने जहां पर क्लियरली यह लिखें कि उस कमेटी में लोग जो हिन्दू धर्म को समझ सकते हों, जो उस धर्म को आगे बढ़ा सकते हों, वैसे लोग उसके पार्ट हों और वे लोग मिलकर कहीं न कहीं इन मंदिरों में कितना अच्छा कर सकते हैं और इस मन्दिर मंडल की तरफ से जो भी दान पेटी खुलती है और इतनी सारी चीजें आती हैं तो उसका हम वहां के लोगों के लिए कैसे सदुपयोग कर सकते हैं?

देवस्थान विभाग जहां पर पुजारियों को वेतन की बात आती है तो उन लोगों को, पुजारियों को तो सुविधाओं से हम महरूम रखते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, मैं विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं, अमेंडमेंट आपके सामने यह है - 'or a deaf-mute or suffering from leprosy' shall be deleted. एक लाइन का अमेंडमेंट दोनों में ही है, उस पर आ जाइये, प्लीज और फिर जब देवस्थान का डिस्कशन हो तो you have liberty to speak.

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, बिलकुल आपकी बात एकदम सही है पर जैसा कि पूर्व वक्ता ने यह बात कही थी कि कभी चर्चा होती नहीं है तो उस मन्दिर के बारे में हम कहां पर बात रखें? उन मन्दिरों में अच्छी सुविधाओं के लिए हम कहां पर बात रखें?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि जो स्पेशियली एबल्ड के लिए हमें काम करना चाहिए वह सरकार अच्छे से करे, उसको मन्दिरों से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मन्दिरों को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, हिंदू धर्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम कभी

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

भी यह नहीं बोलते, कोई भी हिन्दू यह नहीं बोलता कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि सिख धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उनको हमने सरकार के नियमों के अंतर्गत नहीं रख रखा है, वैसे ही हिन्दुओं के जितने भी मन्दिर हैं उनको भी इस सरकारी नियंत्रण से मुक्त करें और ऐसी समिति गठित करें जिससे हिन्दुओं को भी एक प्रोग्रेसिव-वे में हम सोचकर उनके बारे में क्या कर सकते हैं, उस धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं और इन मंदिरों के उपयोग को लेकर, माननीय सभापति महोदय, साउथ राजस्थान में धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है और हम सब यह जानते हैं।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल। थैंक यू।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आप कन्क्लूड करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड कर लीजिए। प्लीज, हां। करिये आप।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक मिनट में मैं कन्क्लूड कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक को वापस ले एवं दोनों अधिनियम की समग्र समीक्षा और सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सदन में एक समिति गठित हो जिससे कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव डिसीजन निकल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मन्दिर हमारी आस्था है। जहां पर भी छोटे-बड़े स्थान हैं, वहां हम गांव और ढाणी में पूजते थे और आज भी पुराने जमाने में गांव की एक समिति बनी हुई होती थी, स्टेट टाइम में भी उनका लगान, लगान के लिए जमीन मन्दिरों के लिए देना और उनसे जो उपज होती थी, उसके द्वारा सेवा-पूजा करने का अधिकार था। वह धीरे-धीरे कम होने के बाद में अब यह देवस्थान विभाग के माध्यम से और इस पर सरकार को भी ध्यान देने की

(श्री हमीर सिंह भायल)

आवश्यकता होगी कि मन्दिर में वहां पुजारी अगर सही ढंग से पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब पुराना समय था, उसमें तो पुजारी से लगाकर समितियां और गांव की कमेटियां बनी हुई थीं, उनका रख-रखाव और सारी चीज होती थी, पर अब इस समय के आधार पर मैं आपको निश्चित रूप से यह निवेदन कर रहा हूं कि कोरोना काल में बाड़मेर जिले से लगाकर गुजरात, जहां तक अपना एरिया लगता था, वहां तक मैं गया हूं तो वहां उस कोरोना महामारी में पीड़ित जो पैदल चल रहे थे, इसके अलावा भी जो बीमार थे तो हर मन्दिर में जहां पर समिति बनी हुई थी, उस मन्दिर में उनकी सेवा हुई है। उनके खाने-पीने का प्रबंध हुआ है तो अपनी सरकार भी पुजारियों से लगाकर अब जैसे जो ज्यादा आमदनी होती है, उस मन्दिर में तो सरकार का ट्रस्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से होती है पर छोटे-मोटे मन्दिर हैं, जैसे मेरे एरिया में पंच तीर्थ के नाम से हल्देश्वर महादेव है तो इनका भी रख-रखाव बड़े मन्दिरों के आधार पर यह सरकार करे। पुजारियों को समय पर तनख्वाह मिले और उनकी पूरी देखभाल करें।

विधान सभा के अन्दर जब कोई माननीय सदस्य बजट के बारे में पूछते हैं कि पांच करोड़ रुपये जो तय कर रखा है, उसमें से एक साल में कितना खर्चा हुआ। कहते हैं कि दो लाख भी नहीं हुए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन्दिरों की आस्था जुड़ी रहे और मन्दिरों की जमीन पहले पुजारियों के नाम थी, उसमें संशोधन हो गया तो उनके लिए भी खाने-पीने को या रहने के लिए सरकार थोड़ी सुविधा प्रदान करें। यह आस्था का मामला है। आपने देखा होगा महादेवजी के मन्दिर से लगाकर जितने भी बड़े मन्दिर हैं उनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है। कमेटी और सरकार जैसे नाथद्वारा और सांवलियाजी में व्यवस्था करती है उसी प्रकार सभी मन्दिरों में भी करे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं निवेदन करता हूं। अभिव्यक्ति 'या बहरा-गूंगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो', इसको हटाया जायेगा। इस पर बोलिए आप।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): बहरा, गूंगा और कुष्ठ रोग से जो पीड़ित हैं, उनका तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया की आस्था मन्दिरों से जुड़ी हुई है। मन्दिरों के प्रति जो भावना है, उसके तहत पूजा के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनको पता ही नहीं है कि हिन्दू धर्म है या वैष्णव धर्म है। इनको परिभाषा के बारे में ही नहीं पता। करना क्या है और बोल किस पर रहे हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, मंत्री महोदय। श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, श्री नाथद्वारा पुष्टिमार्ग सिद्वादेत दर्शन की प्रधान पीठ है और जगद्गुरू वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। नाथद्वारा से जुड़े इस पावन प्रसंग पर बोलते हुए मेवाड़ के राजा राजसिंह का स्मरण करना चाहूंगा कि जिन्होंने उस वक्त जब ठाकुरजी को बालस्वरूप में ब्रज से रवाना करके आगरा, पुष्कर, ग्वालियर, किशनगढ़, जोधपुर होते हुए मेवाड़ तक लाया गया, तब राजसिंहजी ने जगह प्रदान की, जमीन प्रदान की।

माननीय सभापति महोदय, मुगल काल में अकबर की बीबी ताजबी बेगम तो ठाकुरजी की अनन्य भक्त थी और उन्होंने ठाकुरजी की सेवा में अनेक सम्पत्तियां दीं लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के कारण बालस्वरूप में ठाकुरजी को ब्रज से रथ में विराजित करके यहां लाया गया।

(समय: 13.23 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, नन्द और यशोदा मैया का बालस्वरूप कृष्ण के रूप की नाथद्वारा में पूजा होती है और अष्टयामी, सुबह मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग और शाम को उत्थापन, भोग आरती, शयन के माध्यम से सेवा पूजा की प्रणाली है। महाप्रभु वल्लभाचार्यजी ने पूरे देश में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। 84 बैठकें कीं और उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब राज्यों से खास तौर पर श्रृद्धालु नाथद्वारा आते हैं। इस बोर्ड के अन्दर जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के तीन-तीन लोग हैं और अन्य स्थानों के दो लोगों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है जो वैष्णव हैं। 1726 में अश्विन पक्ष की पूर्णिमा को ठाकुरजी वहां से रवाना हुए और फाल्गुन महीने की कृष्ण सप्तमी पर उनको यहां विराजित किया गया। इसी दिवस पर वहां पर पाटोत्सव भी मनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि

(श्री संयम लोढ़ा)

वहां जो गीत गाये जाते हैं, जो संगीत बजता है, वह भी ऋतु के मुताबिक बजता है। उसे हवेली संगीत कहा जाता है। इतना ही नहीं है, वहां जो भोग लगाया जाता है वह भी सर्दी और गर्मी के हिसाब से अलग-अलग भोग लगाया जाता है। वल्लभाचार्यजी की पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी 20वीं पीढ़ी है जो वहां तिलकायत के रूप में राकेशजी महाराज विराजमान हैं और वह ही इस बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ठाकुरजी की सेवा में तो पूरा देश है और देश क्या, पूरी दुनिया है। विदेशों में भी आपको सहर्ष ऐसे लोग मिलेंगे जो कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए मिलेंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस सदन को एक मौका दिया कि इस एक्ट में जो कमी छूट गयी थी, जो अमानवीय थी, जो किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत, न्यायसम्मत, संविधान के अनुरूप नहीं थी उसको हटाने का उसने आदेश दिया। हालांकि उसकी पालना में आप बहुत लेट हो। आपको आदेश के बाद इसमें तत्काल परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन 1959 में आये हुए इस कानून के बाद 63-64 साल बाद आप संशोधन लेकर आये हैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आधार पर लेकर आये हैं। क्या इतने वर्षों में आपको यह महसूस नहीं हुआ कि इस एक्ट में कुछ और परिवर्तन किये जाने चाहिए थे? व्यवस्था को और अधिक प्रभावी करने के लिए संशोधनों की आवश्यकता थी।

माननीय सभापति महोदय, सांवलियाजी का जो बोर्ड है उसमें सी ई ओ बोर्ड का सैक्रेटरी है। क्या नाथद्वारा में ऐसा है? क्या देवस्थान विभाग का कमिश्नर नाथद्वारा के इस बोर्ड में मैम्बर है? क्या आपको इसमें यह व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि क्या वह मुख्य निष्पादन अधिकारी मेम्बर सैक्रेटरी रहे या देवस्थान का कमिश्नर भी इस बोर्ड का मेम्बर रहे? मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मण्डल की जो आय और व्यय है नाथद्वारा का, उसमें से करोड़ों रुपये की राशि बोर्ड के पास बचती है।

माननीय सभापति महोदय, 2019-20 के अन्दर आय हुई 79.36 करोड़ रुपये, खर्चा हुआ 60.21 करोड़ रुपये और बचत हुई 19.15 करोड़ रुपये की। 2020-21 में आय हुई 55.03 करोड़ रुपये, व्यय हुआ 48.34 करोड़ रुपये और बचत हुई 6.69 करोड़ रुपये की। 2021-22 में 92.21 करोड़ रुपये की आय हुई और खर्चा हुआ 69.42 करोड़ और बचत हुई 22.79 करोड़ रुपये।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पूरे राजस्थान के देवस्थान विभाग को नहीं लूंगा या पूरे हिन्दुस्तान में जो छितरी हुई देवस्थान विभाग की सम्पत्तियां हैं, उन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नाथद्वारा के इस मन्दिर मण्डल की सम्पत्तियों में कृषि एवं बंजर भूमि 4 हजार 686 हैक्टेयर है। आवासीय 1 हजार 632 मकान हैं और कॉमर्शियल प्रोपर्टी 1,125 है। यह आल ओवर इण्डिया की है। अकेले मुम्बई के अन्दर 6 सौ सम्पत्तियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो लोग श्रीनाथजी के अनुयायी हैं, पुष्टिमार्ग के अनुयायी हैं, सिद्वादेत दर्शन में यकीन करने वाले लोग हैं और जिनके बेटा और बेटी नहीं हैं तो वह अपनी सारी सम्पत्ति ठाकुरजी को समर्पित कर देते हैं। इस तरीके से श्रीनाथजी की सम्पत्तियां भी पूरे मुल्क में लगातार बढ़ रही हैं। अब प्रावधान के मुताबिक आप सिर्फ अपनी भूमि पांच साल के लिए लीज पर दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपको देने का अधिकार नहीं है। मेवाड़ के राजा राजसिंहजी ने जो आपको भूमि दी, सिर्फ उदयपुर और राजसमंद जिले के अंदर आपकी 10 हजार बीघा भूमि है। इसका जनहित में क्या उपयोग है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्रीजी से, सरकार से कि आपको सोचना चाहिये कि इस भूमि का और बेहतर क्या उपयोग हो सकता है।

अब आपकी कॉमर्शियल प्रोपर्टी के जो किरायेदार हैं, मुम्बई में जो आपके किरायेदार हैं, उनका क्या किराया आता है? 100 रुपये, 200 रुपये, लेकिन जो सालों-साल मंत्री रह जाते हैं और बाद में जब मंत्री नहीं रहते हैं और उनको सदन में भाषण देने का अवसर मिलता है, जो देवस्थान महकमे में रहे हुए होते हैं, वह भी बाद में यही बात करते हैं देवस्थान विभाग की इतनी सम्पत्तियां वहां पर हैं, इतनी सम्पत्तियां वहां पर हैं। आप जब एक गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड ट्रस्ट चला रहे हैं, तो संस्था की रेवेन्यू बढ़ाने का भी आपको प्रयास करना चाहिये। आज 100 और 200 रुपये के अंदर नाथद्वारा जैसे शहर में लोग आपकी कॉमर्शियल प्रोपर्टी लेकर किराये पर बैठे हैं, मुम्बई में लेकर बैठे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर बहुत स्कोप है और विकास का भी बहुत स्कोप है, सोलर का भी बहुत स्कोप है, इसलिए

(श्री संयम लोढ़ा)

आपको इस पर विचार करना चाहिये। हजारों यात्री आते हैं, आपकी जो रेवेन्यू है, इसमें नगरपालिका का क्या शेयर है? हजारों यात्रियों की गंदगी कौन उठाता है, उसकी सफाई कौन करता है, वह सारी व्यवस्था कौन देखता है? आपको इस ट्रस्ट की आय में नगरपालिका का भी शेयर तय करना चाहिये। जैसे 2021-22 में आपकी आय 92 करोड़ हुई तो ज्यादा नहीं तो 10 प्रतिशत तो आप नगरपालिका का हिस्सा रखो, जिससे हजारों की सेवा के अंदर नगरपालिका अपना योगदान कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं इससे इंकार नहीं करता कि समय-समय पर नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड ने, चाहे कोरोना का समय हो, अपनी ओर से सहयोग दिया है। चाहे मेडिकल कैम्प्स हों, उसमें अपना सहयोग दिया है। चाहे शिक्षा का प्रसार हो, नाथद्वारा प्रोपर का नया स्कूल पिछले साल नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड ने बनाकर दिया है और सबसे अच्छी बात उस टेम्पल बोर्ड की यह है कि वहां शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप सभी लोग वहां गये होंगे, यह बहुत अच्छी बात है और वहां की व्यवस्था प्रशंसनीय है। मैं आपके माध्यम से बोर्ड को और वहां पर इसमें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान करते हैं, उनको धन्यवाद भी दूंगा। इसके साथ ही मंत्रीजी से विनती भी करूंगा कि आपकी सरकार का आखिरी साल है, अब जब आप यह संशोधन लेकर आये ही हैं तो आप प्रयास करिये कि इसी सेशन के अंदर, बजट सत्र के अंदर आप एक और अमेंडमेंट बिल लेकर आएं जिसमें इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। इसमें सी.ई.ओ. को भी मैम्बर सैक्रेटरी बनाइये और वहां के जो मुख्य तिलकायत जी हैं, अध्यक्ष राकेश जी महाराज, उनसे मशविरा करके इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है, उसका प्रयास कीजिये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आज श्री सांवलिया जी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 और नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 दोनों बिल पर जो क्वालिफिकेशन है, बहरा, गूंगा या कुष्ठ रोग से पीड़ित, इनको नहीं लिया जाता था। इनको विलोपित करने के लिए बिल आया है और इसको लेकर सदन में चर्चा हो रही है। दोनों बिल, एक तो 1959 में और दूसरा 1992 में आया।

(श्री छगनसिंह)

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंदिरों की तरफ। माननीय सभापति महोदय, ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में ब्रिटिश राज में हिन्दू मंदिरों का अधिग्रहण शुरू हुआ था, सरकार के अंडर में मंदिर लेना शुरू हुआ था। कब्जे में लेना, उनको चलाना और नियंत्रित करके आगे बढ़ाया। आजादी के 75 वर्ष बाद में भी वही, जिन्होंने ब्रिटिश काल में हिन्दू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में लाये थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत में और राजस्थान में भी इस सरकार के अधीन मंदिर लेकर चल रहे हैं। हम हिन्दू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से हटा नहीं सकते क्या? उनको सुविधा नहीं दे सकते क्या? हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिससे कई तरह से आज की जो व्यवस्था है, आज हम देखते हैं कि मंदिरों में सरकारी नियंत्रण होने के बाद में लोगों का भाव सिर्फ इतना ही रह गया कि वह मंदिर में सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, उनकी जो श्रद्धा है, वह थोड़ी कम होनी शुरू हो गयी है। ब्रिटिश काल में जो पहले प्रावधान बना था सरकार के नियंत्रण में मंदिर लाने का, उसको हटाया जाये। विशुद्ध रूप से वहां पर ऐसी संस्थाएं बनाएं राज्य परिषद् वाली, राज्य धार्मिक परिषद् या जिले की धार्मिक परिषद्, ऐसी संस्था बनाएं जिसमें मुख्य मंत्री भी उसमें सदस्य हो सकते हैं, विपक्ष के नेता भी हो सकते हैं और जिले स्तर पर है तो जिले के अपने सदस्य बनाकर उसकी व्यवस्था को बनाये रखना चाहिये, जिससे आने वाले समय में हमारे अंदर जो भाव है, वह सनातन धर्म का भाव सभी के अंदर है। आज हम देख रहे हैं, हिन्दू धर्म किसी भी तरह से देखो तो कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रहा है, पूरे विश्व में, तो अब हमें आवश्यकता है कि जितने हिन्दू मंदिर हैं, उन्हें सरकारी नियंत्रण से दूर करना चाहिये जिससे आने वाले समय में हमें भी लगेगा कि हमारा जो श्रद्धा का भाव है, हमारी जो श्रद्धा है, हम जिस भाव से पूजा करते हैं, वह पूजा का भाव हमारा बना रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं विशेषकर निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से पूर्व में सभी पंडितों की, पुजारियों की एक इच्छा रही है, पहले भूमि के लिए उनका अधिकार था, उनको लोन मिलता था, उनका म्यूटेशन भरा हुआ था, उनको मुआवजा भी मिलता था, लेकिन कालांतर में फैसले के बाद में, फैसले के बाद में 2018 के बाद में उस बिल पर अभी तक कई जिलों में आदेश के बाद में यह आदेश नहीं गया। जालौर जिले में आदेश अभी तक नहीं गया है।

(श्री छगनसिंह)

मंदिर में जो पुजारी है, संत है, श्रीमाली है, उनका जो आदेश आया हुआ है, उनका आदेश पूरे जिलों में, जालौर जिले में भी लागू किया जाये जिससे पुजारी को उपयोग करने का फल मिल सके।

मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगा कि सरकार का हिन्दू मंदिरों पर जो नियंत्रण है, वह दूर किया जाये। यह सभी की मंशा है। सभी माननीय सदस्यों ने अभी इसकी चर्चा भी की है। मेरी भी यह मंशा है कि आने वाले समय में इसका एक विधान लाया जाये और हम सब इसके लिए प्रेरित हों। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज नाथद्वारा टेम्पल (संशोधन) बिल, 2022 और सांवलियाजी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार चल रहा है। मुझे आशा थी कि यह धर्मपरायण माननीय मंत्री महोदया हैं, इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा थी, हालांकि यह अभी बाहर जा रही हैं। मैं उन्हीं के आधार पर कह रहा हूं कि यह इनसे अपेक्षा थी कि जो संशोधन बिल लायेंगे, वह बहुत ही व्यापक होगा। यह केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केवल एक-एक लाइन का संशोधन लाये हैं, जबकि यह दोनों मंदिर बड़ी आस्था के केन्द्र हैं। सारे देश में ही नहीं, विश्वभर के लोग इन मंदिरों में आते हैं और वहां आकर अपनी पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से आज बढ़ाया जाना चाहिये, उस पर कभी भी विभाग ने या मंदिरों ने सोचा नहीं। यह इस कारण से है, मेरा कहना है कि जितने भी हिन्दू मंदिर हैं, उनको सरकारी नियंत्रण से दूर रखा जाये। जिस प्रकार से मस्जिदें किसी भी सरकारी नियंत्रण में नहीं हैं, तो हिन्दू मंदिर नियंत्रण में क्यों लिए जा रहे हैं? यह एक सवाल है कि देश में एक प्रकार का नियम लागू होना चाहिये, एक प्रकार की नागरिक संहिता होनी चाहिये। हम सब सम्प्रदाय एक हैं, संविधान के अन्तर्गत हम एक हैं। अब जब बात चली कि हिन्दू पर बहस की जाये, सत्ता पक्ष की ओर से आपकी अनुपस्थिति में कहा गया, माननीय सभापति महोदय। मैं उनको चुनौती देता हूं आपकी अनुमति से, एक दिन यह भी बहस कर लें कि हिन्दुत्व क्या है, हिन्दू क्या है। हम बहस करके दूध का दूध और पानी का पानी भी करने को तैयार हैं। लेकिन, इसमें आपकी अनुमति से करेंगे, आपकी अनुमति के बिना इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से दो मंदिरों का आया है, इसी प्रकार के टोटल राजस्थान में 59,413 मंदिर हैं। उन मंदिरों की तरह आप सभी प्रकार के मंदिरों के संशोधन लाइये न, सभी को समान रूप से लाइये, लेकिन आप केवल दो मंदिरों का लाये हैं। मेरा कहना है कि केवल एक लाइन कहकर आप केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। आप औपचारिकता न करके वास्तव में आप मंदिरों की स्थिति सुधारना चाहते हो, संविधान में संशोधन भी आप कर रहे हो, आप कर लीजिये, लेकिन इसको पूर्ण लाइये। यह अधूरा है, इसको जनमत के लिए तो परिचालित करने की आवश्यकता है ही, लेकिन साथ में मेरी दो-तीन बातें जो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं। आज मंदिर माफी की भूमि पर जिस तरह से भूमाफिया कब्जे करते जा रहे हैं, जरा उनको बचाइये। उसके लिए नियम लाइये। वह पुजारी जिस तरह से मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं या जलाये जा रहे हैं, कम से कम इस धर्मपरायण मंत्री महोदया के राज में तो इस तरह का नहीं हो। इसकी तो कम से कम व्यवस्था की जाये।

इन सारे मंदिरों के लिए पानी, बिजली नि:शुल्क की जाये। इसके बिना यह गाड़ी चलेगी नहीं। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना यह है कि इसमें सुविधाएं बढ़ायी जाएं।

नाथद्वारा और सांवलिया जी दोनों मेवाड़ में आते हैं। मैं भी 30 वर्ष मेवाड़ में रहा। मेवाड़ की सारी दिक्कतें मेरे भी ध्यान में हैं। आज भी नाथद्वारा मंदिर में जिस तरह से जनता आती है, भीड़ आती है, उसकी व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। वह भी इसमें जोड़ते तो लगता कि मंत्री महोदया सिंसियर हैं, लेकिन मुझे लगा कि मंत्री महोदया केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए आयी हैं।

मेरी पहले भी इनसे चर्चा हुई है। प्राचीनतम मंदिर हैं, आस्था के प्रतीक नहीं है? आपकी आस्था होगी लेकिन आपके कई साथी आपकी आस्था में विश्वास नहीं करते। अपने आपको वह नास्तिक भी मानते होंगे। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, कोई आस्तिक हो, कोई नास्तिक हो, लेकिन सबकी प्रबंध कार्यकारिणी व्यवस्थित हों। ट्रस्ट व्यवस्थित हों।

सभापति महोदय, मेरा तो एक सुझाव है कि वहां का जैसे जिला स्तर है तो जन-प्रतिनिधि को भी उसका सदस्य बनाया जाये। यदि राष्ट्रीय स्तर के

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं तो उसमें राज्यस्तरीय चाहे मुख्य मंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, वे भी उसके सदस्य बनेंगे तो इसको सुचारु रूप से वह कर पायेंगे। आज पुजारियों की नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही हैं। इनकी न कोई परीक्षा हो रही है। काफी मंदिर उसके बिना कर रहे हैं। मेरा आपसे एक आग्रह है कि इन सारे 59,413 मंदिरों की व्यवस्थाओं को सुधारने का बिल लाया जाये। इन दोनों मंदिरों के अधिनियम भी औपचारिक न होकर, इसमें और सुझाव जो हम सब आपको दे रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता ने भी दिया है, बाकी लोगों ने भी दिया, उन सारे सुझावों को समाहित करके एक विस्तृत बिल लायेंगी तो इस सदन का सम्मान भी होगा और वास्तव में स्थितियां भी सुधरेंगी। इतना मेरा अभिप्राय है। अत: तब तक इसको 2 माह के लिए जनमत के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित), श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्‌योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता और अन्य सदस्यों ने जो विचार रखे, अपने-अपने हिसाब से सही रखे। मैं उन सभी का सम्मान करती हूं।

इस विधेयक में संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लाया गया है। इस संशोधन के बारे में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। एक ने तो यही कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, इस संशोधन से पहले गूंगे, बहरे और कुष्ठ रोगी मंदिर बोर्ड में सदस्य नहीं बन सकते थे। उनके मन में एक कुंठा पैदा होती थी। एक निराशा पैदा होती थी कि हम ऐसे धार्मिक बोर्ड के अंदर सदस्य क्यों नहीं बन सकते? आज यह जो विधेयक पारित हो रहा है यह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनको सम्मान देते हुए उनमें जो हीन भावना थी उसको समाप्त करने का काम करेगा। अब वह अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है।

सभापति महोदय, मुझे भी खुशी है कि वह अब धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकेंगे। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसको यह कह दिया जाता है कि आप कुष्ठ रोगी हो या आप गूंगे, बहरे हो, आपको इसमें शामिल

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नहीं किया जायेगा, यह एक धर्म से और ईश्वर से जुड़ा हुआ मामला है, एक ईश्वरत्व की भावना को दर्शाता है कि क्या मैं मंदिर के बोर्ड में भी नहीं हो सकता? उसको साकार करने का काम यह विधेयक करेगा।

ऐसे ये दो ही मंदिर हैं, श्रीनाथ जी, नाथद्वारा, राजसमंद और सांवलिया जी मंदिर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। नाथद्वारा के विशेष मंडल बने हुए हैं, जिनमें राजस्थान के और अन्य राज्यों के भी सदस्य मनोनीत होते हैं। सेठ सांवलिया जी के अधिनियम, 1962 के तहत प्रदत्त शक्तियों में मंडल अध्यक्ष के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

सभापति महोदय, जो विचार रखे कि बजट घोषणा में भी अलग से सुविधा दी जानी चाहिए, दिव्यांगों को और कुष्ठ रोगियों को पेंशन। क्या आज से पहले इनके दिल में यह दर्द नहीं था? क्या उनके हित की बात नहीं सोची थी? यह 2,500 रुपये पेंशन करने का काम भी किया तो राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। आपने तो एक भी नहीं किया। उसके साथ मुख्य मंत्री महोदय ने तो बौना पेंशन भी की। जितनी भी पेंशनें हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, बौना पेंशन है, एकल पेंशन है, अगर गिनना चालू करेंगे जन हित के काम को तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किये।

माननीय उप नेता महोदय ने कहा कि 10 हजार पेंशन कर दी जाये। माननीय उप नेता महोदय, अगर आपकी थोड़ी-बहुत भी हमदर्दी है तो आप सब और माननीय 25 सांसद जाएं, आप वहां से 8 हजार ही करा दो तो 2 हजार हम और बढ़ा देंगे।

देश के माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने भाषण में कहा अच्छे दिन, वह विधवा की, वृद्धा की, किसान की, विकलांग की, बौने की और दिव्यांग की पेंशन करके दिखाइये अगर कलेजा रखते हैं तो, लेकिन इतना दम नहीं है। इतना दम तो सिर्फ राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार रखती है।

सभापति महोदय, नाम लिया कि राहुल गांधी जी के कहने से इस तरीके का अमेंडमेंट ला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने या हमारे पूर्व में जो भी प्रधान मंत्री रहे, उन्होंने ऐसी घोषणाएं नहीं कीं कि महिला के खाते में 15 लाख रुपये आयेंगे, काला धन लायेंगे, बेरोजगारी को खतम करेंगे। फोर एग्जाम्पल, उदाहरण हैं। आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया।

श्री सभापति: प्लीज, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बिल के ऊपर है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सुनने की क्षमता रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कौनसे सेक्शन में है? यह कौनसे सेक्शन में अमेंडमेंट लेकर आयी हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सुनने का कलेजा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): हमने भी तो सुना। सुनने की क्षमता रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिल पर बोल रही हैं? यह उत्तर है?

श्री सभापति: प्लीज। माननीय मंत्री जी। एक मिनट विराजें आप। आप विराजिये। आप इतनी देर से, मैं सुन रहा था बैठा-बैठा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सुनने का कलेजा रखो।

श्री सभापति: बिल में इतना स्कोप ही नहीं था जितना आपने बोल दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, एक मिनट विराजें आप। जब आप लोग आराम से बोल रहे थे तो कोई बात माननीय मंत्री महोदया कहना चाह रही हैं तो उसमें इतनी क्या परेशानी है? कहां दिक्कत हो रही है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सुनने की क्षमता रखें।

श्री सभापति: आपका जितना स्कोप था उससे कितनी देर ज्यादा बोले आप? इतना स्कोप था क्या इस बिल में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां।

श्री सभापति: बिल में इतना स्कोप कहां से हो गया? मात्र एक संशोधन करना था कि दिव्यांगजन इसमें शामिल होंगे। इस पर आपने इतना लम्बा-चौड़ा अपना व्याख्यान दे दिया। प्लीज, बोलने दें। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय सभापति महोदय, जब इन्होंने राहुलजी का नाम लिया और हम इतने दिन से ये जो भाषण दे रहे हैं वो सुन रहे हैं न, जब सच्चाई बोली तो थोड़ी-सी मिर्ची लगी क्या आपको? कड़वा लगा क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मिर्ची कहां लगती है पहले यह बताओ?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): जीभ पर लगती है, आपके दिमाग में लगती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि मिर्ची लगी, इनसे पूछो मिर्ची कहां लगती है?

श्री सभापति: नहीं, माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): दिमाग में, आपके दिमाग में, असत्य भाषण में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर। प्लीज। कन्क्लूड करने दें। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आपको 'सियाराम' कहने में क्या दिक्कत है? रामचरित मानस में लिखा हुआ है, 'सियाराम मय सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी, सियाराम, राधेश्याम, उमा-महेश्वर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): आप सुनने का दम रखो, मैं इसका भी बताऊंगी आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप अपना जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): पहले आप इनको बिठाओ। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप गुस्सा क्यों होते हो? मैंने आपको सुना, आप हिन्दू और हिन्दुत्व कर रहे थे। बताओ 'हिन्दू' की क्या परिभाषा है? (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): आप बैठो न। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप बोलो, बताओ, सदन में बताओ। 'हिन्दू' किसे कहते हैं? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जो भारत को पुण्य भूमि माने वो सच्चा हिन्दू है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप चाहे कोई किताब लाकर देख लो, कोई ग्रंथ लाकर देख लो। हम बहस कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: पहले यह बिल पास हो, बाद में चर्चा कर लेना। प्लीज। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): यह परिभाषा गलत है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपको स्वयं का पता नहीं है। आप केवल पंडिताई के दो शब्द जानते हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मेरे को सब पता है। जिसका शास्त्र में विश्वास है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, जो गोपूजक है, वो हिन्दू है। करपात्रीजी महाराज धर्म सम्राट थे, उन्होंने बताया था। जन्म भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, ...(व्यवधान) धर्म की क्या परिभाषा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 'हिन्दू जीवन शैली' कोर्ट ने कहा है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): क्या है 'जीवन शैली'? जीवन शैली सबकी अलग है। (व्यवधान) क्या जीवन शैली? पता नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड करें। (व्यवधान) प्लीज, विराजिए आप। (व्यवधान) हाउस को थोड़ा गम्भीरता से लें। बिल पर डिस्कशन हो रहा है। (व्यवधान) प्लीज विराजिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सुन लो थोड़ा-सा।

श्री सभापति: यहां पर हिन्दू धर्म पर डिस्कशन हो रहा है क्या? (व्यवधान) माननीय सदस्य, हिन्दू धर्म पर डिस्कशन नहीं हो रहा है यहां पर। यहां पर बिल पर डिस्कशन हो रहा है, इनको जवाब देने दें अपना। (व्यवधान) प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहते हो, यह सदन को बता दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं इसकी बहस के लिए अलग से समय निर्धारित कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पुन: मूषक भव। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:। मैं मोक्ष चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। (व्यवधान) सदन को गम्भीरता

(श्री सभापति)

से लें। बिल पर डिस्कशन हो रहा है और इसको पास करना है, अब आप हिन्दू धर्म की व्याख्या करने लगे। आप सभी विद्वान हैं, आप सभी की विद्वता पर किसी को शक नहीं है क्योंकि साढ़े सात करोड़ जनता ने आपको यहां पर भेजा है तो आपकी विद्वता को देखकर ही तो भेजा है। आप अपनी विद्वता के बारे में बखान करके बेवजह उजागर और हो जाओगे। यह बंद मुट्ठी सबसे अच्छी है, खोलते ही पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। इसलिए अपनी विद्वता को आप जितना अपने पास रख सकते हैं, उतना अपने पास रखो। मान लिया आपको जनता ने विद्वान और भेज दिया यहां पर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि राहुल गांधीजी की वजह से लाए हैं। इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय की वजह से आया है। उनकी भावना तो प्यार-प्रेम, सबको एक साथ रखने की है। असत्य कोई वादा करने की नहीं है। आपने जो कहा कि यह इसमें लाने चाहिए। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री महोदय हर प्राणी में, हर जीव में ईश्वरत्व को महसूस करते हैं। सेवा ही मेरा धर्म है, ...(व्यवधान) उस बात को सार्थक करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर उस बात का मैं उदाहरण दूं तो चिरंजीवी योजना से जिस तरीके से ...(व्यवधान) मैं ईश्वरत्व की बात कर रही हूं और आप उछल रहे हैं। सुनो। थोड़ाबहुत तो सुन लो कम से कम। जब आदमी की आंख में आंसू आता है तो या तो उसे ईश्वर पोंछता है या कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत ने पोंछने का काम किया। चिरंजीवी योजना लाकर ...(व्यवधान) गोमाता की लम्पी में मौत पर मुआवजा बढ़ाकर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) ईश्वरत्व पर आ गए। मतलब मुख्य मंत्रीजी 'ईश्वर' हैं। मुख्य मंत्रीजी की ईश्वर से तुलना कर दी। मुख्य मंत्री 'ईश्वर' हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): मैं 'ईश्वरत्व' की बात कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुख्य मंत्रीजी 'ईश्वर' हैं? ईश्वर के साथ तुलना कर रहे हो? (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को ईश्वर बता रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): मैंने कहा है कि या तो ईश्वर करता है या कांग्रेस के मुख्य मंत्री करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुख्य मंत्री 'ईश्वर' नहीं हो सकते। (व्यवधान) डिलीट करवाओ।

श्री सभापति: आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, विराजिए।

माननीय सदस्य, मुझे पता है कि आज प्राइवेट बिल डे है। आप सभी जिस तरह की भावना से पधारे हैं, उस भावना से मैं भी अवगत हूं। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो बिजनेस है उसको तो पूरा करो। बिजनेस पूरा नहीं करके यूं ही पांच बजानी है तो ओपन डिस्कशन करा देते हैं, आप दोनों 'हिन्दू' की व्याख्या करते रहो। जिन लोगों की वजह से बिल आया है, वे लोग आपसे यह अपेक्षा करते हैं, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगी आपसे यह अपेक्षा कर रहे थे कि गम्भीर चर्चा करके आप इस बिल को पास करेंगे। आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को तो छोड़ दिया और कहां के कहां पहुंच गए। (व्यवधान) बोलने दें, बोलने दें उन्हें। इतनी पीड़ा किस बात की है आपको? एक महिला माननीय मंत्री महोदय यदि अपनी कोई बात रखना चाह रही हैं तो क्या पीड़ा है आपको? कोई कांटें फेंक रही हैं आपकी तरफ? (व्यवधान) प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी विषय पर नहीं बोल रही हैं।

श्री सभापति: आप भी विषय पर नहीं बोले। मैं सुन रहा था, ... (व्यवधान) प्लीज, गम्भीरता बरतें। इस बिजनस को पूरा होने दें। माननीय मंत्री महोदया, आप कंक्लूड करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): एक बार सुन लो। ... (व्यवधान) दो मिनट, माननीय सभापति महोदय। मैं बता दूं कि क्या-क्या किया है देवस्थान विभाग ने। अब राम की और कृष्ण की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप कंक्लूड करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनके डर से क्या कन्क्लूड कर लें? थोड़ा-सा बोलने का मौका दें। (व्यवधान) ये तो ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट, थोड़ी-सी देर।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज इन पर कटारियाजी का अंकुश नहीं है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राम की बात करते हैं। राम के लिए तो दो लाइन बोल सकती हूं माननीय सभापति महोदय? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखि तिन तैसी, तो इनकी भावना किस तरीके की है। ये कहते हैं श्रीराम, हम सीताजी का नाम लेते हैं तो ये थोड़ा-सा यूं कह देते हैं कि सीताजी नहीं, श्रीराम कहिए। श्रीराम का यज्ञ अधूरा रहा था, उन्होंने भी मूर्ति बिठाई थी तो 'सियाराम, राधा कृष्ण हो, पार्वती बिना शिव अधूरे, राधा बिन कृष्ण अधूरे, छाया बिना धूप अधूरी, बिना लक्ष्मी के विष्णु अधूरे।'

श्री सभापति: कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा बता देती हूं इनको।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो पूछा है, देवस्थान विभाग के मंदिर, देवस्थान विभाग, हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, ईश्वर में आस्था, उसको संरक्षण और संवर्धन करने का काम करता है। हमारा राजस्थान राज्य देवी और देवताओं का, ऋषि और मुनियों का, पावन और पवित्र भूमि हमारे राजस्थान की है। कण-कण में ईश्वर विराजमान है। इस बात को राजस्थान की धरा साकार करती है। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर जो हमारे धार्मिक मंदिर बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं, राजस्थानी कला, संस्कृति और संस्कार में एकता और प्रेम को बढ़ाने का काम करते हैं। यह काम हमारा विभाग करता है। चाहे गीत हो, भजन हो, सत्संग हो, चाहे जागरण हो, जब भी कहीं कोई उत्सव होता है चाहे श्यामजी के हों, सेठ सांवलिया के हों, श्रीनाथजी के हों, गीत और भजन, श्रृंगार भी अलग-अलग रीतियों और रिवाज से किया जाता है। यह हमारी संस्कृति को बचाने का, हमारी भावनाओं को बचाने काम करता है। प्राचीन काल से ही चली आ रही इन परम्पराओं को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। चाहे राम कथा करवाई हो राम मंदिरों में, हनुमानजी के जन्म दिन पर सुन्दरकांड करना हो, सहस्त्रधारा हो, चाहे द्वादशी व्यंजन, द्वादशी का प्रोग्राम हो। हमने अभी देव दर्शन पद यात्रा भी निकाली जो देवस्थान के मंदिर हैं उनकी।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पूछा था कि आयोजन में कैसे क्या-क्या करते हैं। ये सारे आयोजन हम इस तरीके के करते रहते हैं, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। देवस्थान विभाग की तरफ से अस्थि

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

कलश ...(व्यवधान) यात्रा, जो कोरोना में डैथ हुई थीं उनकी अस्थियों को गंगाजी, हरिद्वार ले जाने का काम किया तो वो भी देवस्थान विभाग के द्वारा किया गया।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का हो, ऑनलाइन दर्शन का हो, क्यू.आर. कोड बनाना हो, भारतीय स्टेट बैंक ट्रैजरी शाखा, उदयपुर में खुलवाया गया है। जो व्यक्ति दान करना चाहे, वह कर सकता है। पुजारियों का मानदेय बढ़ाया तो हमने बढ़ाया। इन्होंने किया क्या? सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिकों को अब हम हवाई जहाज से भी यात्रा करवा रहे हैं। हमारे प्रत्यक्ष और राजकीय सुपुर्दगी व प्रत्यक्ष सारे मन्दिरों में जो हम व्यवस्था कर सकते हैं, सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे काम करेंगे।

जो ट्रस्ट के लिए कहा कि इन्हें प्रशासन से जोड़ा जाये, इनके धर्मगुरुओं से बात करके, क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं, मन्दिर से जुड़ा हुआ प्रकरण है, इसमें एकदम से, सरकारें कोई भी हों, जिसमें हम तो कभी ले ही नहीं सकते, हमारा यह रिकार्ड है, हमारी सरकार का, कभी भी ईश्वर, धर्मगुरु या मन्दिर के खिलाफ, इस तरह का निर्णय नहीं लिया। हमने जो भी काम किया, मन्दिरों के उत्थान के लिए किया। जीर्णोद्धार का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। 106 करोड़ से ऊपर का हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज। विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये तो मन्दिर तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हमने नहीं तोड़ा। आपका बी जे पी का अध्यक्ष था, उसने तोड़ा है।

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिये। माननीय मंत्री के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, राज्य के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बाहर के मन्दिरों की लिस्ट हमने मंगवा ली। हम उसमें अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश को धर्म के नाम पर, भाईचारे को, एकता को, प्यार को, प्रेम को, क्योंकि जब भी कोई मेले लगते हैं, उनमें 36 कौम, 36 बिरादरी के लोग आते हैं, हिस्सा लेते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन ये उसे भुलाकर एक नारा देकर बांटने का काम करते हैं। अगर करना ही है तो एकता का काम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: मंत्री जी, विराजिये।

प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

<u>खण्डशः विचार</u>

खण्ड 2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। सरकार जो ये दो विधेयक लायी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी कई सालों बाद लायी है, फिर भी स्वागत योग्य है। मैं इसी संशोधन को थोड़ा-सा विस्तार दिलवाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। इसमें दो वर्ग वे प्रिस्क्राइब किये गये हैं, जिन्हें किसी कारण से मन्दिर प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसे किसी कारण से मन्दिर प्रवेश से सदियों से वंचित किया जाता रहा है।

सनातन संस्कृति में, वैदिक काल में छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन कालान्तर में किन्हीं परिस्थितियों में यह जुड़ गयी। दुर्भाग्य से वह हमारे माथे पर कलंक का एक टीका है। इसका विरोध भी समय-समय पर हुआ। लगभग सात सौ-सवा सात सौ साल पहले स्वामी रामानन्दाचार्य जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने एक बड़ा आन्दोलन चलाया, लेकिन वह आन्दोलन व्यापक रूप से पूरे हिन्दू समाज तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद में डा. अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ बड़े आन्दोलन चलाये। मन्दिर प्रवेश को लेकर डा. अम्बेडकर ने 1930 में नासिक के कालाराम मन्दिर में एक आन्दोलन किया था। उसके बाद भी यह सब नहीं हो पाया। 26 जनवरी, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया, उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है कि किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद भी हजारों मन्दिरों में आज भी एक बड़ा तबका प्रवेश से वंचित है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह थी कि ऐसे बड़े मन्दिरों के बाहर बोर्ड लगे होते थे, "अछूतों का प्रवेश वर्जित है।" मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सौभाग्य और प्रसन्न्ता की बात यह है कि वे बोर्ड हट गये। अब कम से कम मन्दिर के दरवाजे पर जाति नहीं पूछी जाती है। यह एक अच्छा संकेत है, परिवर्तन है।

मेरा निवेदन था कि वह होने के बाद अब भी बहुत सारे मन्दिरों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मन्दिरों में जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित किया जाता है, रोका जाता है, कई बार बदतमीजी भी होती है। उस बारे में अनेक केस भी दर्ज होते हैं। मैं बाबा रामदेव का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका पोकरण में समाधि स्थल है, रामदेवरा में। राजपूत परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन राजपूत समाज का उन पर आक्षेप था कि यह तो मेघवालों के साथ ही उठता-बैठता रहता है। अत: राजपूत उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। जिस बाबा रामदेव ने मेघवाल समाज को, अछूत वर्ग को अपने गले से

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लगाया, उसके लिए सारे लांछन सहन किये, उस बाबा रामदेव के रामदेवरा मन्दिर को छोड़कर शेष पूरे राजस्थान में, जहां कहीं भी किसी भी गांव में मन्दिर है, वहां दो-दो मन्दिर हैं। एक मन्दिर सवर्ण समाज के लिए है और एक अछूत समाज के लिए है। जो बाबा रामदेव जिन्दगी भर अछूतों को गले लगाने के लिए, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए खपते रहे, उन्हें भी हमने विभाजित कर दिया। मेरे गांव में भी ऐसा ही है, दो मन्दिर हैं। सब जगह ऐसा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं, इन दो कैटेगरीज के साथ भेदभाव न हो, यह व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। साथ में एक लाइन और जोड़ देते कि इन सारे सार्वजनिक मन्दिरों में, व्यक्तिगत मेरे घर में मन्दिर है, कोई उसमें मेरा कानून नहीं चलेगा। किसी के परिवार का मन्दिर है, किसी समाज विशेष का मन्दिर है छोड़िये उसे, लेकिन जो सार्वजनिक मन्दिर हैं, उन सारे मन्दिरों के दरवाजों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगना चाहिए, "इस मन्दिर में जाति के आधार पर प्रवेश से किसी को नहीं रोका जायेगा।", ऐसा बोर्ड लगाने का यदि आप कोई संशोधन लाते तो अच्छा लगता। मैं अब भी निवेदन करता हूं कि यह संशोधन सरकार को लाना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। एक अच्छा मैसेज जायेगा समाज में। छुआछूत बहुत हद तक कम हुई है। डा. अम्बेडकर, महात्मा गांधी के प्रयासों से लेकर अब तक जो भी प्रयास हुए हैं, वे सारे समाजों ने मिलकर किये हैं। बहुत हद तक छुआछूत कम हुई है। बहुत थोड़ीसी रह गयी है। उस थोड़ी-सी को भी मिटाने का एक अवसर है आपके पास। ऐसे यदि बोर्ड लग जाएंगे तो पूरे समाज में, पूरे देश में एक सकारात्मक सन्देश जायेगा। यह पहल राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। यह मेरा निवेदन था। धन्यवाद।

श्री सभापति: पारित कराएं।

विधेयक का पारण

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रश्न यह है श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2- स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

पारित कराएं।

विधेयक का पारण

श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

गैर सरकारी संकल्प। श्री अविनाश।

गैर सरकारी संकल्प

यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाये

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के अन्दर आपने मुझे प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नीति बनाकर कानून बनाये, ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा प्रदान की, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह जो संकल्प था यह पिछले सत्र में 23 मार्च, 2022 को शलाका के माध्यम से निकला था, लेकिन समय के अभाव के कारण इसको स्थगित किया और आज प्राइवेट मेम्बर्स डे के दिन मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी-थोड़ी बातें करके आंकड़ों के साथ में मेरी बात को रखूंगा। सभापति महोदय, वाकई देश की आबादी, प्रदेश की आबादी है उसमें जनसंख्या का कितना बड़ा विस्फोट हो रहा है, इस जनसंख्या के कारण कितना दुष्परिणाम हो रहा है, उसके बारे में भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश या प्रदेश के विकास की रफ्तार के बारे में कल्पना करना, उसकी क्रियान्विति करने में कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको लाने की आवश्यकता होती है, चाहे वह समान नागरिक संहिता का कानून हो। जब तक ऐसे कानून देश-प्रदेश में लागू नहीं होंगे, तब तक देश, प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में आजादी के बाद में मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा कुछ ऐसे कानून के बारे में जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर यह कहे कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी दल के, किसी व्यक्ति, किसी पंथ, किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च संस्था पर बैठा व्यक्ति अगर यह कहे और वह कांग्रेस का हो तो उसकी मानसिकता का पता लगता है। उसी समय, यू पी ए गवर्नमेंट के समय एक ऐसा कानून लाने की मन्शा उस दौर में हुई जिस कानून का नाम था साम्प्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम। उसकी बारीकियों में अगर आप लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना घिनौना कानून उस समय की यू पी ए गवर्नमेंट ने लाने का निश्चय किया, लेकिन देश की संसद में विपक्षी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और एन डी ए के सहयोगी दलों ने उसका विरोध किया जिसके बाद में यह बिल तो नहीं आया, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वह प्रदर्शित हो गयी।

दूसरी तरफ आज देश के अन्दर 2014 के बाद में जो राजनीतिक परिवर्तन आया है और जब से मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं, उनका मूल भाव है 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास'। यह मूल भावना अगर हो तो चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, बिना किसी पंथ, मजहब की भावनाओं के आधार पर दिया जाता है। वे इस देश की 140 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानते हैं। वे किसी धर्म विशेष को परिवार नहीं मानते और न तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर काम करते हैं, यह देश के प्रधान मंत्री जी को 2014 के बाद में आपने भी देखा और हमने भी सीखा है।

माननीय सभापति महोदय, और तो और, देश में आतंकवाद, उग्रवाद 1990 के दशक के आस-पास जब तेजी पर था, इसको मुस्लिम आतंकवाद

(श्री अविनाश)

कह सकते हैं, पाकिस्तानपरस्त आतंकवाद कह सकते हैं। 1990 में जब कश्मीर जो भारत का अंग था, धारा 370 और 35(ए) के कारण जहां तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, वहां 24 जनवरी को वर्तमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने छाती ठोककर यह ऐलान किया कि 26 जनवरी को मैं इसी लाल चौक पर तिरंगा फहराऊंगा और वह करके दिखाया। इससे पहले कितने लोग थे जिन्होंने 1990 के दशक में या 2014 से पहले धारा 370 और 35(ए) के रहते हुए कश्मीर में तिरंगा फहराया था? नामुमकिन था, लेकिन आज जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर जाते हैं तो खुले मैदान में, आजादी के इस वातावरण में आराम से घूमकर भी आते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। यह वातावरण अगर किसी ने दिया है तो धारा 370 और 35(ए) खतम करने के बाद में दिया है और उसी के कारण देश का कोई भी नागरिक आज जम्मू-कश्मीर में जा सकता है। आप वहां जाकर क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि अगर देश के अन्दर कांग्रेस सत्ता में आई तो 370 और 35(ए) को लागू करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आज जनसंख्या नियंत्रण का कानून कितना जरूरी है कि देश में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और यह इसलिए कि 11 जुलाई, 1985 को विश्व की आबादी लगभग 5 अरब के करीब पहुंच गई। इसी कारण 11 जुलाई, 1987 को यू एन ओ ने यह तय किया कि विश्व के अन्दर जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग अगर बात करें, और लोगों ने बात की कि विकास आधारित जनसंख्या नीति बनाने पर ही प्रदेश की जनसंख्या को स्थिर या नियंत्रित किया जा सकता है। और तो और, माननीय सभापति महोदय, आज के समय में जनसंख्या कानून के कारण जितनी भी परेशानी हो रही है इसके ऊपर लगाम लगाना आवश्यक होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि एक अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2017 में एक अरब 34 करोड़ हो चुकी थी और यह आंकड़ा पूरी दुनिया की आबादी का 17.86 प्रतिशत है। 2017 तक दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब 51 करोड़ और आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है। इसके बाद चीन पहले स्थान पर है और आने वाले कुछ समय में भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया में आबादी के मामले में पहले स्थान पर आ जाएगा।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद में देश के युवाओं की संख्या की बात करें तो एक रिपोर्ट कहती है, यूथ इन इण्डिया-2017 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 1971 से 2011 के बीच युवाओं की आबादी 16.8 करोड़ से बढ़कर 42.2 करोड़ हो गई, यानी कुल आबादी का 34.8 फीसदी। साल 2023 तक देश में युवाओं की तादाद लगभग अपनी आबादी का 32.6 फीसदी हो जाएगी और चीन के युवाओं की आबादी 22.31 से 10 फीसदी ज्यादा हो जाएगी। यह तुलनात्मक विवरण भारत और चीन के बारे में कहने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, चाहे वह हमारा प्रदेश हो, चाहे देश हो, जब आबादी बढ़ती है तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। पूरे विश्व में हर साल जनसंख्या में 8 करोड़ की वृद्धि होती है जिसमें से 2 करोड़ की वृद्धि अकेले भारत में होती है, अर्थात् पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या वृद्धि का 1/4 हिस्सा अकेले भारत के हिस्से में आता है। भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश बना हुआ है। और तो और, माननीय सभापति महोदय, अगर विश्व की 2022 की जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय 790 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, मतलब 7.9 अरब। यह फरवरी, 2022 तक का मैं बता रहा हूं, इसमें से केवल दो देश, चीन और भारत की जनसंख्या की हम बात करें तो इन दोनों की जनसंख्या मिलाकर 280 करोड़ के करीब हो गई जो विश्व की जनसंख्या का 36.17 प्रतिशत है। इसीलिए, यूनाइटेड नेशन ने 1989 से प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय किया। माननीय सभापति महोदय, विश्व की जनसंख्या 7.9 अरब, भारत की लगभग 140 करोड़ और राजस्थान की अगर बात करें तो लगभग 8 करोड़ की आबादी इस समय राजस्थान की है। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की आबादी का 1901 से लेकर 2011 तक का निवेदन करना चाहूंगा कि 1901 में राजस्थान प्रदेश की आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब थी, 1911 में यह 0.6 प्रतिशत बढ़ी। यह बढ़ते-बढ़ते 1921 में जरूर माइनस 6.29 प्रतिशत हुई पर उसके बाद 1931 में 14.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1941 में 18.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1951 में 15.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1961 में 26.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1971 में 27.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1981 में जब मेरा जन्म हुआ, उस समय राजस्थान की आबादी में लगभग 32.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1991

(श्री अविनाश)

(समय: 14.20 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

में इसमें 28.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2001 में 28.41 प्रतिशत एवं 2011 में 21.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सभापति, यह बढ़ोतरी देखिये, 1 करोड़ 2 लाख से बढ़कर, आज राजस्थान की आबादी लगभग 8 करोड़ के करीब हो गई है। राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी हम सबके लिए चिन्ता का विषय होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम अगर पूरे विश्व की बात करें, चीन 143 करोड़ 94 लाख जनसंख्या के आधार पर विश्व की जनसंख्या का 18.47 प्रतिशत, दूसरे नम्बर पर भारत लगभग 140 करोड़ 17.80 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका 33 करोड़ 10 लाख, 4.5 प्रतिशत, इंडोनेशिया 27 करोड़ 35 लाख, 3.51 प्रतिशत और पाकिस्तान लगभग 23 करोड़, 2.83 प्रतिशत की आबादी के साथ में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चिन्ता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या 37.6 करोड़ थी, जो आज की तारीख में बढ़कर लगभग 140 करोड़ के करीब हो गई है और आने वाले समय में हम विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में हो जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, 10 साल पहले जब 2011 की जनगणना हुई उस समय भारत की आबादी 121 करोड़ के पार थी और आज जब 2022-23 के अन्दर हम लोग हैं, यह जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ के करीब हो गई है। हम लोग भारत के प्रमुख धर्मों की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 1951 के करीब भारत में हिन्दू आबादी 82.1 प्रतिशत थी, मतलब 30.6 करोड़। उस समय मुस्लिम आबादी 9.49 प्रतिशत, लगभग 3.54 करोड़ और ईसाई 2.3 प्रतिशत के साथ 43 लाख, सिख 1.89 प्रतिशत, बौद्ध 0.74 प्रतिशत और जैन 0.46 प्रतिशत।

सभापति महोदय, विभाजन से पहले भारत में आबादी का लगभग 66 प्रतिशत हिन्दू समुदाय निवास करता था। और तो और, आबादी बढ़ने के साथ में मुस्लिम समुदाय की आबादी में भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1947 के विभाजन के बाद देश में मुस्लिम आबादी लगभग 10 प्रतिशत थी। वर्तमान भारत में मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत से 17 प्रतिशत हो गई

(श्री अविनाश)

है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या भारत की है। यहां हर साल 17.64 प्रतिशत की दर से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो पहले 10 साल में 21.54 प्रतिशत थी और आजादी के बाद जो बदलाव हुआ, 1947 से बंटवारे के बाद से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या तीन गुना से ज्यादा बढ़ गई है और 1951 की जनसंख्या, जो 36 करोड़ थी, आज बढ़कर लगभग 1 अरब 40 लाख हो गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यह आंकड़ा इसलिए दिया है कि देश में मुस्लिम आबादी, प्रदेश में मुस्लिम आबादी जिस अनुपात में बढ़ रही है, वहां एक विचारक ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जब भी कोई पार्टी या सरकार लाती है तो वहां जनसंख्या नियंत्रण का विरोध मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताकर, इसके खिलाफ वातावरण पैदा किया जाता है। मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम उस भयानक साजिश की ओर जा रहे हैं, जो इस देश के करोड़ों मुस्लिम भाइयों के प्रति दशकों से रची जा रही है। जिसकी वजह से हमको ऐसा दिखाई देता है कि आम मुसलमान जनसंख्या नियंत्रित करने के पक्ष में नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, जिनको भारत में हिन्दू-मुसलमान दिखाई देता है। जो मुस्लिमों को काम में लेते हैं, वोट बैंक के आधार पर उनका शोषण करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनको कहीं न कहीं डर है कि जब तक मुस्लिमों के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हमको वोट नहीं मिलेगा। असलियत क्या होती है, बताते नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दरअसल देश के अन्दर कई ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, जो मुसलमान भाइयों, बहनों में असुरक्षा की भावना भरकर उनकी भावनाओं का दोहन करके उन्हें मुख्य धारा से काटे रखते हुए इन्हें भीड़ और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उनके नाम पर उनकी दुकानदारी और मठाधीशी चलती रहे। इसलिए जब भी कोई इस देश में जनसंख्या नियंत्रित करने की बात करता है तो सबसे पहले मुसलमानों को डराया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण को गैर-इस्लामिक बताया जाता है और जोर-शोर से चेतावनी दी जाती है कि देश के मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बनाये गये किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि आज इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाने की सबसे ज्यादा जरूरत

(श्री अविनाश)

हमारे मुसलमान भाइयों, बहनों को है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट में सबसे ज्यादा घायल कोई समुदाय है तो मुस्लिम समुदाय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहूंगा कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के लिए बनाई गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य सामाजिक, धार्मिक श्रेणियों के बच्चे की तुलना में एक मुसलमान बच्चे का कम वज़न या कम लम्बाई होने का अधिक खतरा होता है। साथ ही, मुसलमान बच्चों में अन्य हिन्दू बच्चों की अपेक्षा कुपोषण का ज्यादा खतरा रहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में सबसे अधिक निरक्षरता मुसलमानों में रही। जहां जैनियों में केवल 13.57 प्रतिशत, ईसाइयों में 25.65 प्रतिशत, बौद्ध समुदाय में 28.16 प्रतिशत, सिखों में 32.49 प्रतिशत, हिन्दुओं में 36.39 प्रतिशत लोग निरक्षर थे, वहीं मुसलमानों में यह निरक्षरता प्रतिशत बढ़कर 42.71 प्रतिशत था, जो देश में सबसे ज्यादा था। और तो और, महिला साक्षरता के लिहाज से भी भारत में मुस्लिम समुदाय की बहनें सबसे पिछड़ी हुई हैं जिनका प्रतिशत 48.1 प्रतिशत है।

माननीय सभापति महोदय, और तो और, नेशनल सैम्पल सर्वे के 2009-10 आंकड़ों के मुताबिक सभी धार्मिक समुदायों के बीच सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों के अन्दर ही देखी जा रही है। जिन राज्यों में मुस्लिम समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है, वहां भी अन्य समुदाय की तुलना में स्थिति बहुत खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 25 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी केवल 4.7 प्रतिशत पाई गई है। इसी तरह असम में मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी महज 11 प्रतिशत के आसपास है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुस्लिम समुदाय को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, जो नीति जब कभी बनाई तो उनको परेशान किया जाता है। उनके बीच में डर की भावना पैदा की जाती है। मैं ये आंकड़े इसलिए रख रहा हूं ताकि सदन को पता लगे, इस प्रदेश को पता लगे कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया जाना कितना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, और तो और, जनसंख्या नियंत्रण के कानून बन जाने से, मुसलमानों की संख्या बढ़ने से समुदाय को कोई नुकसान

(श्री अविनाश)

होगा या नहीं होगा, यह कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई यह होगी कि यह जनसंख्या महाविस्फोट खुद मुस्लिम समुदाय को ही सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा। यह आज मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हर 10 सालों के बाद में देश के अन्दर जनगणना होती है। 2021 की जनगणना इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि बीच में 2020-21 के अन्दर कोविड की महामारी आई, इसलिए 2021 के बाद में यह जनगणना नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, 2021 की जनगणना होगी, यह देश की 16वीं जनगणना होगी। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के वर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई, 2021 तक भारत की आबादी लगभग 1 करोड़ 39 लाख 50 हजार के करीब थी और भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है।

माननीय सभापति महोदय, कोविड के चलते 2021 की जनगणना में देरी हुई, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत देश में प्रति व्यक्ति औसत आयु 28.4 वर्ष है, यह इसलिए कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी, पौष्टिक आहार का अभाव होगा, भोजन में जो पौष्टिकता मिलनी चाहिए, प्रोटींस, वे नहीं मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, और तो और, राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों पर यदि हम लोग नजर डालें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या हिन्दू समुदाय की थी और उसके बाद मुस्लिम समुदाय की। हिन्दू 88.49 प्रतिशत, मुस्लिम 9.7 प्रतिशत, सिख 1.27 प्रतिशत, ईसाई 0.14 प्रतिशत, बौद्ध 0.02 परसेंट, जैन 0.91 परसेंट और अन्य 0.01 के साथ में। यह राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या का आंकड़ा मैं आपके सामने निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर प्रथम स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66 लाख 26 हजार के करीब जनसंख्या है और राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों से निकलकर हम लोग बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख निहितार्थ युवा आबादी के लिए होंगे, जो भविष्य में संसाधनों की कमी की स्थिति का सामना करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, भुखमरी और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने और स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर गुणवता प्रदान करने में बाधा के रूप में कार्य कर रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स वन, टू, थ्री और फोर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

हाल ही में, सीएमआईई-सेन्टर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी, एक निजी संगठन द्वारा 1 जनवरी, 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य हैं।

सीएमआईई के अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर 28.5 प्रतिशत है और इसका सबसे प्रमुख कारण अगर कोई है तो जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ती हुई रफ्तार है, वह है और भारत की जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। एन एफ एच एस इंगित करता है कि कुल प्रजनन दर टी एफ आर विभिन्न वैल्थ क्वांटम के महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न प्रकार की होती है और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो इस समाज में जो प्रदेश में सबसे गरीब वैल्थ क्वांटम का है टी एफ आर प्रति महिला 3.2 बच्चे, दूसरे सबसे कम में 2.5 बच्चों का टी एफ आर और जो सबसे अधिक पैसे वाले हैं उनमें टी एफ आर प्रति महिला 1.5 बच्चे हैं।

यह जो मैं बता रहा हूं आपको, इससे पता चलता है कि आबादी के बढ़ते हुए हिसाब से और जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा होती है और जनसंख्या नियंत्रण में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है अन्यथा परिवार नियोजन का भार महिलाओं पर होता है, सारा बोझ महिलाओं पर आ जाता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि महिला नसबन्दी की दर लगभग 38 प्रतिशत है जबकि पुरुष नसबन्दी का आंकड़ा 0.3 प्रतिशत है।

भारत दुनिया में कुल भूमि का केवल 2.4 प्रतिशत साझा करता है जबकि दुनिया के 17 प्रतिशत और 15 प्रतिशत मानव और पशुधन आबादी का बोझ वहन करता है। मानव जनसंख्या में वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि होती है। और तो और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो इसके बारे में

(श्री अविनाश)

अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। प्रथम, भारत चीन से आगे निकलेगा। 2027 तक भारत को सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता, जिस रफ्तार से यह जनसंख्या बढ़ रही है।

जनसंख्या के लाभांश को पुन: प्राप्त करने के दरवाजे 2061 में बन्द हो जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का आकार और प्रतिशत बढ़ रहा है। 2001 में 77 मिलियन से 2011 में 104 मिलियन, 2050 तक बुजुर्गों की आबादी का तीन गुना बढ़ कर 300 मिलियन, मतलब देश की आबादी के 20 प्रतिशत तक बुजुर्गों की आबादी बढ़ कर पहुंचने की सम्भावना है और माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझता प्रदेश और देश, इसके बारे में कहने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है।

लगभग प्रदेश की और देश की आबादी की 42 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। यह बढ़ती हुई देश की आबादी का दुष्परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में एक-एक दिन की देरी भारत के लिए कितनी विस्फोटक होती है, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, भारत में इस वक्त दुनिया की करीब 17.5 प्रतिशत आबादी है लेकिन उसके पास दुनिया का केवल 2 प्रतिशत भू-भाग है, अर्थव्यवस्था में विश्व की अर्थव्यवस्था का केवल 0.03 प्रतिशत है और आबादी के मामले में हम विश्व में सबसे ऊंचे पायदान पर दूसरे नम्बर पर हैं। हो सकता है 2027 में हम पहले नम्बर पर भी आ जायेंगे, लेकिन यह तुलना मैं इसलिये कर रहा हूं कि इसके दुष्परिणाम के बारे में आप और हम सबको चिन्ता करने की आवश्यकता है। यानी मैंने जो आंकड़ा बताया, उसके मुताबिक दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, लेकिन उसके हिस्से में दुनिया की जमीन का पचासवां टुकड़ा है और 3.333 रुपया ही प्रत्येक हिन्दुस्तानी के हिस्से में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हम हमारी आबादी को दुगुनी कर लें, चौगुनी कर लें बाकी दुनिया के मुकाबले हम गरीब ही बने रहेंगे और इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। भारत में बढ़ती आबादी, राजस्थान प्रदेश में बढ़ती आबादी यह अलग-अलग चुनौतियों का विषय है।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट आ रही है। खेती किसानी पर बढ़ता हुआ दबाव है। जल, भूजल, नदियों-तालाबों का जल, मिट्टी और वायु की गुणवत्ता में गिरावट, खाने-पीने की चीजों में बढ़ती मिलावट, स्वास्थ्य सुरक्षा पर बढ़ता खतरा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं के क्षेत्र में माफियाओं का बढ़ता प्रकोप, बेरोजगारी का बढ़ता संकट, कानून-व्यवस्था की बढ़ती दिक्कतें, नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद जैसे हिंसक विचारों को खाद पानी मिलने जैसी सुविधा भी बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रही है।

बढ़ते जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक असंतुलन की वजह से बढ़ता साम्प्रदायिक मनमुटाव, आरक्षण और विशेष दर्जे की मांग को लेकर बढ़ती हिंसा और छीना-झपटी और विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे को लेकर तनाव और रस्साकशी, यह बहुत बड़ी समस्या है। माननीय सभापति महोदय, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आप और हम सबके सामने हैं। मैं कोट करूंगा कि 15 अगस्त, 2019 को देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने उस लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से जब देश को सम्बोधित किया तो उन्होंने भी कहा कि छोटा परिवार ही सच्ची देश भक्ति का परिचायक होता है। बड़ा परिवार देश में असंतुलन पैदा करता है, देश में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर लाल किले की प्राचीर से देश को सम्बोधित करते हुए देश के प्रधान मंत्री जनसंख्या विस्फोट की ज्वलंत और सामयिक समस्या पर चिन्ता जाहिर करते हैं तो मुझे लगता है कि आप और हम सबको समझने की आवश्यकता है।

जनसंख्या विस्फोट की भयानक समस्या के प्रति आगाह करते हुए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2027 तक जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ कर प्रथम स्थान पर आयेगा। प्रधान मंत्री ने भी देशवासियों को बताया कि छोटा परिवार रखना भी सच्ची देशभक्ति है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं। भारत की 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार देश की आबादी जो रिकार्ड की गयी है और उसके बाद में धीरे-धीरे बढ़ रही है और गत दशक 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में 18 करोड़ 10 लाख की बढोतरी दर्ज की गयी है जो बहुत चिन्ता का विषय है।

बढ़ती जनसंख्या के कारण जो मैंने दुष्परिणाम बताये, वे तो हैं ही,

(श्री अविनाश)

लेकिन साथ में विश्व बैंक ने देश में व्याप्त गरीबी की भयावह स्थिति की ओर संकेत करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश की आबादी में लगभग 42 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, देश में विश्व के लगभग बीस करोड़ के करीब लोग भूख व कुपोषण के आधार पर इस दंश को झेल रहे हैं और माननीय सभापति महोदय, देश के अन्दर जनसंख्या नियंत्रण का कानून का स्वरूप कैसा हो और उस पर किस प्रकार की कार्यवाही हो, यह भी जानने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, बचपन से हम लोग सुनते आये थे कि भारत किसानों, गांवों और संयुक्त परिवारों का देश है। राजस्थान प्रदेश भी अपना कुछ ऐसा ही है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट की वजह से आज राजस्थान प्रदेश हो, चाहे भारत हो, किसान, गांव और संयुक्त परिवार तीनों तबाही के कगार पर हैं। नरेटिव यह सेट किया गया कि किसान के बेटे उसके हाथ-पैर होते हैं इसलिये जितने बेटे उतने अच्छे, लेकिन इस त्रुटिपूर्ण नरेटिव का नतीजा यह हुआ कि आजादी के बाद महज एक या दो पीढ़ियों में ही भारत के अधिकांश किसान बर्बाद हो गये। अगर किसी के पास पचास एकड़ जमीन थी, बहुत बड़ा किसान था, लेकिन जब उसके पांच बेटे हुए तो उनके हिस्से में केवल दस-दस एकड़ जमीन आयी। फिर जब इन किसानों के भी औसतन तीन-चार बेटे हुए तो वह महज दो-तीन एकड़ जमीन पर सिमट गये और नतीजा यह हुआ कि दो पीढ़ियों के भीतर ही किसान परिवार की किसानी चौपट हुई। बढ़ते लड़ाईझगड़े, जीवनयापन की मुश्किलों के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे, गांवों से पलायन भी काफी बढ़ गया।

सभापति महोदय, साथ ही, देश भर में लाखों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गये। इसके विपरीत यदि उन किसान परिवारों ने शुरू में ही दो बच्चों की नीति अपना ली होती या उनकी किसानी बर्बाद होने से रोक ली होती तो न संयुक्त परिवार टूटते, न गांव से पलायन बढ़ता और न इतनी आत्महत्याएं होतीं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: कितना और है आपका?

श्री अविनाश (जैतारण): बस पांच मिनट। माननीय सभापति महोदय, देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण लिंगानुपात की जो स्थिति है, वह भी

(श्री अविनाश)

बड़ी चिन्ताजनक है। लिंगानुपात की स्थिति भी बहुत घट रही है। प्रदेश में घटता लिंगानुपात खतरनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है। दस साल पहले हुई जनगणना में लिंगानुपात 888 था जबकि तमाम प्रयासों के बाद भी यह अन्तर कम नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कितना जरूरी है यह सारी बातें बताईं, लेकिन इसके दुष्परिणाम पहले मैंने बताये चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी हो, अल्पपोषण हो, खाद्यान्न का संकट हो, बढ़ता हुआ आतंकवाद हो, गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो, कालाबाजारी हो, हेराफेरी हो, तस्करी हो, जलसंकट व स्वच्छ पेयजल का अभाव हो, तापमान में वृद्धि, भू-उर्वरा शक्ति में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, विकास की गति में रुकावट, सुरक्षित आवास की कमी, बिजली का संकट, मलिन बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी, वन क्षेत्र में कमी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये इस प्रकार के कुप्रभाव हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर समय रहते जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आज जो हम भुगत रहे हैं, आने वाले समय में स्थिति और भी चिन्ताजनक होगी, माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि अधिक जनसंख्या अथवा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अधिक जनसंख्या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। स्वच्छ हवा के अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, नींद का अधिकार और शिक्षा के अधिकार में बाधा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। इस आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान संशोधन की सिफारिश की थी और अब मुझे लगता है कि समय आ गया कि जनसंख्या पर समुचित नियंत्रण हेतु भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। नीति निदेशक तत्व में नया अनुच्छेद जोड़ कर सभी सरकारों का जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करना एक दायित्व होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद 47 के नीचे, 47 (ए) नामक अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है। वैसे भी अनुच्छेद 47 लोगों के

(श्री अविनाश)

पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित है। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है, हमें संविधान में संशोधन कर भाग 4 (ए) के अनुच्छेद 51 (ए) में एक नया कर्तव्य जोड़ना चाहिये जिसमें सभी नागरिकों का यह कर्तव्य हो कि वे जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकारी नीति का पालन करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर एक ऐसी नीति बनाई जाये, राजस्थान एक ऐसा कानून बनाये जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के तहत पालिसी लाई जाये, जहां आगे चलकर इस भयंकर विस्फोट की समस्या को रोका जा सके।

माननीय सभापति महोदय, दो से अधिक बच्चे होने पर शिक्षा, सरकारी नौकरी से वंचित हो, चिकित्सा में किसी प्रकार की उनको कोई सुविधा नहीं मिले। यह जो आप चिरंजीवी की बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, जब तक जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून नहीं बनेगा, एक सख्त पालिसी नहीं बनेगी, तब तक यह दुष्परिणाम हमारे बीच में होते रहेंगे और हमारा राजस्थान प्रदेश पिछड़ता जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, दो से अधिक बच्चे जिस परिवार में होंगे, उसको चुनाव में मतदान से वंचित करने के लिए भी एक पालिसी बनाई जाये। और तो और, गैस सिलेंडर को बंद किया जाये, प्रधानमंत्री आवास को बंद किया जाये, शौचालय योजना को बंद किया जाये। राजकीय सुविधा के रूप में जो राशन सामग्री मिलती है, उस पर भी बैन लगे। बिजली-पानी के सरकारी कनेक्शनों पर प्रतिबंध लगे। पेट्रोल-डीजल जो आवागमन के लिए जरूरी हैं, उन पर भी पाबंदी लगाई जाये। बैंकिग सुविधा पर पाबंदी लगाई जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इसके साथ भी अन्य ऐसे सख्त कानून बनाये जाएं जिनसे इस देश का, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए अपने आपको तैयार कर ले कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए राजस्थान का और भारत का जो कानून बनेगा, उसकी मुझे सख्ती से पालना करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि सम्पूर्ण देश के लिए जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए राजस्थान विधान सभा का यह पवित्र सदन यह संकल्प पारित कर भारत सरकार को भेजे और एक कानून बनाये कि प्रति परिवार माता-पिता के अलावा सिर्फ दो संतान का ही प्रावधान

(श्री अविनाश)

हो। आज चीन में जबकि एक संतान का प्रावधान किया गया है, उसके कारण आज चीन लगभग भारत की बराबरी पर है, थोड़ा-सा ऊपर है, लेकिन आने वाले समय में हम चीन को पछाड़ कर उससे आगे होंगे। हमें जरूरत इस समय यह है कि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों। जरूरत हमें है कि हम सामाजिक रूप से मजबूत हों। हमारा भाईचारा, सौहार्द बना रहे। जनसंख्या के विस्फोट में जितना हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिये, वह हम कर नहीं रहे। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा का यह सदन आज ही यह संकल्प पारित करे, इस विधान सभा के सभी सदस्य और इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक यह संकल्प प्रस्तुत करे कि हम राजस्थान प्रदेश के साथ हैं, राजस्थान सरकार के साथ हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो पालिसी बनेगी, हम उसका सख्ती से, पूरी ईमानदारी से अनुशासन के साथ पालन करेंगे और जो नीतियां बनेंगी, उनको फॉलो करेंगे।

मैं एक बार पुन: आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर, चाहे हमारे विचारक हों, चाहे हमारे महापुरुष हों और देश के प्रधान मंत्री से लेकर जिन-जिन लोगों ने इस जनसंख्या विस्फोट पर अपने विचार व्यक्त किये, मुझे लगता है उस पर मंथन करने की आवश्यकता है क्योंकि हम 21वीं सदी में आज एक ऐसे दौर में पहुंच गये जहां भारत विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है, लेकिन जरूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण पर पालिसी बनाकर हम उसका अनुपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाये, मैं उसके समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बहुत विरले मौके ऐसे आते हैं जब सदन में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हम एक ही समस्या पर एक ही राय से चर्चा करते हैं। अभी माननीय सदस्य ने जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति और उससे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा की और मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हर एक व्यक्ति इस बात से निश्चित तौर पर चिंतित है। इस जनसंख्या के विस्फोटक दबाव ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को छोटा कर दिया।

सभापति महोदय, आप जिस गांव से आते हैं, अगर आप अपने गांव का मुलाहिजा फरमाएं तो आज गांवों का किसान अपने परिवार में बढ़ते हुए सदस्यों की संख्या के कारण रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहा है। सभापति महोदय, इसीलिए हमेशा जुलाई के महीने में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरा विश्व विचार करता है।

सभापति महोदय, इसी 6 नवम्बर को मिस्र में 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, जिसको कोप-27 के नाम से भी जाना जाता है। उस कोप-27 में दुनिया के देशों ने इस बात की चिंता की कि हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण, ग्रीन गैसों का बढ़ता हुआ उत्सर्जन और वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण और उसके कारण से हमारा परिवर्तित होता हुआ इकोलोजिकल सिस्टम, हमारे घटते हुए वन, इन सबके कारण से आज पूरी दुनिया के लोग सम्मेलन करके इस बात की चिंता करते हैं और सबके बीच में कोप-27 में जिस बात की चर्चा की गई, सभापति महोदय, वह इस बात की चर्चा की गई कि इसकी जड़ में कोई बात है तो वह दुनिया पर बढ़ता हुआ जनसंख्या का दबाव है।

सभापति महोदय, आज दुनिया की आबादी 8 अरब है। दुनिया की आबादी में चीन की आबादी 1.45 अरब और भारत की आबादी 1.40 अरब है। सभापति महोदय, यह वही मुल्क है, जंग-ए आजादी के बाद जब हम आजाद हुए थे तब हम 33 करोड़ थे, आज हम बढ़कर 140 करोड़ हो गये। सभापति महोदय, राजस्थान की 2011 की जनगणना के प्रोजेक्शन के अनुसार अगर राजस्थान की जनसंख्या की ही हम बात करें तो आज राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ को छू रही है। सभापति महोदय, राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के 175 देशों से बड़ा है। इस दुनिया में सिर्फ 19 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या राजस्थान से ज्यादा है, बाकी सब देश राजस्थान की जनसंख्या से छोटे हैं। हम युनाइटेड किंगडम, यू के की बात करते हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, यूक्रेन, कनाडा, अफगानिस्तान, इन सारे मुल्कों की आबादी, राजस्थान की आबादी से कम है चिकित्सा मंत्री जी। निश्चित तौर पर जब इस राजस्थान की बढ़ती हुई जनसंख्या की दर को मैं देखता हूं, जिसका विस्तृत विश्लेषण जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया, मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, पर इस दशक में हमारे प्रदेश की आबादी 21 परसेंट के प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ी। आज राजस्थान देश में जनसंख्या की दृष्टि से 8वां प्रदेश है। हमारे पास इस धरती के गर्भ में जो सतही जल है, वह सिर्फ 1.11 एमसीएफ है। सभापति महोदय, जब बात जैसलमेर की आती है तो कहते हैं जैसलमेर की आबादी छितराई हुई है। आज भी जैसलमेर की जनसंख्या भूटान से ज्यादा है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या संभावनाएं, 2022 की रिपोर्ट, यू एन ओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में हिन्दुस्तान चीन की जनसंख्या से बड़ा देश हो जायेगा। आज जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया, सभापति महोदय, इस दुनिया की 18 परसेंट से ज्यादा आबादी इस देश में बसती है और हम जिस भू-भाग में रहते हैं, वह 2.4 है। हमारे संविधान निर्माता से लेकर 1951-56 में जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना बन रही थी, उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था जनसंख्या की वृद्धि के कारण सीमित संसाधनों पर पड़ते दबाव को देखते हुए परिवार नियंत्रण तथा जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

जन्म दर को कम कर हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा काम जन्म दर को कम करना है। सभापति महोदय, अभी जिस कोप 27 की मैंने बात की। अभी यू ए ई में कोप-28 हो रहा है। कोप-27 में पूरी दुनिया के लोगों ने जो चिन्ता व्यक्त की कि जनसंख्या का यह विस्फोट दुनिया में खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा कर देगा। आवास कम पड़ने लग जायेंगे और बेघरों की संख्या ज्यादा हो जायेगी।

ऊर्जा की खपत, सभापति महोदय, आपने देखा होगा, राजस्थान के अन्दर हमने पहले कभी नहीं देखा होगा कि राजस्थान 23809 मेगावाट के साथ सरप्लस स्टेट है और उसके बाद भी अंधेरे में डूबा राजस्थान। राजस्थान के अन्दर हम लगातार देखते हैं कि टूटते परिवारों में घरों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान के अन्दर शहरीकरण के कारण से आज जो पलायन है, आप अगर देखेंगे तो राजस्थान में हर साल 33 परसेंट की रफ्तार से शहर बढ़ रहे हैं। हमारा यह शहर कहां जायेगा? सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी चौमूं तक पहुंच गयी, इधर बस्सी तक पहुंच गयी। मैं समझता हूं कि सारी जमीन, जिस जमीन पर हम खेती देखा करते थे, पेड़ देखा करते थे, वहां हम छोटी-बड़ी इमारतें या कच्ची बस्तियां देख रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, राजस्थान में जिस बेरोजगारी की दर 28.5 प्रतिशत का जिक्र इन्होंने किया है, यह चिंता की बात है। किसी का भी शासन हो, शासन चाहे आप करें या चाहे इधर से करें, पर जनसंख्या का यह विस्फोट हम भी नहीं रोक पाये, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इसलिए इस प्रकार के मामले के अन्दर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किस प्रकार हम सारे संकल्पित हों, इसके लिए हमें निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। आज जिस प्रकार के हालात हैं, यू एन ओ की रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा-पोषण की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के अन्दर भारत में 22.4 करोड़ से ज्यादा लोग भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। यह रिपोर्ट यू एन ओ की है। कुपोषित बच्चों की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश में पहले नम्बर पर आ गया। हमारी भूमि कम हो गयी, हमारे वन खतम हो गये, हमारे पहाड़ खोदे गये, हमारे खनिजों का हम दोहन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, भूजल के लिए मैं क्या बात करूं, कल जो सवाल आया, कितनी चेतावनी भरा सवाल था। हमने इस सदन के अन्दर यह स्वीकार किया कि हम धरती के गर्भ से 155.2 प्रतिशत ज्यादा जल दोहन कर रहे हैं। यह जल कितने नीचे रसातल में जा रहा है? निश्चित तौर पर आज हमारे 33 जोन सेफ हैं, 238 डार्क जोन हैं। इसी कारण से हम देख रहे हैं कि नित नयी महामारियां आ रही हैं। सभापति महोदय, जो नोन-कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक हैं, कार्डियक प्रोब्लम है, टोटल मृत्यु में पिछले वर्ष जो आकलन आया था, उसमें 62 प्रतिशत मृत्यु इनके कारण हुई है। एक शोध-पत्र यह कहता है कि नोन-कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कि कैंसर या दूसरी हैं। सभापति महोदय, आप और हम क्या करेंगे? आप जहां विराजते हैं, उस इलाके के अन्दर भी सब्जियां पैदा होती हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग बढ़ रही है। हम ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न और ज्यादा से ज्यादा सब्जियां कैसे पैदा करें? हम पेस्टिसाइड और इन्सेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेस्टिसाइड और इन्सेक्टिसाइड के साथ हम ऐसी-ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे-से इंजेक्शन की ड्रोप के साथ ही रातों-रात बेल बढ़ जाती है और सब्जी ज्यादा लग जाती है। क्रोमियम और लेड होने के कारण हम कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं।

दुनिया के तमाम लोग चिन्ता कर रहे हैं। बदलते पर्यावरण पर पेरिस के अन्दर सम्मेलन हुआ। हिन्दुस्तान भी सिग्नेटरी था। बढ़ते हुए तापमान को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1 डिग्री सेल्सियस तक किस प्रकार से हम एक दशक तक रोकें, इस पर चिन्ता हुई। सभापति महोदय, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आपने मौसम का बदलता हुआ रूप भी देखा होगा? सारा ईको सिस्टम बदल गया है।

शुद्ध आक्सीजन के लिए, सभापति महोदय, एक पांच सितारा होटल में मुझे किसी मित्र ने बुलाया है। उसने कहा कि एक कमरा ऐसा है, जिसको आक्सीजन चैम्बर कहते हैं। मैंने कहा कि इसमें क्या बात है? उसने कहा कि इसमें प्योर आक्सीजन जनरेटर के माध्यम से देते हैं। आज दुनिया आक्सीजन के लिए आक्सीजन चेम्बर में जाने लग गयी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता।

मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, पर मैं आज के दिन पूर्व उप राष्ट्रपति और तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी को जरूर याद करूंगा। सभापति महोदय, जब वे अपनी राजस्थानी भाषा में जनसंख्या नियन्त्रण की बात करते थे और उदाहरण उस किसान का देते थे। दो भाइयों में एक भाई के पांच बच्चे, एक भाई के दो बच्चे, फिर उसके बाद खेत की जोत, खेत की उपज। जिस भाई के कम बच्चे थे, उसने अपने बच्चों को डाक्टर बना दिया और दूसरा भाई जिसके ज्यादा बच्चे थे, वे कुली बनकर रेलवे स्टेशन पर आ गये। उन्होंने उस समय 1994-95 में जो कानून बनाया था, जिसकी आलोचना, मैं समझता हूं कि हम अलग-अलग दलों के हैं, अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा के हैं। हमारी बात अलग-अलग हो सकती है, पर हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, सभापति महोदय, जब हम उधर बैठा करते थे तो मैंने ही जवाब दिया। डार्क जोन के लिए जवाब दिया। मैंने उस वक्त कहा था कि चार मीटर की रफ्तार से पानी रसातल में जा रहा है और आज मैं इधर से बोल रहा हूं तो चार मीटर की जगह पांच मीटर की रफ्तार से पानी रसातल में जा रहा है। उस समय मैंने जवाब दिया था कि हमारे 19 जिलों के पानी में 1.77 पी पी एम फ्लोराइड है। आज जब मैं यहां देखता हूं तो 2.4547 पी पी एम है। यह दलों की बात नहीं है, पर कम से कम किसी बात पर हमें सोचना चाहिए। आज इस जनसंख्या के नियन्त्रण के लिए आपने कुछ सुझाव दिये।

अन्त में, मेरा एक ही सुझाव है। हम डिस-इंसेंटिव की बात नहीं करेंगे। जहां दो से ज्यादा बच्चे होंगे, बी पी एल है, गरीब है, उनको जो फैसलिटी मिलती है, उनको कम नहीं, हम इंसेटिव की बात करें। उस अमीरी

(श्री अविनाश)

के अन्दर या उस गरीबी के अन्दर, जिसके बच्चे कम हैं, उसको हम किस प्रकार से इंसेंटिव दें, ताकि एक संदेश चला जाये कि आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान की सरकार ने जनसंख्या के नियन्त्रण के लिए सकारात्मक दृष्टि से परिवार को नियंत्रित रखने वाले छोटे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इंसेंटिव दिये हैं। उनको खाद्यान्न के अन्दर विशेष सब्सिडी मिलेगी, उनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी, बिजली के बिलों में मिलेंगी। इस प्रकार की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी बात होगी।

मैं कल प्रधान मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। आबू में ब्रह्माकुमारी जी में उन्होंने कहा कि जल देवता हैं और प्रकृति हमारी मां है। जीवन तो तभी बचेगा जब जल बचेगा और मां की गोद नहीं मिलेगी तो हम कहां के रहेंगे? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरी दृष्टि से निश्चित तौर पर 'charity begins at home' हमें खुद को कोशिश करनी चाहिए। हम जहां जायें, हमारी दुनिया, हमारे लोग, हमारी बात को सुनते हैं। मंत्री महोदय, हम और आप सदन में आते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास हमारी बातों पर होता है, तभी तो हम आते हैं। हम अपने भाषणों के अन्दर जनसंख्या नियन्त्रण की बात निश्चित तौर पर करें। छोटे परिवार के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज का समय आ गया है कि निश्चित तौर पर इस प्रकार का कानून सरकार लेकर आये। कोई पक्ष नहीं, कोई प्रतिपक्ष नहीं, सब मिलकर कहें कि जनसंख्या का भयावह विस्फोट हमारे सारे विकास को लील रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खा रहा है। हमारे भूगर्भ में धंसते जल का कारण यही है। हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे वन खतम हो गये। इसलिए इस प्रकार के कानून की आज आवश्यकता है। मैं इनके संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रामप्रताप जी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, जनसंख्या नियन्त्रण संकल्प के समर्थन में मैं मेरी बात कहना चाहता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप आधा घन्टा बोलना।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आधा घन्टा बोलने के लिए क्या छोड़ा है? जिसने संकल्प रखा है, उसने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी। सभापति

(श्री रामप्रताप कासनियां)

महोदय, इस सदन के अन्दर जब-जब भी मौका मिला, मैंने जनसंख्या के नियन्त्रण के बारे में हमेशा बात कही है।

(समय: 15.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपके कितने बच्चे हैं?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरे तीन हैं, लंगातेर कोनी। घणा जामे ऊत ज। यह भी कहावत है।

सभापति महोदय, आज मूलभूत सुविधा हर जगह हर दृष्टि से कम पड़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? हमारे जन्म से लेकर अब तक जो परिवर्तन देखा है, उसमें यह देखा है कि 30-30, 40-40 किलोमीटर तक आबादी ही नहीं होती थी। आज पूरे बीकानेर डिवीजन के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। यानी कम से कम 70 प्रतिशत आबादी और ज्यादा बढ़ गयी। भूमि आबादी के अंदर चली जायेगी तो अनाज कहां से पैदा होगा? हर नस्ल के अंदर जनसंख्या पर कंट्रोल है, जानवरों में भी। आज पशुधन देखें, गाय देखें, मवेशी देखें, पहले उनकी संख्या ज्यादा थी और आज कम होती जा रही है। हमारे से ज्यादा तो जानवर ही समझदार हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पक्ष-विपक्ष मिलकर, वोट की परवाह किए बिना, ये हिन्दू, ये मुसलमान, छोड दीजिए ये बातें, मुसलमान को, आप आबादी पर कंट्रोल कीजिए, उसको सुविधा दो, पढ़ाओ-लिखाओ, नौकरी दीजिए। अपने आप सब इस बात को मानेंगे। चाहे कोई बी पी एल है, चाहे ए पी एल है, चाहे किसी भी जाति का है, जो व्यक्ति एक बच्चा पैदा करेगा, उसको ज्यादा प्रोत्साहित कीजिए। दो से ऊपर तो होने ही नहीं चाहिए। अव्वल तो एक होना चाहिए, लड़का हो, चाहे लड़की हो। हिन्दुस्तान को बचाना है, राजस्थान को बचाना है तो इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। कितना ही प्रयत्न कर लीजिए, कितनी ही रोड बना दीजिए, कितने ही हास्पिटल बना दीजिए, कम पड़ेंगे। नौ को नारो, सौ को खा जाए चारो। हाल बड़े विचित्र हैं। चाहे पेयजल हो, चाहे खेती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, बहुत दुर्दशा होने वाली है। अगर देश जनसंख्या के बारे में जल्दी नहीं सोचेगा तो यह देश कंगाली के कगार पर तो आगे पहुंच ही रहा है और पहुंच जाएगा। आपस में व्यक्ति व्यक्ति को खाने लग जाएंगे, ऐसा टाइम आना है, अगर समय रहते हुए जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया तो।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, पैदावार के बारे में हरित क्रांति, अगर ये पैदावार नहीं बढ़ती तो भुखमरी तो अभी पैदा हो जाती, परंतु हम तो हरित क्रांति की तरह ही जनसंख्या भी बढ़ाने लग गये। इस पर प्रतिबन्ध हर हालत में लगना चाहिए। जनसंख्या बढ़ाने में कोई सरकार थोड़े ही प्रोत्साहित कर रही है। ये शिक्षित नहीं हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, उनको अगर सब मिलकर प्रोत्साहित करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, पक्ष-विपक्ष सब एकमत होकर जनता को कोई बात कहे और जनता के वह गले नहीं उतरे, ऐसा मेरा मानना है कि हर हालत में मानेंगे।

सभापति महोदय, आपस में हम छींटाकशी करेंगे, मैं इस समय कहना चाहूंगा कि संजय गांधी ने जनसंख्या पर रोक लगाने की बात कही थी, वह सही थी, परंतु उसमें थोड़ी ज्यादती थी। प्रेम से लागू करते तो कार्यक्रम कोई कम नहीं थे। बहुत सूझबूझ का काम किया था। उसके अंदर, इमरजेंसी के अंदर ज्यादती होने लग गयी इसलिए वह मामला पिट गया।

मैं पुन: सरकार से, विपक्ष से, सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पक्ष-विपक्ष सब एक होकर इस संकल्प को पारित करें और केन्द्र में भेजें। हमारे यहां भी नियम बनाने का प्रावधान है। हमें इस चालू सत्र के अंदर कुछ न कुछ प्रयास इसके अंदर करके नियम बनाने चाहिए। भैरोंसिंह जी ने जो नियम बनाये थे, वह तो एक शुरुआत है। उससे कुछ फर्क पड़ा है। एक दिशा दी है। हम सबको सोचकर, मिलकर इस सत्र के अंदर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लेकर आना चाहिए। इस सदन में सभी एकमत से, बिना भेदभाव किये हुए यह कानून जरूर लाएं। अगर इस राजस्थान का भला करना है, राजस्थान की जनता का भला करना है तो हर हालत में जनसंख्या पर कानून बनाइए। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, हमारे जैतारण के माननीय सदस्य ये संकल्प लाए हैं, उनको इसके लिए बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, समय की आवश्यकता है। मैंने वाजपेयी जी का एक भाषण सुना था 1960 के दशक में। उन्होंने लोक सभा में यह कहा था, वे ही वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे तो इस पर आयोग बिठाया कि

(श्री धर्मनारायण जोशी)

जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। 1960 के दशक में उनका भाषण यह था, उस समय केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री शायद सुभद्रा जोशी जी थीं। उन्होंने सुभद्रा जोशी जी को कहा कि आप जनसंख्या नियंत्रण मत कीजिए। कौनसी संतान तुलसीदास जी पैदा हो जाए, ग्यारहवीं संतान थे तुलसीदास जी। कौनसी संतान भगवान कृष्ण पैदा हो जाए, आठवीं संतान थे। यह उस समय की आवश्यकता थी। बाद में उन्हीं वाजपेयी जी ने आयोग बिठाया कि जनसंख्या नियंत्रण में कैसे करें।

माननीय सभापति महोदय, 2008 के चुनाव के पहले परिसीमन बैठा। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सरदार जोगिन्दर सिंह जी थे और परिसीमन में यह तय हुआ कि परिसीमन का आधार क्या बनाया जाए। सीटें बढ़ाई जाएं, लोक सभा में, विधान सभा में, क्या किया जाए? यही तय हुआ कि लोक सभा, विधान सभा की सीटें बढ़ाई जाएं परंतु दक्षिण के राज्यों ने आब्जेक्शन किया कि भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर रखा था। हम लोगों ने, दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पालना की, उत्तर के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पालना नहीं की तो वहां की जनसंख्या बढ़ गयी। हमारे तमिलनाडु में 20 सीटें हैं, 20 ही रहेंगी और उत्तर प्रदेश की 85 सीटों की 150 हो जाएंगी। तब ये फार्मूला तय हुआ कि नहीं जिस राज्य में जितनी सीटें हैं, समान डिस्ट्रिब्यूशन हो जाएगा। जैसे बाहरी दिल्ली की उस समय लोक सभा की सीट थी, 17 लाख वोटर थे और नई दिल्ली की लोक सभा की सीट थी, उसमें 10 लाख वोटर थे। समान डिस्ट्रिब्यूशन किया। मैं माननीय हिदायतुल्लाह, हमारे 1980 के दशक में, 1985 के दशक में भारत के उप-राष्ट्रपति थे, उनका उदाहरण देता हूं। इस कानून को बनाने के समय जाति, धर्म की पालना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा का प्रसार नहीं है। अगर शिक्षा का प्रसार होता, शिक्षित आदमी होता तो ज्यादा पत्नियां नहीं रखता। हर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ज्यादा संतान पैदा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं संतान का भरण-पोषण कैसे करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, संसार के 100 देश ऐसे हैं जिनकी पापुलेशन 50 लाख से भी कम है। 50 लाख से कम है, 100 देश ऐसे हैं। हमारे यहां भारत में स्थिति ये है कि आस्ट्रेलिया की जनसंख्या ढाई करोड़, भारत में ढाई करोड़ लोग तो रोज रेल में सफर करते हैं। ट्रेन में रोज सफर

(श्री धर्मनारायण जोशी)

करने वाले लोग ढाई करोड़ हैं। ये इस देश की विस्फोटक स्थिति है। साधन धीरे-धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। ये तो कोरोना के कारण शहरी आदमी वापस गांव की तरफ भगा कि मुझे बचना है तो गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव में शुद्ध हवा मिलेगी, परंतु शहरों में गांव के आदमी को जाने की ललक पड़ी है, सुविधाओं के कारण।

आज इटली में देखिए। इटली में एक कानून ऐसा बना हुआ है, गाड़ी का अगर लाइसेंस बना हो, वह एलेसेंड्रिया जाएगा तो अपनी गाड़ी शहर के बाहर पार्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद पैदल जाओ या साइकिल से जाओ। उस शहर में वह प्रदूषण के कारण गाड़ी नहीं ले जा सकता। ऐसे सख्त कानून हमको लाने चाहिए।

मैं भैरोंसिंह जी शेखावत का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वह सदन के नेता थे, 1995 में वह कानून लेकर आये। उन्होंने एक-डेढ़ साल की मोहलत दी कि पंचायती राज और नगरपालिका में जो फार्म भरने वाले हैं, पार्षद बनने वाले हैं, सरपंच, जिला परिषद् मेम्बर बनने वाले हैं, उनको 28 दिसम्बर, 1995 के बाद अगर दो संतान से ज्यादा संतान हुई तो उनको फार्म भरने का अधिकार नहीं होगा। यानी वहां से भैरोंसिंह जी ने प्रारम्भ किया। उन्होंने दो साल की मोहलत दी कि दो साल की मोहलत देता हूं, उसके बाद संतान पैदा नहीं होनी चाहिए।

मैं सोचता हूं, इसको बिना जाति-धर्म के अलग करके इस कानून को हम सब मिलकर लागू करें तो हमारी बढ़ती हुई आबादी का नियंत्रण होगा। संकल्पबद्ध होकर, माननीय सदस्य के संकल्प को भारत सरकार को हम सामूहिक रूप से मिलकर भेजें। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, जैतारण से आने वाले सदस्य ने जो संकल्प रखा है, मैं उसी के सम्बन्ध में कुछ बातें बोल कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़, भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। चीन और रशिया के बारे में भी आपको दो बात बताना चाहूंगा। अगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहीं है, भू-भाग है, तो वह

(श्री निर्मल कुमावत)

रशिया के पास है। लगभग 11 प्रतिशत जमीन उनके पास है। भारत के पास पूरी दुनिया की मात्र 2 परसेंट है। चीन की हम बार-बार बात करते हैं कि आबादी में जून में उससे आगे जाने वाले हैं। चीन के पास लगभग साढ़े छह प्रतिशत जमीन है। पापुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो चाइना में 153 लोग पर-स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। भारत की बात करें, 431 लोग पर-स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहां रहते हैं। रशिया की बात करें, जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन है, मात्र 9 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर रशिया में रहते हैं। यह हम सबके लिए एक चिन्ता का विषय है। पूरा सदन आज इसको लेकर चिन्ता में है। मैं समझता हूं कि आज गम्भीर निर्णय इस सदन से होगा।

हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं कई ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने राजस्थान के लिये किये हैं। वे खुद अपने श्रीमुख से भी बताते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किये हैं। निश्चित तौर पर, आने वाले समय में कम से कम राजस्थान के हित में तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य मंत्री जी जनसंख्या को लेकर कुछ न कुछ ऐतिहासिक निर्णय करेंगे क्योंकि उनका तो साफ-साफ कहना है कि केन्द्र सरकार आयुष्मान भारत लाई, वह भी मुख्य मंत्री जी की स्कीम को ही उन्होंने अडॉप्ट किया है। अगर जनसंख्या को लेकर भी वह कुछ लाएंगे तो केन्द्र सरकार भी उसको गम्भीरता से लेगी, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं।

हम राजस्थान की बात करें। राजस्थान देश का सबसे ज्यादा जमीन वाला वाला राज्य है। पूरे देश का औसत 431 पर-स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या का है, तो राजस्थान का 200 व्यक्ति पर-स्क्वायर किलोमीटर का है। राजस्थान में भी अगर हम ज़िलों में आएं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे उप नेता जी ने बताया था, जैसलमेर की आबादी भूटान से ज्यादा है। हम जयपुर की तुलना करें तो जयपुर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर लगभग 598 लोग निवास करते हैं। जैसलमेर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर 17 लोग निवास करते हैं, माननीय राठौड़ साहब।

मेरा इस गम्भीर चिन्तन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि संसाधन के बारे में सारी बातें आ गईं, हम चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करने की बात करें, इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें,

(श्री निर्मल कुमावत)

कर्जा लेने की बात करें या सरकार की आमदनी की बात करें, जितने उपाय सरकार उठाती है, उससे दस गुना ज्यादा हमको आबादी की बढ़ती मार की वजह से, वे संसाधन कम पड़ते हैं। कोई भी सरकार, चाहे यह आए या वह आए। भारत आजाद हुआ था तब भी गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे, तब भी पेयजल की बात कर रहे थे, तब भी बिजली की बात कर रहे थे, सड़क की बात कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं।

मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हम अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों की बात को गम्भीरता से मानें। जलवायु परिवर्तन है, खेती की पैदावार कम हो रही है, लोग शहरों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। पूरी दुनिया का अगर हम लेखा-जोखा देखें, माननीय सदस्य ने बात रखी है, देश-प्रदेश की, पूरी दुनिया के प्रोडक्शन व खपत की बात करेंगे तो एक साल में यह पृथ्वी हमको कितना प्रोडक्शन देती है, उसमें सब चीज आ गई, खाद्य वस्तुओं से लेकर उपभोग की चीज आ गई, उसका उत्पादन किस प्रकार हम करते हैं, यह देखने के लिए गम्भीरता का समय आ गया, माननीय राठौड़ साहब।

हमारा एक साल का बजट होता है, सरकार ने अभी एक साल का बजट पेश किया। धरती का बजट अगर हम देखेंगे तो मात्र 6 महीने में वह बजट पूरा हो रहा है। वर्ल्ड एंड डे हर साल मनाया जाता है। हर साल की स्टेटिस्टिक्स आती है सरकारों की कि कितना प्रोडक्शन आया, कितनी खपत आई, कितनी आबादी है। उसके हिसाब से 2023 का वर्ल्ड एंड डे है वह जून में आने वाला है। हम गम्भीर समय में खड़े हैं। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाने वाले हैं, यह भी हम सबको देखने की बात है। कोई न कोई गम्भीर निर्णय इस सदन के माध्यम से यहां से बने। मैं पक्ष-विपक्ष के सभी साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार इच्छा-शक्ति दिखाना चाहती है तो निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर, एक गम्भीर निर्णय राजस्थान यहां से करे।

पहले भैरोंसिंह जी साहब ने किया था, तीन संतान होती है तो पदोन्नति का भी मामला था, सरकारी नौकरियों का भी था, चुनाव का भी था। कहीं न कहीं वह कड़वा हो सकता है, मगर उसके लिए लोगों को एक प्रेरणा भी मिली कि हम चुनाव से वंचित रह जाएंगे, किसी लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसी प्रकार से हम सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सरकार

(श्री निर्मल कुमावत)

भी इसको गम्भीरता से ले। मैं अपनी यही बात कहकर, समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप तो थर्ड राउण्ड में बोलना चाहेंगे?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अभी।

श्री सभापति: अभी इसी पर बोल रहे हो? पहले मैडम अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे, उसके बाद बोलेंगे या पहले बोलेंगे?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं बोल रहा हूं न।

श्री सभापति: इसी में?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां।

श्री सभापति: बोलिए, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, अगर वाकई में हम लोग देश हित और समाज हित में राजनीति करते हैं तो सबसे पहले यह कदम उनको उठाना पड़ेगा। अगर समाज को सारी समस्याओं से मुक्त कराना है, हर परिवार को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी हैं तो बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अगर हम जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी तरीके से राजस्थान की धरती पर लागू कर देंगे। 'हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम' उसके लिए कितनी ही योजनाएं हमारी ओर से बनाई जाती हैं, अगला सत्र आता है तो कहीं न कहीं और कमी रहती है कि हमें यह योजना और बनानी चाहिए। यह बिना जनसंख्या नियंत्रण के सम्भव ही नहीं है।

जहां-जहां जाओ वहां भीड़ ही भीड़। बस में जाओ तो भीड़, ट्रेन में जाओ तो भीड़। स्कूलों में सीटें कम, कॉलेज में पूरे एडमिशन नहीं हो पाते। अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी कई विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। कारण एक ही है, बढ़ती आबादी। इस समस्या की गम्भीरता को सब समझते हैं, लेकिन पता नहीं कौनसा भय हमको आगे कदम उठाने से बचा रहा है। यह सारी समस्या बढ़ती जनसंख्या के कारण ही पैदा हुई है। जैसे हालात देश के बन गए, जैसे हालात प्रदेश के बन गए, हमारा फर्ज बनता है कि हम बेखौफ होकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून लेकर आएं, ताकि हम इस जनसंख्या को सीमित कर सकें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, अभी तक हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। इसी वर्ष हम आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आने वाले हैं। कारण एक ही रहा कि हमने सही समय पर, सही कदम नहीं उठाए। देर आए दुरूस्त आयद, पर हमको आना होगा। जब अनेक राज्य इस दिशा में पहल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? यहां तो हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम बाकी योजनाओं में देश में सबसे पहले स्थान पर आने के लिए बजट में कोई न कोई प्रावधान कर रहे हैं पर इस दिशा में हमारी ओर से जो पहल होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। कौन रोक रहा है हमें? क्या मजबूरी है हमारी या किसका भय है हमको कि हम जानते हुए भी इस समस्या को लेकर जो कदम उठाने हैं, वह उठा नहीं पा रहे हैं।

मैं धन्यवाद दूंगा देश की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजी को कि पचास साल पहले यह नारा दिया था कि- 'दो या तीन बच्चे, घर में होते हैं अच्छे'। आज पचास साल बाद भी हम क्या सीमित परिवार कर पा रहे हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा संजय गांधीजी को भी कि आपातकाल के दौरान उन्होंने इसकी गम्भीरता को समझते हुए यह अभियान चालू किया सीमित परिवार का। हां, कुछ नीचे के अधिकारियों ने इसमें ज्यादती कर दी वरना उस समय यह अभियान सही तरीके से चलता तो आज यह जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति देश में पैदा नहीं होती।

उसके बाद एक नारा और दिया कि- 'हम दो और हमारे दो', यह नारा हमने नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। जब आपका खुद का यह नारा- 'हम दो, हमारे दो', तो पहल भी आपको ही करनी पड़ेगी, ताकि आपका यह नारा सार्थक हो जाये। हमने नारे दिये थे न कि 'सौगंध राम की खाते हैं, मन्दिर वहीं बनाएंगे', हमने बनाकर दिखा दिया। हमने नारा दिया था। हमने कश्मीर का नारा दिया था कि 'कश्मीर हमारा है' तो हमारा कर दिया हमने, तो यह आपका नारा है 'हम दो, हमारे दो', तो मेहरबानी करके जो नारा आपने खुद ने दिया है, उस नारे की सार्थकता के लिए, अभी सत्र चल भी रहा है तो इसी में हम कोई न कोई कानून लाकर और जैसा कि हमारे उप नेता ने कहा कि हम किसी की कटौती नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं पर जो इस अभियान में सहयोग करके सीमित परिवार रखना चाहता है, उसके लिए अतिरिक्त योजना लाकर, उसको अतिरिक्त लाभ देकर अगर आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो भी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हम इसमें काफी हद तक सफल हो सकते हैं, पर पता नहीं वोट बैंक की राजनीति है या उसका डर, बोलने को तैयार नहीं हैं।

मेरा यह आग्रह रहेगा कि हम बेखौफ होकर प्रदेश के हित में इसी सत्र में संकल्प करें कि बढ़ती आबादी को रोकने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जितने प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, उतने प्रभावी कदम हम उठाएंगे और हम हमारे प्रदेश को देश में पहले नम्बर पर पहुंचाने के लिए सबसे पहल हमारे प्रदेश के माध्यम से हो जाये, उसकी पहल हम करेंगे और सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर राजस्थान की धरती पर यह लागू करेंगे, यह मेरा आग्रह रहेगा।

मैं जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य के इस संकल्प को अपना समर्थन देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं कि यह समस्या आने वाले कल की सबसे बड़ी गम्भीर समस्या है, इसमें सारा सदन एक राय होकर इसका कानून बनाये और इसको रोके।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले जब पढ़ाई के समय लेख लिखना सीखा था तो जनसंख्या पर ही सीखा था कि जनसंख्या का भारी विस्फोट है और जनसंख्या बढ़ रही है। नारे भी सुने और दीवारों पर लिखे देखे भी कि- 'हम दो हमारे दो' और पालन भी कर रहे हैं। देश भर में चिंता भी है और दुनिया में भी शायद इस बात की चिंता है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं कि जनसंख्या पर रोक लगे पर जिस मंशा के साथ मेरे साथी श्री अविनाश ने यह संकल्प पेश किया है, उनकी मंशा ठीक नहीं है। अब एक विचारधारा के साथी बोलते रहे हैं, अभी तक इन्होंने पांच बार जिक्र किया है जाति और धर्म का। जब जनसंख्या की बात आ जाये तो देश के संविधान को ध्यान में रखकर हमें बात करनी चाहिए। मैं मेरे घर की ही बात करूं तो मेरे दादा छह भाई थे, चार बहिनें थीं, उस समय की परिस्थिति यह थी। आज हम दो-दो भाई हैं और दो-दो ही बच्चे हैं क्योंकि परिस्थिति आज ऐसी ही है।

अगर हम कोई कानून देश के किसी भी नागरिक पर थोपना चाहें तो मैं यह समझता हूं कि वह कानून सही ढंग से लागू नहीं हो सकता। जैसे

(श्री बलवान पूनियां)

आपने ही यह कहा कि आपने 1977 की इमरजेंसी में जनसंख्या नियंत्रण का बीस सूत्री कार्यक्रम में भी एक कार्यक्रम था। आप इसको थोपना चाहें, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मैं यह समझता हूं कि इमरजेंसी को अगर सबसे ज्यादा लोगों ने याद किया तो इसलिए किया कि जबरदस्ती आप नसबंदी कर रहे थे। यह बात हमने बुजुर्गों से सुनी है।

माननीय सभापति महोदय, यह सारी बात सही है लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ आप बात करते हो शास्त्रों की, एक तरफ बात करते हो आप रीति-रिवाजों की, एक तरफ बात करते हो आप धार्मिक ग्रंथों की, तो हमने यह भी सुना है कि जिसको चोंच मिली है उसको चुग्गा भी मिलेगा।

मैं जिक्र करना चाहूंगा देश और दुनिया के प्रोडक्शन में जनसंख्या की भागीदारी का। जिस चीन की आप बात कर रहे हैं, उस चीन के लोगों ने इतना प्रोडक्शन किया कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई मार्केट नहीं बचा जहां पर चीन का आदमी सामान बेचने और भेजने के लिए नहीं चला गया हो। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमरीका की है, उस अमरीका की अर्थव्यवस्था में चीन ने सेंधमारी की है। उस जनसंख्या के बलबूते इतना प्रोडक्शन दिया है चीन की गवर्नमेंट ने।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं इस सदन में कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या आइडिया है, इस पर भी हमें गम्भीरता से बात करनी है। हम सिर्फ जनसंख्या पर बात करें, इसी जनसंख्या में से लोग निकले हैं जो देश को आगे लेकर गये हैं। इसी जनसंख्या में से वैज्ञानिक निकले हैं, इसी जनसंख्या में से डाक्टर निकले हैं, इसी जनसंख्या में से इंजीनियर निकले हैं, इसी जनसंख्या में से अध्यापक निकले हैं, इसी जनसंख्या में से नेता निकले हैं। ये सारे लोग इसी जनसंख्या में से निकले हैं, लेकिन आप इस बात पर अगर यह मंशा रखते हैं और सी.ए.ए., एन.आर.सी. को जोड़ते हुए जनसंख्या नियंत्रण की बात करना चाहते हैं तो यह बात ठीक नहीं है।

आपने जो जिक्र किया संकल्प रखते वक्त, जहां से आपने इस बात की शुरुआत की, वह शुरुआत ही इतनी खतरनाक है कि हमें यह पता है कि आने वाले वक्त में आप क्या चाह रहे हो और आप पूरे देश की विधान

(श्री बलवान पूनियां)

सभाओं में यह जो संकल्प लेकर आये हो तो आज आप देश की सत्ता में हो और आठ साल से इस देश की सत्ता में हो, आप देश के संसद में यह कानून लेकर आते कि हम जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे, तो हम बिलकुल स्वागत करेंगे आपके उस कानून का।

माननीय सभापति महोदय, आज देश में जिस टाइप की जरूरत है इस जनसंख्या को, गम्भीरता से हमें इन बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए। गम्भीरता से इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि प्रत्येक हाथ हम काम कितना दे रहे हैं, प्रत्येक हाथ हम रोजगार कितना दे रहे हैं, प्रत्येक आदमी के प्रति हम शिक्षा का और स्वास्थ्य का दायित्व कितना निभा रहे हैं। उसके परिवहन के लिए क्या साधनों का इंतजाम सरकारों ने किया है, यह व्यवस्था भी हमें देखनी है। इन व्यवस्थाओं को सिर्फ हम यह कह कर टाल दें कि, साहब, हमारे यहां इन चीजों की कमी हो गयी, तो आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, यह चाइना मेड है, हिंदुस्तान को चाहिए कि हिंदुस्तान भी इन चीजों का निर्माण करे। यह जनसंख्या जो दुनिया में छा जायेगी, हिंदुस्तानी जहां पर भी जाता है वहां छा जाता है। हिंदुस्तानी जहां पर भी गया है वहां पर अपना रुतबा छोड़ा है। आज फिजी की सियासत हमारे हाथ में है, आज ब्रिटेन में प्रधान मंत्री हमारे हैं। हमारे लोग इतने पावरफुल और इतने तेज हैं कि उनको दुनिया में भेजने की और दुनिया में चीजों के साथ भेजने की, उत्पादन के साथ भेजने की, बाजारों पर कब्जा करने की और करवाने की ओर सरकार कदम उठाये।

मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं संकल्प का कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, लेकिन जिस भावना के साथ यह संकल्प लाया गया है, उस भावना की मैं मुखालफत करता हूं, मैं विरोध करता हूं। भावना ठीक नहीं है मेरे साथी की, मुझे ऐसा महसूस हुआ है इसलिए मैं इस संकल्प के विरुद्ध हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: एक वक्ता और है मिस्टर संयम लोढ़ा। वे अभी बाहर चले गये। तब तक प्रस्ताव ले लें दूसरा? बीच में आ जायेंगे तो बुलवा देंगे उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ऐसे नहीं होता है। अभी इस पर या तो वोट करवा लें और वोट नहीं करवायें तो इसको रिजर्व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रख लें। दूसरे संकल्प पर चर्चा करवा लें, फिर दोनों को साथ ले लें। ऐसा नहीं है कि एक संकल्प के बीच में दूसरे संकल्प के बारे में कोई व्यक्ति आकर विचार व्यक्त कर दे।

श्री सभापति: मिस्टर संयम लोढ़ा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): संयम लोढ़ाजी आ रहे हैं, नहीं तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले तो कई हाउस में बैठे हैं जो बिलकुल जनसंख्या नियंत्रण के लिए मजबूती के साथ बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये आप। प्लीज, आप बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इस बात पर तो कोई एतराज नहीं है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि, 'sex play is the national sport of India' क्या ग्रामीण क्षेत्र में उस माहौल को हम बदलने में सफल रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर हमने लोगों को जीवन में मनोरंजन के वे साधन विकसित किये हैं कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की इस उक्ति का अर्थ बदला जा सके? आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग यह मानते हैं कि पुरुष नसबन्दी करवायेगा तो उसकी ताकत कम हो जायेगी। क्या प्रजातंत्र के 75 साल बाद भी इस मानसिकता में बदलाव आया है? अगर आया हो तो इस सदन के मैम्बर्स का ही पता लगा लेना आप, सभापति महोदय, कि कितने लोग यहां नसबन्दी करवा कर बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट के, उन पर जाने की जरूरत है। एक बार लालू प्रसाद यादवजी से किसी ने पूछा कि आपके दस बच्चे कैसे हो गये तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस समय परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला रही थी और हम कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे, इसलिए मेरे दस बच्चे हो गये। इस मानसिकता से शासन प्रशासन चलाने वाले लोगों की सोच रही है।

अभी आप तारीफ कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने पंचायती राज और कर्मचारियों की पदोन्नति में दो बच्चों से ज्यादा का प्रावधान किया कि वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से कि, आपने विधान सभा और लोक सभा के लिए प्रावधान क्यों नहीं

(श्री संयम लोढ़ा)

किया? जब 25-30 साल पहले एक स्टेट गवर्नमेंट ने प्रावधान किया निचले स्तर के लोगों के लिए, और आप समझते हैं कि वह प्रावधान कारगर था, तो लाने वाले लोगों, सबसे पहले खुद पर लागू करते कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं वह विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ सकेगा, वह लोक सभा नहीं लड़ सकेगा। पिछले 27 साल से सारे वे लोग जिनके दो या दो से ज्यादा बच्चे हो गये, वे आज तक चुनाव लड़ने से महरूम हैं? क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है? अब तो कम से कम यह प्रावधान ले आओ कि 1995 से बढ़ाकर उसको 2022 करते हैं। 2022 के बाद जिसके तीसरा बच्चा होगा, उस पर यह प्रावधान लागू होगा, जिससे 27 साल के अन्दर लाखों लाख लोग जो चुनाव लड़ने से वंचित हुए हैं, कम से कम वे अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का तो प्रयोग कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आज इस देश की विस्फोटक हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? जब इंदिराजी और संजय गांधी ने नारा दिया था, 'हम दो हमारे दो' और सेवन्टीज के अन्दर प्रभावी रूप से परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करने का प्रयत्न किया था तब कौनसी ताकतें थीं जिन्होंने इसका विरोध किया, जिन्होंने देश भर में अफवाह फैलायी, दुष्प्रचार किया और परिवार नियोजन के उस अभियान को दम तोड़ने के लिए बाध्य कर दिया? आज आप कानून बनाने की बड़ी वकालत कर रहे हैं। अगर आपके मन में खोट नहीं रही होती, आपके मन में देश के प्रति प्रेम और लोगों की बेहतरी के प्रति आपका नजरिया साफ रहा होता तो उस समय बढ़ चढ़ कर आप सहयोग करते।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दादा के 22 पोते-पोतियां हैं और 22 में से 20 के दो या दो से कम बच्चे हैं और जो बचे हुए 02 हैं उनके भी तीन से ज्यादा नहीं हैं। ऐसा क्यों हो सका? किसी कानून के कारण नहीं, किसी प्रतिबंध के कारण नहीं, कोई मोटिवेशन के कारण नहीं। शिक्षा के कारण, समझ विकसित होने के कारण हुआ है। किसी को जाकर कहना नहीं पड़ा कि आप बच्चे कम पैदा करो।

माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था की कमियों को, व्यवस्था की असफलता को देश के लोगों पर थोपने का प्रयास मत करो। यह स्वीकार करो कि आप लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके, आप लोगों को अच्छी सेहत नहीं

(श्री संयम लोढ़ा)

दे सके, आप लोगों के लिए बेहतर इन्तजाम नहीं कर सके, उसके कारण से देश में आबादी का विस्फोट हुआ है। जिस वक्त संकल्प रखा गया उस वक्त यह कहा गया कि कानून लाओ और जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों, उनको नौकरी से वंचित रखो, शिक्षा से वंचित रखो, चिकित्सा से वंचित करो, चुनाव लड़ने से वंचित करो, गैस सिलेण्डर से वंचित करो, प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित करो, शौचालय योजना से वंचित करो, राशन से वंचित करो, बिजली-पानी से वंचित करो, पेट्रोल-डीजल पर पाबंदी लगाओ, बैंकिंग सुविधा से वंचित करो। +++ जो यह तुम कर दोगे? सबसे पहले आगे आकर हम खड़े होंगे उन करोड़ों लोगों के हक में, जिनको तुम सुविधाओं से वंचित करने का षड्यंत्र करोगे। (व्यवधान) तो फिर क्या कर रहे हो आप? आप कानून बनाकर गरीब लोगों को वंचित करना चाहते हैं? अन्याय करना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं ये?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उनको पढ़ने की सुविधा नहीं दी आपने। इलाज की सुविधा नहीं दी।

श्री सभापति: ये एक्सपंज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) विधान सभा में माता-पिता आयेंगे? यह क्या बात है?

श्री सभापति: करा दिया एक्सपंज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये कह रहे हैं कि +++ तो आपके काकाजी का राज है?

श्री सभापति: एक्सपंज हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपके काकाजी का राज है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कहा गया है इस सदन के अन्दर। आप क्षमा मांगिए देश के लोगों से। आपने किस आधार पर उनको वंचित रखा है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक्सपंज हो गया। एक्सपंज हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अब यही बाकी था। हमारे मां-बाप को यहां बुलाना बाकी था। आज सारी हदों को पार गये ये।

श्री सभापति: एक्सपंज हो गया। आगे बोलिए, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक्सपंज किस बात के लिए कर रहे हैं?

श्री सभापति: +++

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब इस सदन में कहा गया है कि इन-इन लोगों को सुविधा से वंचित करिये। क्या लोगों का यह संवैधानिक अधिकार नहीं है? लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करके कोई कानून बनाया जायेगा तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए आप। बात खतम हो गयी न। माननीय सदस्य, बात खतम हो गयी। बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अपने बहुमत के घमण्ड में मत रहो। हिन्दुस्तान की अदालतें खुली हुई हैं। अगर इस तरह का कानून लाने की चेष्टा की तो सर्वोच्च न्यायालय तक दरवाजा खटखटाया जायेगा और लोगों को उनका अधिकार दिलाया जायेगा। तब क्या हुआ जब अपने बहुमत के घमण्ड पर आप किसानों के खिलाफ कानून लेकर आ गये? आपने किसानों को मौत के घाट उतार दिया और आपने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिये। क्या हुआ? आपको वो कानून वापस लेने पड़े।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये संकल्प है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संकल्प पर आइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक संकल्प रखा है इन्होंने। यह सदन का संकल्प है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पेट में इतना दर्द क्यों है? पेट में दर्द क्यों है? जब लोगों के लिए वादा किया था, 'सबका साथ, सबका विकास', 15 लाख रुपये सबको देंगे। उनके खातों में 15 लाख रुपये दो, ताकि इस कानून की जरूरत नहीं रहे।

श्री सभापति: संकल्प पर आ जाइये, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह तो चर्चा है। अगर इस तरह से इन्टरवीन करेंगे तो मैं पांच बजे तक बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम छह बजे तक विरोध करेंगे, अगर इस तरह से बात करेंगे तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या समझते हैं आप? हम कोई आपसे डरते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप संकल्प पर बोलिए, प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): इनके टोकने से थोड़े ही होगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस पवित्र सदन ने अनेकानेक कानून पारित किये हैं। सती प्रथा के खिलाफ इस सदन ने कानून पारित किया। भूमि सुधार का कानून इस सदन ने पारित किया। इस सदन के अन्दर राजस्थान के करोड़ों लोगों को जन-सुविधाओं से वंचित करने का संकल्प यदि पारित हो जाए तो इससे बड़ी लज्जा की बात इस पवित्र सदन के लिए कोई और नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कहां लिखा है इन्होंने? संकल्प लिखा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके ट्विटर पर क्या है? आपने बात करते हुए क्या कहा है, जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उनको इन सुविधाओं से वंचित करोगे।

श्री सभापति: उनका अपना विचार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जनसंख्या कम होनी चाहिए, यह कांग्रेस का संकल्प था। परिवार छोटा होना चाहिए, यह हिन्दुस्तान का संकल्प है, लेकिन लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। अभी भी लोगों की मानसिकता है कि बच्चे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...दो ही अच्छे...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...भगवान का आशीर्वाद होते हैं। अभी भी लोग गांवों में यही सोचते हैं कि 'औ तो महादेवजी दियो, औ तो रामचन्द्रजी दियो। माननीय सभापति महोदय, मेहनत करो मेहनत, लोगों में चेतना पैदा करो और उनका यह अन्धविश्वास और इस समझ को ठीक करो कि बच्चे भगवान के देने से पैदा नहीं होते हैं, आपके करने से पैदा होते हैं। यह

(श्री संयम लोढ़ा)

समझाओ उनको और परिवार नियोजन का उपयोग करना सिखाओ। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप संकल्प पर बोलिए, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संकल्प पर नहीं तो किस पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां, बोलो-बोलो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्या सोच रहे हैं, मैं कोई कैटरीना कैफ पर बोल रहा हूं?

श्री सभापति: कन्क्लूड कर लो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कैटरीना कैफ पर बोल रहा हूं?

श्री सभापति: बोल रहे हैं न, आप बोलिए। (व्यवधान) बोलने दो इनको।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ये आसन को धमका रहे हैं। गलतफहमी हो रही है इनको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सबसे ज्यादा अनुशासित सदस्य हूं सदन का। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप कन्क्लूड करिये। कोई दिक्कत नहीं। बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जितने भी लोग हों, आप सर्वे करवा लेना। जिसके तीन बेटियां हों, सर्वे करा लेना, तीन बेटियां क्यों हुई? एक छोरे की उम्मीद थी। वंश तो छोरे से ही चलेगा, उस उम्मीद में कभी तीन, कभी चार, कभी पांच। हमारे वहां एक बाबाजी थे, जो लोगों को यह आशीर्वाद देते थे कि तेरे बेटा होगा। एक महिला के बेटा करते-करते सात बेटियां करवा दीं। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, हम इस बात के... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कन्क्लूड करिये अपनी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सदन के अंदर, जो हमारी आस्था के केन्द्र हैं, उन साधुओं का अपमान हो रहा है। उसका नाम बताओ यहां।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उस बाबा का नाम है राजेन्द्र सिंह राठौड़। (व्यवधान) बाबा राजेन्द्र सिंह राठौड़ उस बाबा का नाम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अब मेरी यह प्रतिभा भी सामने आ गयी कि लोग मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं। मुझे इस योग्य राजस्थान के लोगों ने समझा है न, अगर वही बाबा मैं हूं तो।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह कौनसा आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? यह भी देख लो। (व्यवधान) कौनसे आशीर्वाद की बात है?

श्री सभापति: और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप कन्क्लूड कर लीजिये। (व्यवधान) यह कन्क्लूड कर रहे हैं, करने दीजिये।

(समय: 15.42 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में हम सब बैठे हुए हैं। एक तरफ प्रस्ताव लाया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और, महिला बाल विकास मंत्रीजी, आपकी सरकार ने क्या किया? पहले एक बेटी जन्मती तो 6 हजार रुपये देते थे। अब आपने दो साल से दो बेटी जन्मेगी तो उसमें भी 6 हजार रुपये कर दिये। आप जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं या जनसंख्या नियत्रंण करने का काम कर रहे हैं? यह बताइये आप तो पहले। इस तरीके की जन-विरोधी योजनाएं, राष्ट्र विरोधी योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हो। एक बच्ची तक तो ठीक था, अगर आप दो बच्चियों पर भी यही प्रोत्साहन देते हैं और आबादी बढ़ाने का आप काम करते हैं तो पूरी तरह से गलत है। आज इस संकल्प में मैं आपसे....(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, दूसरी लड़की नहीं, दूसरी संतान कोई भी हो। खाली लड़की के लिए नहीं है। जो भी संतान होगी, गर्भवती महिला को पहले महीने से ही इंसेंटिव दिया जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब आप दो संतानों पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें आप। प्लीज, एक मिनट विराजें आप।

हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पर और सदन आपसे यह चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर तो आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वाणी पर

(श्री सभापति)

भी आप नियंत्रण रखें वरना जनसंख्या नियंत्रण का तो अर्थ ही खतम हो जायेगा। वाणी पर हम नियंत्रण रखें। वाणी में सोच हो, वाणी में शालीनता हो। आप अपनी बात कह रहे हैं, वह सबके समझ में आ रही है, लेकिन यदि आपस में आप इस तरह से करेंगे तो फिर यह सदन का संकल्प तो नहीं रहा, यह तो फिर बड़ी चौपड़ का संकल्प हो गया। हम राजस्थान की ऐसी संस्था में, जो राजस्थान की विधान सभा है, जो राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं और लग यूं रहा है कि हम चर्चा सदन में नहीं करके बड़ी चौपड़ पर कर रहे हैं। यह बड़ी चौपड़ का सदन नहीं है। राजस्थान का बहुत मर्यादित सदन है और मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी बात रखें, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात करते-करते अपनी वाणी का नियंत्रण आप खो देंगे तो आसन अलाउ नहीं करेगा। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि जब सरकार खुद दूसरी संतान के होने पर प्रोत्साहन राशि देगी तो जनसंख्या वृद्धि कैसे रूकेगी? इसलिये मैं आपके माध्यम से इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्रीजी से विनती करूंगा कि आपने पहले जो कर रखा था एक संतान वाला, फिर आपने 6 जिलों के अंदर किया दूसरी संतान के लिए, फिर उसके अगले साल पूरे राजस्थान में किया। आप बैक-आउट हो जाओ, यह देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं। देश में आबादी को नियंत्रण में रखना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही विनती करूंगा कि सरकार कानून लाना चाहती है तो लाये, आप संकल्प पारित करना चाहें, करें, लेकिन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सुविधाओं से वंचित करके गैस सिलेण्डर, आवास वगैरह जो प्राथमिक और बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको वंचित करके अगर कोई भी कानून लाने का इरादा रखेंगे तो उस कानून का पुरजोर विरोध किया जायेगा। आपका मन साफ होना चाहिये। आप चेतना के आधार पर देश को जागृत करके, समाज को जागृत करके, लोगों को जागृत करके आप जनसंख्या का नियंत्रण करिये, जैसा मैंने अपने परिवार का उदाहरण देकर इस सदन में कहा है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबन्ध हेतु प्रभावी कदम उठाना

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध के लिए इस सदन में संकल्प लाने हेतु बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, इससे पूर्व में जिस संकल्प पर चर्चा हो रही थी, प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोट स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाये। पूरा सब्जैक्ट बिना पढ़े हम आधे-अधूरे पर बात करें तो मुझे लगता है कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि सदन स्वयं सकल्प लाया है। इसमें कोई पक्ष-विपक्ष नहीं है, सब मिलकर यह संकल्प लाये हैं। सब अपने-अपने विचार, अपनी-अपनी भावनाएं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से उसको दूसरा मोड़ देना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। यह राजस्थान की संसदीय परम्पराओं के भी विपरीत है।

माननीय सभापति महोदय, अपनी बात की शुरुआत कहां से करूं, यह सोचते-सोचते मुझे लगा कि पहले राजस्थान की क्या स्थिति है। चूंकि आप भी जन-प्रतिनिधि हैं, मैं भी जन-प्रतिनिधि हूं और यहां 200 लोग चुनकर आते हैं और मुझे लगता है कि मेरी बात से हर कोई सहमत होगा। हम अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों का जब नेतृत्व करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी विधवाएं अपनी बात की पीड़ा कहते-कहते यह बात करती हैं कि मेरी बेटी की शादी की व्यवस्था करनी है, क्योंकि मेरा पति नशा करता है और मैं उसकी शादी की व्यवस्था नहीं कर पा रही, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कई महिलाएं इस नाते से आते हैं कि मेरा पति तो है, लेकिन मैं बच्चों की फीस नहीं भर पा रही हूं, क्योंकि मेरा पति जो कमाता है, उससे दारू पी जाता है और इसलिए बच्चों की फीस भरने का पैसा मेरे पास नहीं है। कई महिलाएं यह शिकायत करती हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। खाने को इसलिये नहीं है, क्योंकि मैं विधवा पेंशन की पात्र नहीं हूं। पात्र इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं विधवा नहीं हूं और विधवा नहीं हूं तो पेंशन की पात्र कैसे बन सकती हूं जब विधवा पेंशन की पात्र नहीं बन सकती तो एन.एफ.एस.ए. में मुझे गेहूं भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं?

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पत्रिका की कटिंग का उल्लेख करना चाहूंगी। राज्य सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति, 'सस्ती बीयर और गली-गली बार, खरबों कमायेगी सरकार'। यह खबर जब मैंने पढ़ी तो मैंने आबकारी नीति भी निकाली कि राजस्थान सरकार की आबकारी नीति क्या है? आबकारी नीति पर जब मैं बात करती हूं तो मैं जब अजमेर से जयपुर आती हूं तो मैं देखती हूं हाईवे पर शराब की दुकानें और जो शराब की दुकानें हैं, उन शराब की दुकानों के बाहर बहुत बड़ा-बड़ा लिखा होता है, यहां अंग्रेजी शराब की दुकान है, यहां अंग्रेजी शराब मिलती है। चूंकि मुझे इस संकल्प के बारे में बोलना था तो मैंने जब यह आबकारी नीति निकाली तो मैं उसके कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, दुकानें खोलने का समय, राज्य में मदिराओं के अनुज्ञा-पत्र प्राप्त रिटेल और दुकान खुलने का समय 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक। कितना पालन हम इसका करा रहे हैं, वह हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं और कई माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी होती है कि मदिरा उपयोग, प्रोत्साहन करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाही। अब यह विज्ञापनों पर कार्यवाही, मुझे लगता है कि हमारी सरकारों में कोई भी इस प्रकार की कार्यवाही बहुत नगण्य, बहुत मामूली-सी हुई हो, खानापूर्ति में ही वह कार्यवाही होती है।

इसके अतिरिक्त नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक के प्रयास, 18 वर्ष से कम आयु, क्योंकि एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आप नशीले पदार्थ नहीं बेच सकते। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि यह बात शायद मुझे भी इस संदर्भ में जब यह सूचनाएं खोज रही थी, तभी मुझे पता पड़ा कि 18 वर्ष से नीचे व्यक्ति को नशीली चीजें हम नहीं बेच सकते। इसके पहले तक मुझे भी, माननीय मंत्री महोदय, यह पता नहीं था। इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं? सिरोही, पाली, जालौर जिलों में जो हुआ, हिम्मत अभिलाष टाक, जालौर के एस.पी. ने जो कुछ किया, वह तो हम सबके सामने ही है।

माननीय सभापति महोदय, यह नशा क्या है और इससे क्या नुकसान हैं? अब मैं इस पर आना चाहूंगी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का एक प्रतिशत तम्बाकू के उपभोग से होने वाली बीमारियों और शुरुआती मौतों में खो दिया जाता है। तम्बाकू उत्पादों से उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त प्रत्येक

(श्रीमती अनिता भदेल)

100 रुपये पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 816 रुपये का नुकसान होता है। यह नुकसान जो मैंने शुरुआत में बताये, वह तो किस तरह से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, जिसके प्रेक्टिकल, व्यावहारिक उदाहरण मैंने दिये हैं। आप सब भी शायद इससे बहुत अच्छे से सहमत होंगे।

शराबबंदी होनी चाहिए, इसके लिए अनेक बार गुरूशरण छाबड़ा जी ने आंदोलन किया और उनकी मृत्यु भी हो गयी। हम क्यों मजबूर हैं शराब और इन तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को अनुमति देने के लिए? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? क्या इंसान का जीवन सब कुछ नहीं है? क्या इस मानवता को बचाना सब कुछ नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, जब मैं इस बात को लेकर देखती हूं तो आप देखिये कि उत्पाद शुल्क के रूप में 100 रुपये पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 816 रुपये का नुकसान होता है। यदि हमको कहीं से पैसा मिल रहा है उत्पाद शुल्क के रूप में तो उसके अगेंस्ट 816 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हमें कहां लाभ है? मुझे लगता नहीं है।

2017-18 के बीच 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सभी तम्बाकू जनित बीमारियों और मौतों के कारण आर्थिक लागत 27.5 बिलियन अमेरिकी डालर और यदि भारतीय मुद्रा में यह बात कहूं तो 1,77,340 करोड़ रुपये आंकी गयी है।

जो व्यक्ति नशा करता है, शराब से या तम्बाकू से, बीड़ी-सिगरेट से और बाकी किसी से भी और वह बीमार होता है तो अस्पताल के दौरे करने पड़ते हैं। परिवार में से कोई न कोई देखरेख के लिए भी चाहिए। जो कमाने वाला व्यक्ति है, यदि वही बीमार हो जाये तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। यदि इस दृष्टि से हम देखते हैं तो आय का नुकसान 6,181 करोड़ रुपये हो जाता है। यह जो लागत है, वह बहुत खतरनाक है।

माननीय मंत्री महोदय, वर्ष 2016-17 के तम्बाकू से कर राजस्व, इसकी आर्थिक लागत का सिर्फ 12.2 प्रतिशत है। जितना हम कर के रूप में, उत्पाद के रूप में वसूल कर रहे हैं वह सिर्फ 12.2 प्रतिशत है। यानी, इसके अगेंस्ट में बाकी 88 परसेंट तो हम खर्चा ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी चूंकि यहां बैठे हैं, 2017-18 में अकेले तम्बाकू उत्पाद के कारण होने वाला प्रत्यक्ष चिकित्सा व्यय, स्वास्थ्य पर कुल निजी और सार्वजनिक व्यय दोनों

(श्रीमती अनिता भदेल)

को यदि मिला लिया जाये तो 6,98,430 करोड़ का लगभग एक प्रतिशत यानी 6,984 करोड़ रुपये आता है। जो कुल इलाज पर खर्चा होता है उसका 5 प्रतिशत आता है। इस प्रकार के नशे करने वाले लोगों के इलाज पर खर्च होता है।

भारत में लगभग 269 मिलियन, लगभग 30 करोड़ तम्बाकू उपयोग कर्ता हैं। इनमें से 20 करोड़ चबाने वाले तम्बाकू का उपयोग करते हैं और लगभग 10 करोड़ धूम्रपान जैसे बीड़ी, सिगरेट पीते हैं। 3.2 करोड़ धूम्रपान के साथ तम्बाकू, दोनों का ही सेवन करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोटपा एक्ट जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे यह जानकारी मिली कि इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते। मैं प्रेक्टिकली बताती हूं कि मैं पिछले 20 सालों से यहां आ रही हूं। यहां इस विधान सभा में हां पक्ष और ना पक्ष की लॉबी में भी आपको बहुत लोग सिगरेट पीते हुए मिल जायेंगे, परंतु कभी उन पर जुर्माना लगा हो, ऐसा नहीं हुआ है। 20 सालों में तो मैंने नहीं देखा।

हर साल 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से अधिक लोग तम्बाकू के उपयोग से मरते हैं। मुख्य रूप से धूम्रपान और जो धूम्रपान नहीं करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, पैसिव स्मोकिंग इसको कहा गया है, कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, अतिरिक्त मौतों का कारण भी बनता है।

क्षेत्रफल के हिसाब से यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ-साथ 1.2 करोड़ तम्बाकू उपयोगकर्ताओं का घर है। यानी, हमारे राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग तम्बाकू का उपयोग करते हैं, जिनमें से 70 लाख तम्बाकू चबाते हैं और 63 लाख बीड़ी या सिगरेट के रुप में तम्बाकू या इस प्रकार नशीला पदार्थ लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब भारत की बात करती हूं तो भारत में वर्ष 2017-18 में, चूकि हमारे यहां जो स्टडी आयी है वह 2016-17 में ही हुई है, 2016-17 के बाद में कोई स्टडी नहीं हुई। ग्लोबल एडल्ट तम्बाकू सर्वे 2016-17 की स्टडी से मालूम होता है कि 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में तम्बाकू के उपयोग से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों के कारण होने वाली कुल आर्थिक लागत 1,77,340 करोड़ या 3,773 प्रति व्यस्क रहती है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2011 की तुलना में लागत 1,45,980 करोड़ रुपये थी।

यदि हम अनुमानों को तुलनीय बनाने के लिए दोनों में कम्पेयर करें तो हम देखेंगे कि 1,45,980 करोड़ जो पहले थी, उसका यह जो सूचकांक है, यह आया है, यह जितनी स्पीड से मूल्य वृद्धि हुई है या मूल्य सूचकांक जितनी तेजी से बढ़े हैं, उससे भी डबल गति से यह स्थिति बढ़ी है। तम्बाकू के प्रत्यक्ष व्यय के कारण स्वास्थ्य देखभाल व्यय एक साथ मिलकर भारत में सालाना लगभग 1.5 करोड़ लोगों को गरीब कर देता है। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट कहती है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, 'बीमारियां बांटकर 10 हजार करोड़ रुपये खा रहे तम्बाकू कारोबारी'। अभी थोड़े दिन पहले राजसमंद जिले में एक कार्यक्रम था, मैं वहां गयी थी। मुरारी बापू वहां कथा वाचन करने के लिए आये थे। जब मैं यह पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान भी वहां गया कि यह क्या सिस्टम है? हम लोग, विशेषकर महिलाएं इस तरफ नहीं देखती हैं कि अंदर तक की क्या व्यवस्था है। वहां मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा मुरारी बापू को, मैं शायद करेक्ट कह रही हूं, एग्जैक्ट यही शब्द थे, 'मुरारी बापू, उनको कहो मदन जी को, जो मिराज के मालिक हैं, कि वह यह धंधा चेंज कर दें'। इसके लिए सहमति नहीं बनी। इसका अर्थ क्या है?

जो वहां शिव प्रतिमा बनी है, इतने करोड़ों लोग जो मिराज खाते हैं, क्या उन मिराज खाने वाले लोगों को कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मुझे पता नहीं था, जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता पड़ा कि शुगर भी तम्बाकू खाने से होता है, धूम्रपान करने से शुगर भी होता है। क्या हम ऐसे लोगों का ऐसे सामाजिक अवसरों पर तिरस्कार नहीं कर सकते, जो हमारे लोगों को जहर बांट रहे हैं? यह एक्चुअल में है तो जहर ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 7 हजार टन तम्बाकू कचरा घोल रही है धरती में जहर। धरती जिससे जहरीली हो जाये, उसको क्या खाना बहुत जरूरी है?

(समय: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कुछ समय पहले ध्यानाकर्षण लगाया था, उसका जवाब मैं यहां उल्लेखित करना चाहूंगी। पिछले 5 वर्षों का, 2017 में 61 मुकदमे दर्ज हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या 98 थी। उनसे प्राप्त सामग्री 41 ग्राम स्मैक, 5.220 किलोग्राम चरस,

(श्रीमती अनिता भदेल)

9.868 किलोग्राम अफीम, 8.865 ग्राम गांजा और 3001.457 किलो डोडा-पोस्त थी। इसी प्रकार से 2018 में 178 मुकदमे हुए 148 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चरस, गांजा उनसे वसूल किया गया। 2019 में 99 मुकदमे, 144 लोगों के गिरफ्तारी हुई। 2020 में 11 ही मुकदमे, 2020 में संख्या सबसे कम, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये चरस, गांजा, स्मैक, प्रतिबंधित हैं एन डी पी एस एक्ट के तहत, लेकिन हमारे यहां पर दरगाह है, पुष्कर है, यहां पर अवैध तरीके से इनका फिर भी बेचान हो रहा है और हमारे अधिकारियों को इतनी छूट नहीं है कि इसको रोककर हमारी युवा पीढ़ी को उस नशे से बचा सकें। जब हम हरियाणा और पंजाब बोर्डर से लगते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखते हैं। युवा लड़के-लड़कियों के ऐसे झूमते हुए फोटो वायरल होते हैं कि उनको देखकर दया भी आती है और दुःख भी होता है कि ऐसा कौनसा पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पैसे के लिए हम अपनी इस युवा पीढ़ी को खतम कर रहे हैं। चूंकि हिन्दुस्तान युवाओं का देश है, युवाओं की उपादेयता तभी साबित हो सकती है जब वे शिक्षित हों, नशे जैसी बीमारियों से दूर रहें। (व्यवधान) मैं तो अपनी बात कह सकती हूं। मानना, नहीं मानना सबका अधिकार है।

माननीय सभापति महोदय, तम्बाकू किस रूप में उपयोग में ली जाती है, अब मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगी। यह तम्बाकू निकोटिया टैबेकम पौधे से प्राप्त होता है। इसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, हुक्का-चिलम आदि सहित चूने के साथ मिलाकर सीधा ही उपयोग किया जाता है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वैबसाइट पर दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 32 प्रतिशत जनता किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करती है। इसमें 50.5 प्रतिशत पुरुष और 20.3 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है, चिंता देने वाला आंकड़ा है। धूम्रपान-प्रदेश में 13.4 प्रतिशत पुरुष और 4.8 प्रतिशत महिलाएं बीड़ी, सिगरेट, हुक्के आदि के रूप में तम्बाकू का सेवन करती हैं। चबाने वाले तम्बाकू का भी यही प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट, 2011 के अनुसार प्रदेश में 1 हजार 160 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का नुकसान होता है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 80 हजार व्यक्ति काल का ग्रास बन जाते हैं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, तम्बाकू मुंह, गला, श्वसन और फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारक है। इससे न केवल तम्बाकू उपयोग करने वाले, अपितु उसके परिवार पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसी मैंने पहले चिंता जाहिर की कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति तो दयनीय होती ही है, लेकिन उससे भी उस परिवार में झगड़े-फसाद इतने होते हैं, इतने लड़ाई-झगड़े होते हैं कि उस परिवार की शांति ही चली जाती है और एक दिन आदमी सोचता है कि मैं जाकर सुसाइड क्यों न कर लूं। इससे कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आदमी इन सब चीजों से बचने के लिए शार्ट-कट अपनाता है और उसको लगता है कि चोरी कर लूं, जो बच्चे छोटे हैं, 17-18 साल से भी कम उम्र में छोटे बच्चे जब इन चीजों का नशा करते हैं तो अनेकों बार वे अपने घर से ही चीजें चुराने लग जाते हैं और चोरी की एफ आई आर दर्ज होती है तो पता चलता है कि उनके बेटे ने ही नशा करने के लिए वे चीजें चुराई हैं। यह नशा हमें किस राह पर लेकर जा रहा है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। इससे न केवल तम्बाकू उपयोग करने वाले, अपितु उनके परिवार वालों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल एडल्ट तम्बाकू सर्वे, गैट 2016-17 के अनुसार राजस्थान में धूम्रपान करने वालों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है और यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, सीओपीडी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, उसमें महिलाओं में प्रजनन सम्बन्धी विकार, सांस की बीमारी, प्रीमेच्योर मेनोपॉज, सरवाइकल कैंसर, अबोर्शन जैसी समस्याएं होती हैं। जीवन शक्ति का क्षय होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहती कि सिर्फ राजस्थान में या सिर्फ भारत में ही इसका चलन है, पूरी दुनिया में, पूरे आल ओवर वर्ल्ड में इसका चलन है, लेकिन डब्ल्यू एच ओ और बाकी की संस्थाएं, जो मानव संसाधन को हमेशा बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं, मैं देखती हूं कि उनकी तरफ से तम्बाकू का उपयोग दुनिया भर में रोकी जा सकने वाली मौतों, यह राजस्थान में ही नहीं हो रहा, भारत में ही नहीं हो रहा, दुनिया भर में मौतें हो रही हैं। तम्बाकू का उपयोग ऐसा है, जितनी मौतें हैं, उनको रोका जा सकता है, उन लोगों को बचाया जा सकता है। तम्बाकू अपने आधे उपयोगकर्ताओं को समय से पहले मार देता है। यदि

(श्रीमती अनिता भदेल)

किसी की एवरेज उम्र 80-90 वर्ष हो सकती है तो उसको 10 साल पहले ही इससे मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। 10 साल पहले यानी कि उसका जीवन 10 साल छोटा हो जाता है।

तम्बाकू का उपयोग हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी, स्ट्रोक बनने का कारण तो होता ही है, भारत में कुल मृत्यु में 13 प्रतिशत केवल तम्बाकू जनित रोगों के कारण होता है। भारत में हर वर्ष 13 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू जनित बीमारियों के कारण होती है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसको रोका जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब हम बात करते हैं, अभी जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे। इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। यदि ज्यादा जनसंख्या होती है तो प्रदूषण निश्चित रूप से बढ़ता है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है, खाद्य वस्तुओं की अधिक आवश्यकता होती है। इनका कचरा निकलेगा तो प्रदूषण होगा और वह जाएगा तो इसी पर्यावरण में, तो तम्बाकू उपयोग से होने वाले कचरे का निस्तारण नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह मैं बताना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, तम्बाकू उपयोग से पैदा होने वाले कचरे से 30 लाख मानक प्लास्टिक की बाल्टियां बन सकती हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, यदि हम उनको कैलकुलेट करें तो 30 लाख प्लास्टिक के पाउच जिनमें गुटखा मिलता है, मैं उसी की बात करती हूं, तो 30 लाख प्लास्टिक की बाल्टियां बन सकती हैं। पेपर पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सालाना 59 हजार 84 पेड़ काटे जाते हैं, जिनसे 32 लाख नोट बुक, जिस पर हम लिखते हैं, वे बन सकती हैं। उत्पादित फिल्टर के कचरे से 3 लाख 58 हजार वयस्क आकार की टी-शर्ट बन सकती हैं। एक बोइंग 747 विमान सालाना उत्पादित एल्युमिनियम कचरे से बनाया जा सकता है तो यह न केवल मानव के स्वास्थ्य पर, मानव की अर्थव्यवस्था पर, उसकी घर-गृहस्थी पर असर डालता है, बल्कि पर्यावरण पर भी असर डालता है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी भारत की बात की, लेकिन जब मैं राजस्थान की बात करूं तो कुल सालाना 3 हजार 8 टन प्लास्टिक, 2 हजार 390 टन कागज और 234 टन एल्युमिनियम और 53 टन फिल्टर का कचरा इससे उत्पादित होता है। सिगरेट और बीड़ी और चबाने वाले तम्बाकू से

(श्रीमती अनिता भदेल)

कितना होता है, एम्स जोधपुर की 2022 की स्टडी रिपोर्ट है कि सिगरेट से 1577.22 टन, बीड़ी से 1124.91 टन और चबाने वाले तम्बाकू से 1497.85 टन, कुल कचरा 6800.07 टन प्रतिवर्ष निकलता है। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह जोधपुर एम्स की वर्ष 2022 की रिपोर्ट है।

माननीय सभापति महोदय, 15वीं विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम हुक्का-बार बंद करेंगे और निश्चित रूप से सदन में संशोधन भी लेकर आये। 2003 के कोटपा एक्ट में संशोधन किया उन्होंने और हुक्का-बार को प्रतिबंधित कर दिया। मेरी ओर से इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई, लेकिन क्या एक कागजी आदेश निकालने से हुक्का-बार बंद हो गये हैं? नहीं। वे अवैध रूप से चल रहे हैं। जिन अधिकारियों को इसको रोकने का कानूनी अधिकार है, उनके रोक नहीं पा सकने के कारण क्या हैं? क्या ऐसी बंदिशें हैं, किसके दबाव में हैं कि हम इन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद व्यापार, वाणिज्यिक आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनिमय का निषेध अधिनियम, 2003; कोटपा, नामक एक व्यापक कानून बनाया, लेकिन उस कानून के तहत जितनी अधिसूचनाएं निकाली गई हैं, हम उन अधिसूचनाओं के तहत कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? यह मेरा प्रश्न है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भी कानून बनाये गये, लेकिन हमने उनकी भी पालना नहीं की। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 77 भी इसके लिए उल्लिखित करती है, लेकिन उसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया तो सीधा-सीधा मेरा कहना है कि हम कानून तो बनाते हैं, लेकिन उनकी पालना नहीं होगी तो उन कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उनसे जनता को कोई लाभ नहीं मिलता।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय तम्बाकू का कानून बनाने के बाद और डब्ल्यू एच ओ संगठन के प्रेशर में इस पृथ्वी पर जितने देश हैं, उन सबने एक संधि की और उसके तहत हमें भी कुछ नियम बनाने पड़े। उन नियमों के तहत एन टी सी पी का एक कार्यक्रम लाया गया। चूंकि यह मुख्य कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत ही चलता है तो क्या हम इसे और

(श्रीमती अनिता भदेल)

अधिक विस्तार और चर्चा का विषय नहीं बना सकते? तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में इस एन टी सी पी प्रोग्राम में जो-जो कार्यक्रम किये जा सकते हैं, उनका मैं उल्लेख करती हूं। क्या हम जागरुकता पैदा नहीं कर सकते? क्या सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के बारे में हम जन-जागरुकता का काम नहीं कर सकते?

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठनों, स्कूल शिक्षकों और परिवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी यहां बैठे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि यह कानून आलरेडी बना हुआ है, इस कानून के तहत जो सी एम एच ओ हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से पावर देनी चाहिए कि वे इस कानून के तहत खुलकर कार्रवाई करें, लेकिन उन्हें इस कानून की कोई जानकारी नहीं होती है।

हमारे जिले में जिला कलेक्टर ही महत्वपूर्ण तरीके से इस प्रकार के जन-जागरुकता के कार्यक्रमों को कराये तो मुझे लगता है कि हम और अच्छी गति से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना, शिक्षा, संचार, आई ई सी की गतिविधियां, चूंकि आई ई सी की गतिविधियां सरकार करती है, लेकिन वे गतिविधियां सिर्फ हम तक ही सीमित हो जाती हैं। या तो सरकारी नुमाइन्दों या सरकारी अधिकारियों को पता होता है, आम जनता तक जब वे गतिविधियां जाएं, तभी हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं।

स्कूलों में कार्यक्रम कराये जाएं। तम्बाकू नियंत्रण कानूनों की निगरानी करने वाला कोई नहीं है। यदि हर सप्ताह आप इसकी समीक्षा करें, निगरानी करें तो बहुत द्रुत गति से हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। ग्राम स्तर की गतिविधियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाये। जिला स्तर पर औषधि उपचार सुविधाओं के प्रावधान सहित निवारण सुविधाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम के बारे में जब बात करती हूं, वह एक महत्वपूर्ण इकाई है। एक छोटी-सी चीज, जिसे बीड़ी कहते हैं, वह होती छोटी जरूर है, लेकिन वह सिगरेट से भी अधिक नुकसान करती है। कितना नुकसान करती है, यह मैं उल्लेख करना चाहूंगी आंकड़ों के द्वारा। मुम्बई की एक स्टडी आयी है उसमें सिगरेट पीने वाले की अपेक्षा जहां मुंह में कैंसर की

(श्रीमती अनिता भदेल)

दर 42 प्रतिशत अधिक थी, फेफड़े और स्वर तंत्र में यह दर क्रमश: 35 प्रतिशत और 112 प्रतिशत अधिक थी। जो बीड़ी पीते हैं, उनमें यह कितना प्रतिशत है, यह हम उस स्टडी के द्वारा देख सकते हैं।

इसी के साथ में, दिल्ली की एक स्टडी है, जो कहती है कि सिगरेट की अपेक्षा बीड़ी के स्वत: बुझने की सम्भावना अधिक होती है। इसके पीने वालों को इसे अधिक बार और हर बार गहरा फूंकना होता है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एक सिगरेट को जहां नौ बार फूंकता है, वहीं बीड़ी वाले को इसे 28 बार फूंकना पड़ता है। सिगरेट पीने वालों की तुलना में तम्बाकू की हानि से अधिक वह व्यक्ति प्रभावित होता है। इसमें फिल्टर की अनुपस्थिति और इसके आवरण की विशिष्टता के चलते यह निकोटिन के अतिरिक्त तम्बाकू के जहरीले रसायनों, जैसे फिनाइल, हाइड्रोजन, सायनाइड, हाइड्रो कार्बन, अमोनिया और कार्बन मोनो-आक्साइड के साथ-साथ वातावरण में प्रदूषणकारी कणों को भी अधिकता से ग्रहण करते हैं।

आगे ये लिखते हैं, तेन्दू पत्ते में लिपटे इस तम्बाकू पदार्थ के कितने नुकसान हैं। कर्ज के बोझ से दबे तम्बाकू की खेती करने वाले किसान, क्योंकि कर्ज लेकर खेती करते हैं, जो किसान खेती करता है, वह भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि वह इसी के आस-पास काम करता है। तेन्दू पत्ते को सुबह से संध्या तक जंगलों में भटककर एकत्रित करने वाले अनभिज्ञ आदिवासी, हमारे यहां चित्तौड़ के आगे चले जाइये, हमारे यहां तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है। वहां पर हर दिन तम्बाकू दूषित वातावरण में घण्टों लपेटने के बावजूद ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित महिला/बच्चों के शोषण और बीड़ी व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों की सांठ-गांठ की दु:खद गाथा है।

हमारे यहां राजस्थान में बीड़ी व्यवसाय है। यह सही कहा है कि बीड़ी व्यवसायी, जो घरों में व्यवसाय करते हैं, उनका इसके कारण से शोषण होता है। वे घरों में बीड़ी लपेटते हैं, लेकिन कितनी मजदूरी मिल रही है, यह कोई देखने वाला नहीं है। सरकारी योजनाओं में उन्हें लाभ दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप केन्द्र सरकार को भी यह सिफारिश भेजें कि केन्द्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं ऐसे बीड़ी बनाने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए हैं, जबकि वह उनके स्वास्थ्य को नुकसान कर

(श्रीमती अनिता भदेल)

रहा है। एक तरफ तो आप वेलफेयर की योजनाएं चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हें उन योजनाओं के माध्यम से मजबूर कर रहे हैं कि आप यही धन्धा करते रहें। क्या हम कोई वैकल्पिक काम-धन्धा उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकते? क्या हम राजस्थान में कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट नहीं कर सकते? मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बीड़ी बनाने वाले बहुत हैं। कई परिवारों की तो आर्थिक स्थिति इसी व्यवसाय के कारण चलती है। उनकी मजबूरी है। इसके अलावा उन्हें और कोई काम आता नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह हानिकारक व्यवसाय उनसे छुड़ाना चाहिए और इसे बन्द करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमें उन्हें दूसरी ओर ले जाना चाहिए।

महिला/बच्चों के हाथों से लिपटी गयी घरों में उत्पादित अत्यधिक सरकारी वित्तीय छूट। माननीय सभापति महोदय, इस बीड़ी पर बहुत ज्यादा सरकारी छूट है। छोटी-छोटी फर्म्स हैं बीड़ी बनाने वाली, उन्हें टैक्स में छूट दी गयी है, क्योंकि उनका छोटा टर्नओवर है। ऐसी फैक्टरीज को, फर्म्स को टैक्सेशन के दायरे में लाना होगा, क्योंकि खुला धूम्रपान, खुली बिक्री और ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि कोटपा एक्ट में यह प्रोविजन है कि आप कोई भी बिक्री करते हैं तम्बाकू की, तो उस पर लेबल लगाएंगे, चेतावनी लगाएंगे, लेकिन जब आप वह खुली बेच रहे हैं तो आपके पास लेबल नहीं है तो चेतावनी आपके पास आटोमैटिक नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ये अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इससे कितना नुकसान होता है और वे इसका सेवन करते रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी। राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं स्टीयरिंग समिति का गठन करके हर महीने हम तम्बाकू के कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा कराएं। एक कमेटी इस प्रकार की बननी चाहिए, जिस तरह से विजिलेंस की कमेटी बनी हुई है और वह हर महीने समीक्षा करती है, तो कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बने और हर महीने कितने कार्यक्रम उन्होंने किये, कौन-से कार्यक्रम हुए, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसकी एक कमेटी बनायी जानी चाहिए।

सभी जिलों में महीने का अन्तिम दिन तम्बाकू निषेध दिवस के

(श्रीमती अनिता भदेल)

रूप में मनाया जाना चाहिए। विक्रेताओं को तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री को प्रतिबन्धित कर आवश्यक कार्रवाई की जाये, ताकि नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद सहजता से उपलब्ध नहीं हो सके। राज्य में तम्बाकू मुक्त शपथ दिलायी जाये। रक्षा बन्धन जैसे पर्वों पर बहनें अपने भाई को यह शपथ दिलाएं और संकल्प पत्र भरवाएं, उनकी लाटरी निकालें और उसके द्वारा उन्हें पुरस्कृत करें। इससे बाकी बहनें भी इस काम में जुटेंगी और इस काम को आगे बढ़ाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, सभी शिक्षण संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त घोषित करने की कार्रवाई की जाये। वैसे तो शिक्षण संस्थाओं के बाहर कहीं भी तम्बाकू बेचना अपराध है, पर प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? शिक्षण संस्थाओं के बाहर जितनी भी स्टेशनरी शॉप्स हैं, उन पर आपको बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू बिकती हुई दिख जायेंगी। माननीय सभापति महोदय, और तो और, जो हमारे डेयरी बूथ हैं, जो सिर्फ दूध की बिक्री को ही अलाउ करते हैं, उन डेयरी बूथों पर भी ऐसी लड़ी लगी हुई, आपको गुटखे के पाउच लटके हुए नजर आ जाएंगे। कोई भी बालक वहां जाकर के ले सकता है। सभी शिक्षण संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त किया जाए। राज्य में तम्बाकू उपयोगकर्ताओं को तम्बाकू मुक्ति हेतु परामर्श के लिए टोल फ्री नम्बर उपलब्ध कराना होगा। माननीय सभापति महोदय, इस कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन हम देखते हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, रोडवेज की बसों में यह चेतावनी तो लिखी होती है कि आप धूम्रपान नहीं करेंगे, पर आप देखिये कि कितने लोग वहां रोडवेज की बसों में धूम्रपान करते रहते हैं। क्या हमने कभी इस प्रकार की कार्यवाहियां की हैं? यदि हम रोज कार्यवाही करें, एक रोडवेज के एक चक्कर पर करें तो मुझे लगता है कि 6 से 7 लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी और उनको चालान भरना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी से मुझे याद आया कि 2003 में यह कोटपा एक्ट बना और आज 2023 चल रहा है तो 2003 से 2023 तक पूरे 20 साल हो गये, पर 20 साल के बाद भी जुर्माने की राशि अधिकतम 200 रुपये ही है, तो यह तो कुछ भी नहीं है। किसी का 20 रुपये जुर्माना, किसी

(श्रीमती अनिता भदेल)

का 30 रुपये जुर्माना है। हमें यदि इसको प्रतिबंधित करना है, इसको रोकना है तो इतना अधिक जुर्माना होना चाहिए कि व्यक्ति एक बार करने के बाद में सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे यह गलती करनी है या नहीं करनी है और मुझे लगता है कि हम तभी इसको रोक पाएंगे। राज्य के डेयरी बूथों की मैंने पहले बात कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार को केन्द्रीय कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 5 और 7 के क्रियान्वयन के लिए सौंपे गये अधिकारियों को धारा 4 (ए) के उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति सौंपनी चाहिए, क्योंकि यह शक्ति कानून में सिर्फ पुलिस के पास है, अधिकारियों के पास नहीं है। एक पुलिस पर इतना सारा बोझ है तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): राजस्थान सरकार को सभी भोजनालयों में धारा 4 (ए) के तहत साइनेजेज के विकास और प्रदर्शन जैसे उपायों को बढ़ावा देना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, काफी बोल लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक है, मैं दो-तीन मिनट में कर रही हूं। बीड़ी, सिगार और हुक्का को शामिल किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ केवल सिगरेट को।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, हमको युवा को बचाना है और यदि युवा को हम नहीं बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि जैसे-जैसे, धीरे-धीरे नशा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हमारी पीढ़ियां भी खतम होती जा रही हैं। विशेष रूप से मैं मां के बारे में कहना चाहूंगी कि मां जो परिवार की धुरी है और यदि वही धूम्रपान करती है तो वह बच्चों को नहीं बचा पायेगी, वह आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा पायेगी। कई परिवारों में देखा है कि जिस परिवार में पिता और माता किसी प्रकार का नशा नहीं करते, उनके बच्चे भी नहीं करते। यदि पिता और माता किसी प्रकार का नशा करते हैं तो आने वाली पीढ़ी अनायास ही उस नशे में लिप्त हो जाती है तो मां को बचाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए, आपसे मैं इतना ही

(श्रीमती अनिता भदेल)

निवेदन करके अपनी बात को पूरा करूंगी कि तम्बाकू केवल एक ही ऐसा नशीला उत्पाद है जो बिना किसी लाइसेंस के बिकता है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के आर्डर के अनुसार समस्त नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम को तम्बाकू विक्रेताओं को लाइसेंस प्रणाली के तहत लेना चाहिए, मगर राजस्थान में यह कहीं पर भी लागू नहीं है। अगर राजस्थान सरकार तम्बाकू को शराब की तर्ज पर कार्पोरेशन बनाकर बिक्री करती है तो सरकार की वर्तमान जो स्थिति है, उसमें इजाफा होगा और सरकार के साथ-साथ लोगों को भी इससे मुक्ति मिलेगी। पान मसाला उत्पाद की निरन्तर जांच होती रहनी चाहिए और तम्बाकूयुक्त पान मसालों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, जब हम शुद्ध के विरुद्ध युद्ध चलाते हैं तो इस प्रकार के तम्बाकू, गुटखों को भी जांच के दायरे में लेना चाहिए कि वे वास्तव में सुपारी के नाम पर कोई तम्बाकू तो नहीं बेच रहे हैं। राजस्थान में हुक्का बार चलन अपराध है, मगर इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ई-सिगरेट भी आसानी से किसी भी नुक्कड़ की दुकान पर उपलब्ध हो जाती है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दो-तीन पाइंट और हैं, फिर मैं समाप्त कर रही हूं। युवाओं को तम्बाकू से बचाने के लिए राज्य भर से तम्बाकू व पान मसाला विज्ञापन प्रतिबंधित हो जाना चाहिए।

इसी तरह कोटपा एक्ट, 2003 में संशोधन कर नीति और प्रभावी होनी चाहिए, जैसे कि चालान की राशि में वृद्धि करना, सार्वजनिक स्थान केवल धूम्रपान मुक्त नहीं बल्कि तम्बाकू मुक्त भी होने चाहिए।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि वास्तव में यदि हमें इस राजस्थान की जनता के साथ न्याय करना है, हमें राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य देना है, अभी सरकार राइट-टू-हैल्थ बिल भी लाने की तैयारी पर है, तो राइट-टू-हैल्थ में भी यह कवर होता है कि हम ऐसी नशीली चीजों की पहुंच उन तक आसान न बनायें जो अभी उनको आसान है, ताकि उनको स्वास्थ्य मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सदस्य का त्याग पत्र

श्री गुलाब चन्द कटारिया का असम का राज्यपाल नियुक्त किये जाने के कारण विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र

श्री सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 15वीं राजस्थान विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर से निर्वाचित सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया (विभाजन संख्या 43) ने असम का राज्यपाल नियुक्त किये जाने के कारण राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 173 (2) के अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी, 2023 को राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

श्री बिहारीलाल। माननीय सदस्य, काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए वक्ता इस बात का ध्यान रखें कि 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

गैर सरकारी संकल्प

प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबन्ध हेतु प्रभावी कदम उठाना

श्री बिहारीलाल (नोखा): धन्यवाद, माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, आदरणीय अनिता भदेल जी ने नशे के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करता हूं। नशे का न उत्पादन होना चाहिए न विज्ञापन होना चाहिए, न वितरण होना चाहिए और इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

माननीय सभापति जी, यह देश युवाओं का देश है जिसकी 65 प्रतिशत आबादी युवा है और युवा अगर नशे से खोखला हो जाएगा तो इस खोखली नींव पर यह देश कैसे मजबूत इमारत बना पायेगा, इस बात की चिन्ता सदन ने की है और अनिता जी ने प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक अनुमान है कि 130 करोड़ के देश में 10 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं। पहले-पहले शौक और फिर यह आदत बन जाती है। अशिक्षा का असर या संगत का असर कह लें और उसी का नतीजा है कि नशे में नौजवान आगे बढ़ता जाता है। प्रतिस्पर्धा का दौर है और यह भी एक कारण है कि प्रतिस्पर्धा के दौर में कहीं भी छोटी-सी नाकामयाबी भी हाथ लग गयी या कामयाब नहीं हुआ और आध्यात्मिक पक्ष अगर मजबूत न हो

(श्री बिहारीलाल)

तो अवसाद में डूबकर नौजवान नशे की ओर बढ़ता है। जब प्रदेश में, देश में, हर गली-मोहल्ले में नशे का सामान मिलता हो, नशे के साधन मिलते हों, नशा आसानी से उपलब्ध होता हो तो युवा जो चीज आसानी से उपलब्ध हो, उसकी तरफ आकर्षित होता है। जो एक बहुत बड़ा पक्ष, जिसका जिक्र अनिता जी ने भी किया कि फिल्म, टी.वी. सीरियल में भी नशे का जो महिमामंडन किया जाता है, उस पर भी सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। फिल्मों में, टी.वी. सीरियलों में हम देखते हैं कि उत्सव का माहौल हो तो पार्टी करो, नशा करो, दु:ख में डूबे हो तो नशा करो, कोई भी कार्यक्रम हो तो नशा करो। इस तरह का जो महिमामंडन होता है उससे नौजवानों को क्या सीख मिलती है, नौजवान उससे क्या प्रेरणा लेते हैं, इस बात पर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए।

कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने नशे को हाई-फाई सोसाइटी का स्टेटस सिम्बल भी मान लिया है और यह प्रवृत्ति भी नौजवानों को नशे की ओर धकेलती है। इसलिए इस बात पर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। नशे की लत में परिवार कर्जदार हो जाता है, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, अपराधों में बढ़ोतरी होती है, सामाजिक और नैतिक दोनों तरह का पतन होता है, समाज का अवमूल्यन होता है और आर्थिक विपन्नता आती है। सभापति जी, इससे परिवार बर्बाद होता है, समाज और देश को खतरा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं भी इस नशे का एक कारण है। जैसे अनिता जी ने कहा कि नशे के सामान से, नशे के उत्पादन से कितना टैक्स सरकार को मिलता है, इसका एक छोटा-सा उदाहरण उन्होंने दिया। उत्पाद शुल्क तम्बाकू पर एक प्रतिशत मिलता है और उससे 8 गुना, 100 रुपये पर 816 तो उसके स्वास्थ्य पर खर्चा हो जाता है। जिसको तम्बाकू की लत लग जाती है तो 5 से 10 गुना खर्चा हो जाता है। इस नशे के कारण होने वाली बीमारियों से, एक्सीडेंट्स पर खर्चा होता है तो फिर सरकार को टैक्स का क्या लालच है इस पर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। उत्पादन, विज्ञापन, वितरण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना चाहिए। नौजवान पीढ़ी को इसी तरह मजबूत और शिक्षित करना चाहिए, चरित्रवान बनाना चाहिए, उसके आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना चाहिए कि कैसा भी अवसाद हो, कैसा भी संकट आया हो, ऐसा अवसर हो तो परिवार उसका सम्बल बने, समाज उसका सम्बल बने और वह नशे की ओर न जाए एवं उसका दूसरी सकारात्मक चीजों में हम ध्यान लगा सकें। इन्हीं बातों के साथ, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि नशे के कारोबारियों पर एक

(श्री बिहारीलाल)

प्रभावी अंकुश लगे। पुलिस भी अपना रोल पूरी मुस्तैदी से निभाये। कोटपा एक्ट की बात हुई तो उसमें भी प्रभावी कार्यवाही हो, तब नशे के कारोबार पर रोक लगा सकते हैं।

समाज का एक सकारात्मक पहलू भी है। एक नौजवान रामेश्वर गायना, राम रतन नवग्रह नशा मुक्ति केन्द्र चलाते हैं। वे सैकड़ों नौजवानों को नशे से दूर रखने का प्रयास करते हैं। गुरु जम्भेश्वर भगवान ने भी अमल, तम्बाकू, भांग के निषेध का आह्वान किया है। सरकार ने इस बजट में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की बात कही तो मुकाम में भी एक नशा मुक्ति केन्द्र खोला जाए। मेरे नोखा में एक पांचू थाना है, जिसका क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। कक्कू में एक पुलिस चौकी की स्थापना भी की जाए, ताकि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर अकुंश लग सके। उस रूट पर इस तरह के कारोबार करने वाले लोगों पर प्रभावी कार्यवाही हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, धन्यवाद। श्रीमती अनिता भदेल जी ने प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने के लिए संकल्प पेश किया।

मुझे चार साल हो गये, हुक्का छोड़ दिया है। मैंने दारू कभी पी नहीं, हुक्का पीता था, चार साल पहले छोड़ दिया। मैं पवित्र सदन में यह बात कह रहा हूं कि हमारे सारे साथियों को ऐसे छोड़ना चाहिए। अनिता जी ने सही कहा। मैंने इस बात के लिए छोड़ा कि मेरे फेफड़े में संक्रमण हो गया था। डाक्टर ने कहा कि हुक्का छोड़ दे, नहीं तो दुनिया को छोड़ जायेगा। अभी बुडानिया जी इशारा कर रहे हैं कि हमने भी छोड़ दिया।

सभापति महोदय, बहुत जोरदार बात है कि माननीय मंत्री जी के पास दोनों विभाग हैं, स्वास्थ्य ठीक करने का भी और मदिरा का भी। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं परसादी लाल जी से मांग क्या करूं। फिर मैने सोचा, बुजुर्ग आदमी हैं, इनके पास इतना लम्बा तजुर्बा है, सोच-समझकर डिपार्टमेंट लिए होंगे। डिपार्टमेंट, मजबूरी होगी सरकार की।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी का कि आपने नशा मुक्ति

(श्री बलवान पूनियां)

केन्द्र खोले। जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, हो सकता है उनके पास एक्सपर्ट लोग नहीं हों, जो नशा मुक्ति केन्द्र में काम करते हैं। वे लोगों को नशा देकर ही, दूसरे नशे से दूर करते हैं। सरकार ने नशा मुक्ति केन्द्र खोला है।

सभापति महोदय, इस नशे की जड़ें दिल्ली से कटनी चाहिए। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में और गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिल्ली की नाइजीरियन बस्ती से एक नशा चलता है, उसका नाम है चिट्टा। उस चिट्टे की लत में जो नौजवान आ गया, जो नौजवान उसकी गिरफ्त में आ गया, पांच-दस ग्राम चिट्टा है, उसको चार-पांच बार में पीते हैं। उस चिट्टे की गिरफ्त में जो आदमी आ गया, जो नौजवान आ गया, सभापति महोदय, नपुंसक हो जाता है और जिसने 6 महीने चिट्टे का इस्तेमाल कर लिया, वह खतम हो जाता है, उसको दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसको किसी भी नशा मुक्ति केन्द्र में छोड़ो, वह ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे नशे के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक प्रोब्लम और है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोर्ट इस पांच-दस ग्राम चिट्टे की कार्यवाही में पांचवें-दसवें दिन उसको जमानत दे देता है। थानों में दिक्कत यह है कि आप उससे ढंग से पूछ नहीं सकते हैं। कस्टोडियन डैथ हो जायेगी, वह मर जायेगा, वह उस नशे के बिना यूं तड़पता है, जैसे कोई प्यासा बिना पानी के तड़पता है। ऐसे-ऐसे नशे बढ़ रहे हैं।

आप भूल जाइये कि आपने हेरोइन का नाम सुना हो, आपने स्मैक का, गांजे का, चरस का, दारू का, अफीम उसके आगे कुछ नहीं है। कहां से आता है? दिल्ली से। कौन करता है? नाइजीरियन लोग। कैसे चढ़ता है बसों में? पिट्ठू बैग के जरिये और इतनी सी थैली में पांच ग्राम, दस ग्राम पांचवें दिन, दसवें दिन, पन्द्रहवें दिन जमानत। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप नशे के कारोबार पर प्रतिबन्ध के साथ-साथ चिट्टे जैसे घातक नशे के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट में ऐसी कार्यवाही करिये, जिसके पास पजेशन में पायें, उसकी जमानत सालों तक नहीं हो।

सभापति महोदय, इतनी कार्यवाहियां हुई हैं, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में और ये पास लगता चूरू का इलाका। सभापति महोदय, जब

(श्री बलवान पूनियां)

बस्तियां जलती हैं तो सबके घर उसकी जद में आते हैं। अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे, आजकल एक-एक, दो-दो बच्चे हैं, अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे, इतना महंगा नशा है, गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता है। जिस छोरे के पास ढंग की गाड़ी है, ढंग की कार है, घरवालों ने 6 महीने उसको नहीं सम्भाला और वह गिरफ्त में आ गया, छोरा गया काम से। इसलिए राजस्थान सरकार को इस चिट्टे के नशे पर प्रभावी कदम उठाना चाहिए।

आप शराब के नशे की बात करते हो, आप डोडा-पोस्त की बात करते हो, आप अफीम की बात करते हो। यह नशा इन सबसे खतरनाक है। इस पर सरकार प्रभावी कदम उठायेगी।

मैं अनिता जी के इस संकल्प का, इस बात के साथ समर्थन करता हूं कि आदमी को नशा हो, जनप्रतिनिधि को अपने इलाके में काम करने का हो, जनता को अच्छा जीने का हो, हमारे देश में अच्छी-अच्छी किताबें हैं, ऐसे महापुरुष रहे हैं, उनको पढ़ने का नशा होना चाहिए और धुन के साथ काम करने का नशा होना चाहिए, जिन्दगी जीने का नशा होना चाहिए। यह जो ऐशो-आराम के लिए नशा है, इसके खिलाफ हम संकल्प पारित करना चाहेंगे और यह चाहेंगे कि भारत सरकार इस पर पूर्ण पाबन्दी लगाये और राजस्थान सरकार भी इस पर पाबन्दी लगाये। थैंक यू।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, आदरणीय अनिता भदेल जी का गैर-सरकारी संकल्प, 'नशे व मादक पदार्थों के उपयोग पर कड़ाई के साथ प्रतिबन्ध लगेगा। मैं इसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि

'कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं अब, सब और निराशा है,
यह सबको बर्बाद कर देगा, यही नशे की परिभाषा है।'

मजदूर वर्ग से लेकर अमीर वर्ग के युवा, महिलाएं आज जिस तरीके से इस नशे के आदी हो रहे हैं, मेरा कहना है कि देश के लगभग 28 करोड़ से अधिक लोग सिगरेट, शराब, तम्बाकू, गुटखा, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर का नशा करते हैं। इस प्रकार ये खतरनाक ड्रग्स आने वाली पीढ़ियों को खोखला कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हालात इतने चिन्ताजनक हैं कि हमारे देश में प्रतिदिन 2800 करोड़ रुपया नशे में बर्बाद कर दिया जाता है और साल भर में 10 लाख 22 हजार करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया जाता है, जो हमारे रक्षा

(श्री संदीप शर्मा)

बजट के बराबर है। इतना पैसा हमारे देश में नशे में बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा नशा करने के उपरान्त होने वाली दुर्घटनाएं हैं, अपराध हैं, उसका खर्चा मिलाकर देखें तो वह भी लगभग इतना ही हो जाता है। सड़क दुर्घटनाएं ज्यादातर नशे में हो रही हैं। 35 से 40 लाख लोग प्रतिवर्ष नशे के आदी हो जाते हैं, असमय काल के ग्रास हो जाते हैं। उनके बच्चे बिना पिता के रह जाते हैं और उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। इस कारण वे भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति में आते हुए असामाजिक तत्व बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। वे भी नशा करके अपराधियों की तरह जीवन जीने लगते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से नशे के डोमिनो इफेक्ट हैं, उसके दूसरे लक्षण भी बनते हैं। नशा मुक्ति केन्द्र जगह-जगह हैं। नशा मुक्ति केन्द्र ज्यादातर प्राइवेट हैं। माननीय सभापति महोदय, जिसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है और नशा करने वाले व्यक्ति को यदि वहां प्रवेश दे भी दिया जाता है, चूंकि उसको ऐसी आदत हो जाती है कि उसके लक्षण होते हैं, उसको आवश्यकता होती है, उसको हल्के रूप में नशा उपलब्ध कराया जाये, नहीं तो वह तड़पड़ाता है, छटपटाता है और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो कोटा शहर से आता हूं। दो लाख बच्चे कोटा शहर में अध्ययन करते हैं। वहां पर भी ऐसे छोटे-छोटे ठिकाने जैसे पान की दुकान, चाय की दुकान पर खुलेआम नशे की हानिकारक चीजें मिलती हैं। हम उनको पकड़ भी लेते हैं, पुलिस उनकी धर-पकड़ भी कर लेती है, परन्तु आवश्यकता है, मूल जड़ तक पहुंचने की। यदि हम मूल जड़ तक नहीं पहुंच पायेंगे तो यह नशा इसी प्रकार चलता रहेगा। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर रूटीन अभियान चलाकर छोटे-छोटे जो ड्रग पैडलर्स होते हैं, उनको पकड़ करके बन्द कर दिया जाता है। जबकि जो मोटे ड्रग माफिया हैं, वे सुरक्षित जगह से लगातार बिना किसी डर और संकोच अपना यह व्यवसाय चलाते रहते हैं। नशे के चलन में गांजा, अफीम से ऊपर की पीढ़ी, जैसे एम.डी., मारिजुआ, हाई डेफिनेशन के ड्रग्स हैं, ब्राउन शुगर, स्मैक खूब प्रचलन में चल रहा है। आज नशे के खिलाफ काम करने वाला पुलिस विभाग सहित सभी प्रवर्तन एजेंसियों को पाबन्द करने की आवश्यकता है कि उनकी नाक के नीचे कहीं भी इस प्रकार का कृत्य पकड़ में आयेगा तो उसकी जिम्मेदारी उस स्थानीय अधिकारी की होगी।

(श्री संदीप शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान के अन्दर मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, इस पर हम सभी को बहुत जागरूक रहकर, मैं खुद माननीय सभापति महोदय, वर्षों तक मैंने गुटखा लिया, मुझे गुटखे को छोड़े चार साल हो गये हैं। इस प्रकार हम सबको जागरूकता अभियान के तहत यह प्रयास करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके, मजबूत बन सके और इस देश में वे सशक्त भारतीय बन सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने एक बहुत इम्पोर्टेन्ट संकल्प पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अनिता भदेल जी संकल्प लेकर आयीं। एक ऐसा संकल्प जिसकी वाकई पूरे देश को जरूरत है। न केवल राजस्थान, जयपुर बल्कि पूरे देश को जरूरत है और मैं तो यह कहता हूं कि इस संकल्प की शुरुआत इस हाउस से होनी चाहिये और हाउस में बैठे हर आदमी को यह संकल्प लेना चाहिये कि आज के बाद हम कोई नशा नहीं करेंगे। इस बात की मैं उम्मीद करता हूं उप नेता, प्रतिपक्ष से भी।

नशा मुक्ति के बारे में बहुत से अभियान चलाये गये, बहुत से कैम्प खोले गये, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, आज के समय में आदमी का नशा करने का तरीका बदल गया है। इंजेक्शन आ गये छोटे-छोटे। सुबह-सुबह पार्कों में जाते हैं, सभापति महोदय, तो कई तरह के इंजेक्शन पड़े मिलते हैं जमीनों के ऊपर। पूछते हैं तो पता लगता है कि यह कोई ऐसी नशीली चीज आ रही है, जो स्मैक और कोकीन से भी खतरनाक है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): रफीक भाई, आप तो अपने एक्सपीरियंस से यह बताओ, आपका एक्सपीरियंस बहुत है कि इस राजस्थान की विधान सभा में जो लोग बोल रहे हैं इनमें से आपका अन्दाज क्या है, कितने लोग ड्रिंक करते हैं? आप तो उनका अन्दाज बताओ।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उन सबको छोड़ देनी चाहिये। आज सबको संकल्प लेना चाहिये और सबको छोड़ देना चाहिये। मैं कह रहा हूं, सबको छोड़ देना चाहिये। एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी मत करो और सब यह

(श्री रफीक खान)

संकल्प लो कि हम आज से छोड़ देंगे। सब के सब यह संकल्प लो। इस तरह के इंजेक्शन आ गये, इस तरह की मेडिसन्स आ गईं, इस तरीके की दवाइयां आ गईं जो स्मैक और कोकीन से भी ज्यादा नशा देती हैं, तो इसमें एक अभियान चला कर कार्यवाही की जानी चाहिये। खास तौर से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो आमागढ़ के इलाके में जहां गरीब आदमी रहते हैं, रिक्शे-तांगे वाले रहते हैं, जवाहर नगर कच्ची बस्ती में, रामगंज थाना क्षेत्र में अलग-अलग तरह के नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों पर कार्यवाही भी होती है, पकड़े भी जाते हैं। अनफार्च्युनेटली पुलिस और एक्साइज के अधिकारी यहां मौजूद नहीं हैं, उनके समझने की बात है कि हमें इस तरह का कोई कानून, इस तरह की कोई कार्यवाही जरूर करनी चाहिये, ताकि यह नशे की प्रवृत्ति बढ़े नहीं। पीने वालों से ज्यादा बेचने वालों पर कार्यवाही की जानी चाहिये, मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

आजकल एक क्लब और चल रहे हैं और क्लब चल रहे हैं उनमें ऐसा हाल है कि रात को कोई लिमिट नहीं है। बारह बजे, एक बजे, दो बजे, पांच बजे तक लोग-बाग बैठे रहते हैं क्लबों में, और मुझे यह कहते हुए खुशी भी है कि यह ऐसे जो हुक्का बार वगैरह थे, जो अपने से पहले की सरकार में लाइसेंस्ड हो गये थे, वे, हमारी सरकारी आयी तो उसने इनका, सबका लाइसेंस बन्द किया और इनको निरस्त किया और पाबन्दी लगायी, लेकिन अन-आफिशियली अभी भी चल रहे हैं, इसलिये मेरी गुजारिश है सदन के माध्यम से कि इन पर कार्यवाही होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें। हर काम में जरूरी है क्या बीच में बोलना। माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पहले गुटखे को बैन किया। गुटखे को बैन करने से क्या हुआ कि वह गुटखा तो बैन हो गया, लेकिन उसको सेपरेट करके बेच रहे हैं तो ऐसी चीजों की भी जानकारी हमें रखनी चाहिये और हमें इनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिये।

एक चीज मैं आपको और बता दूं, शराब माफिया बहुत हैं और बहुत बड़ा शराब माफिया है। आबकारी विभाग ने 144 थाने खोल रखे हैं और बहुत सारी कार्यवाही की जा रही है। 13,085 मुकदमे दर्ज किये गये। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आठ लाख लीटर दारू बरामद की गई, आठ लाख

(श्री रफीक खान)

लीटर शराब। आप सब सुनोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। अनिता जी, आठ लाख लीटर शराब आ कहां से रही थी? आठ लाख लीटर शराब आ रही थी हरियाणा से और जा कहां रही थी गुजरात जा रही थी, यह एक नेशनल इश्यू है और नेशनल लेवल पर आपको और हमको सबको मिल करके ऐसी पालिसी लानी चाहिये कि पूरे हिन्दुस्तान में नशा मुक्ति हो। खाली राजस्थान में नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में नशा मुक्ति हो। बहुत सारे बीजेपी शासित प्रदेश हैं, शुरुआत वहीं से होनी चाहिये। जैसे मैंने यहां कहा कि नशा मुक्ति की शुरुआत इस सदन से हो, ऐसे पूरे हिन्दुस्तान में शुरुआत केन्द्र से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह निर्णय ले कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर नशा मुक्ति करे और इसके ऊपर पाबंदी लगाये। (व्यवधान)

देखो कितनी जोरदार बात कह रहे हैं कि नोटबंदी कर सकते हैं तो शराबबन्दी भी कर सकते हैं। नोटबंदी से बहुत आसान है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आजकल दवाइयां जिस तरह की आ रही हैं, अभी जैसे अनिता भदेल जी ने कहा कि पति नशा करता है, खाने को नहीं रहता। गरीब आदमी बहुत पीड़ित है, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन इसमें भी कोई दोराय नहीं कि इन सब चीजों के लिए हमें सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। नये नियम बनाने चाहिये। जिस तरह से नये तरह के नशे आ गये तो उनके लिए उस तरह की कार्यवाही भी करनी चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बीड़ी की पाबन्दी की बात की, बीड़ी की पाबन्दी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। बीड़ी राजस्थान की एक रोजमर्रा में,...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है। राजस्थान के बहुत सारे लोगों को मजदूरी मिलती है। बहुत सारे लोगों को काम मिलता है तो मैं यह कहना चाहता हूं... बस एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको आर्गेनाइज करें और ऐसा कुछ काम करें, ताकि वहां पाबन्दी लगाने से पहले वहां के लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखा जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। अभी इस सदन में श्रीमती अनिता भदेल, माननीय सदस्या द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया, "यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध के संबंध में प्रभावी कदम उठावें।" इस विषय पर माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन और बिक्री तब होती है जब सेवन होता है। यदि सेवन ही नहीं हो तो बिक्री भी बन्द हो जायेगी, उत्पादन भी बन्द हो जायेगा और इसलिये जैसा कि मारवाड़ी में राजस्थानी में कहावत चलती है कि 'चोर को नहीं, चोर की मां को मारो' तो सेवन कैसे बन्द हो, सेवन कैसे कम से कम हो, उन उपायों पर हमको विचार करना होगा।

दुर्भाग्य से बहुत सारी चीजें हमारे यहां परम्परा के रूप में प्रचलित हैं। अभी चुहलबाजी करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम तो ठाकुर हैं हमको अधिकार है। यह परम्परा पड़ गई और इस परम्परा में आने वाली पीढ़ी भी सीख रही है। अब यह परम्परा क्यों पड़ी, कोई समय था कि जब क्षत्रियों को युद्ध करने पड़ते थे। युद्ध करना है तो फिर जोश भरे रखने के लिए भी, थकान नहीं आये उसके लिए भी, घाव लग जाये तो महसूस नहीं हो, दर्द महसूस नहीं हो, उसके लिए नशा आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन अब आपने युद्ध करने छोड़ दिये तो उस युद्ध में सहायक चीज को क्यों पकड़े रखा है? यह बात सोचने की है, समझने की है।

ऐसे ही हमारे यहां गांवों में एक परम्परा चलती है, बोलचाल में चलता है, कोई मर गया और उसके वहां बैठने जाना है तो कहा जाता है कि फलां काकाजी मर गये हैं तो उनके नाम की बीड़ी पीकर आ जाओ। जाना है शोक प्रकट करने। कहीं पर चलता है बीड़ी पीकर आ जाऊं, कहीं पुराने जमाने में चलता था कि चिलम पीकर आ जाऊं, कहीं पर चलता है कि हुक्का पीकर आ जाऊं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अफीम भी चलती है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अफीम तो चलती है, साथ में तो अभी भी मेरे जालौर में माली समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

ससुराल में जो शोक सभा रखी जाती है उसका नाम ही है हुक्का। आज मेरे यहां मेरे जीजाजी का हुक्का है आप पधारें। ये शब्द जब कान में पड़ते हैं, मतलब वहां जाकर बीड़ी पीना ही है, वहां जाकर चिलम पीना ही है, वहां जाकर हुक्का पीना ही है। उससे भी नयी पीढ़ी को एक मैसेज कन्वे होता है, एक सन्देश जाता है कि ये चीजें तो करने योग्य हैं, मान्य है समाज में।

ऐसे ही हमारे शंकर भगवान के साथ बहुत सारी बातें जोड़ दीं। भांग है, गांजा है, चरस है, शंकर भगवान की बूटी है। शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। अब कल शिवरात्रि है तो बहुत बड़ी मात्रा में गांजा और भांग का उपयोग होने वाला है। बड़े शौक से करते हैं, बड़े सम्मान से करते हैं, गर्व से करते हैं। शंकर भगवान की बूटी है, आज शंकर भगवान का प्रसाद नहीं लोगे तो कब लोगे, मेरे जैसे लोगों को भी लोग आग्रह करते हैं आज तो आपको भाँग की गोली खानी पड़ेगी, शंकर भगवान के भक्त हो आप तो। इमोशनल ब्लैकमेल करके, धार्मिक रूप से ब्लैकमेल करके भी लोगों में लत पैदा की जाती है। इस प्रकार की भी परम्परा अपने यहां पर है तो ऐसे ही...

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति जी, भोलेनाथ के तो भांग, धतूरा, वे तो जहर पी गये थे। भोलेनाथ तो ग्रेट हैं, भोलेनाथ को तो इस चर्चा में लाओ ही मत, ग्रेट हैं वे तो। वे सब कर सकते हैं, सब चलता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यहां हम यह भूल जाते हैं कि भोलेनाथ तो महान थे, वे हजम कर गये उस जहर को, हमसे नहीं होना है, वह जहर हमको खा जायेगा।

ऐसे ही अफीम के प्रसाद क्यों चले, मैंने बहुत इस पर सोचा। पुराने जमाने में लोग पैदल चलते थे या घोड़े पर चलते थे या ऊंट पर चलते थे। पांच किलोमीटर, दस किलोमीटर की यात्रा करके आयेंगे तो थकेंगे। थक कर आयेगा आदमी और थका हुआ आदमी आकर बैठेगा तो बैठते ही उसको थकान उतारने की व्यवस्था करनी है, इसलिये अफीम प्रस्तुत की जाती थी। थोड़ा-सा खा लें तो आपकी थकान उतर जायेगी, आवश्यकता थी उस समय की।

अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है, अब तो दरवाजे के सामने आप कार, मोटरसाइकिल रोकते हो। अब थके कहां जो थकान उतारने की आवश्यकता महसूस हुई? जो ये परम्पराएं चल पड़ी हैं, मेरे जिले में तो अफीम

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बहुत ज्यादा चलती है, मेरे क्षेत्र में तो फिर भी कम है। सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, उधर बहुत चलती है। कितनी चलती होगी, जितने पैसे में मैं मेरा पूरा चुनाव लड़ लेता हूं, उतने में सांचौर वालों की तो अफीम पूरी नहीं पड़ती, इतनी ज्यादा चलती है। परम्परा के नाम पर लोग मेरे सामने भी आफर करते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आपके दादा जी, पिताजी धोती पहनते थे, आपने पैंट-शर्ट पहनना शुरू किया है न, कि हां साहब किया है। फिर यह परम्परा कैसे तोड़ दी आपने, किसको पूछ कर तोड़ी? जब वह परम्परा तोड़ सकते हो तो यह भी तोड़ो। बाप-दादा अफीम लेते थे, अब आप क्यों ले रहो हो? आवश्यकता नहीं है। हमारे जालौर जिले की लगभग आधी आबादी प्रवासी है, बैंगलोर, चेन्नई और गुजरात से लेकर सारा साउथ भरा पड़ा है। वहां पर भी यह अफीम पहुंच गयी है और बहुत बड़ी संख्या में लेकर वे घूमते हैं।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मेरा निवेदन है कि ऐसा वातावरण बनाया जाये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ... (व्यवधान) आपने नाम ही बोल दिया दूसरा, कमाल हो गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक वाक्य में मैं निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान) हम सब मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें कि परम्परा के नाम पर नशा अगली पीढ़ी को नहीं चला जाये, इसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिये, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, नहीं बोलना है?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बोलना है।

श्री सभापति: फिर मुंह क्या देख रहे हो?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, आप बोल रहे थे।

श्री सभापति: कितनी बार नाम बुलवा लिया, बोल नहीं रहे हो। लगता है बोलने में ही नशा हो रहा है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, हमारी सम्माननीय सदस्या अनिता भदेल जी द्वारा इस संकल्प को लाने पर तो 2013 का दिन वापस याद आ रहा है, क्योंकि यही संकल्प 2013

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

में मेरा लाटरी में निकला था और मुझे बोलने का मौका मिला था। निश्चित तौर पर देश और प्रदेश को अगर हमें बचाना है तो यह जो तबाही का खौफनाक मंजर है 'नशा', कहीं न कहीं इसकी लत से प्रदेश के नौजवानों को, देश के नौजवानों को दूर रखने की आवश्यकता है। मैं आपके संकल्प के पक्ष में खड़ी हुई हूं। मुझे लगता है कि लगातार दो बार यह संकल्प राजस्थान की विधान सभा में रखा जाये और अगर उसके बावजूद भी पारित न हो, कोई कानून न बने तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारी मंशा नहीं है और हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, बॉलीवुड में मादक पदार्थों पर केंद्रित फिल्म 'उड़ता पंजाब' हमने देखी है। उस समय जब यह मूवी बनी तो पूरे पंजाब में कितना बवाल हुआ। देखा जाये तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि ऐसा कुछ वहां होता नहीं था। आज हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि आज भी नशे का प्रचलन दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषकर हम बात करेंगे युवा पीढ़ी की। चाहे हम प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही चले जाएं, हम कालेजों के बाहर देख लें, कहीं आस-पास गली-मोहल्ले में देख लें, कहीं पान की दुकान पर देख लें, हर जगह हमें कहीं न कहीं नशा गुपचुप तरीके से बिकता हुआ नजर आयेगा। मुझे आज भी याद है 2017 में राजस्थान पत्रिका का एक अभियान चला था और पत्रिका में एक बहुत बड़ा लेख आया था कि जयपुर की धरती पर कितनी जगह छोटी-छोटी थड़ियों पर, पान की दुकानों पर गये और वहां जैसे ही उन्होंने कहा कि पुड़िया मिलेगी क्या, तो उनको कुछ न कुछ इस प्रकार का संदिग्ध पदार्थ खरीदने को मिला। इससे हम अंदाज लगा लें कि हमारे क्या हालात हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर अभी अनिता जी बोल रही थी, जो लगातार मौतें हो रही हैं, उनका आंकड़ा हम देखेंगे तो 80 हजार के लगभग है, यह बड़ी चिंता का विषय है। हम इसी आंकड़े की तह में जायेंगे तो एक दिन में 276 और भारत में प्रति घंटे की रफ्तार हम देखेंगे तो 137 का आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है।

सम्माननीय सभापति महोदय, हम पूरे राजस्थान में देख रहे हैं, लगातार हम खुद भी भाषण दे रहे हैं कि राजस्थान में अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या हम आज भी इस बात को नहीं जान पाये कि जितने भी अपराध राजस्थान की धरती पर घटित हो रहे हैं, वे सारे के सारे अपराध इस नशे की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

वजह से हो रहे हैं। अगर 70 प्रतिशत अपराधों की तह में जाकर हम तहक़ीक़ात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पायेंगे कि यह सब कुछ नशे की वजह से हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने खुद ने देखा है, मैं पहले रामगंज मण्डी से विधायक थी, वहां सीनियर स्कूल के बाहर स्मैक बिकता था। इतनी बार मैंने विरोध किया, लेकिन हम लोग उसको नहीं रोक पाये। आज सरकार मात्र टैक्स वसूलने के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक चले, इसके लिए लगातार गली-मोहल्लों में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम गांवों के बाहर जाकर देखेंगे कि पंचायत में एक दुकान की एन ओ सी मिली हुई है लेकिन उसकी 4-4, 5-5 सब-ब्रांचें चल रही हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, ये हालात हैं। ऐसे में क्या हम इस राजस्थान को अच्छे से रख सकते हैं? इस राजस्थान के नौजवान को सही दिशा दे सकते हैं? किसी भी तरह से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और यह कतई सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि आज हमने इन नशे की चीजों को बेचने के लिए हमारे थानों को, मैं कहूंगी कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट जहां देखो, वहां इसी में लगा हुआ है। अगर कहीं अवैध ब्रांच का संचालन हो रहा है और शराब की दुकान से राशि वसूलनी है तो कौन वसूलेगा? पुलिस वाले। अगर कहीं गांजा बिकता है तो उसके लिए भी वसूली कौन करेगा? पुलिस वाले। अगर कहीं स्मैक बिक रही है तो वह भी किसकी शह से बिकती है? मैं कोटा की धरती से आती हूं, कोटा में मेरा रेजीडेंस है। आप महावीर नगर में चले जाओ, आप अजय आहूजा नगर में चले जाओ, आप विनोबा भावे नगर में चले जाओ, हर गली-मोहल्ले में हमें इस तरह के केस मिलेंगे। कुल मिलाकर मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह संकल्प पारित हो, ताकि इस राजस्थान की जनता को यह मैसेज हम दे सकें कि राजस्थान को हमें बचाना है। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, सदन की माननीय सदस्या अनिता भदेल जी के द्वारा नशा मुक्ति संकल्प रखा गया, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देश और प्रदेश में नशा इतना फैल गया है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट। सभापति महोदय, आज आप एक तो तय करा दो, आप इतने सीनियर आदमी हैं और बी डी कल्ला जी को तो बड़ा ज्ञान है कि भोलेनाथ क्या-क्या लेते थे भांग, धतूरा, वह इनसे एक मिनट सुन लेना। एक मेरी रिक्वैस्ट है, यहां जो भी बोले हैं, उनसे ऐसे हाथ सामने करके शपथ कराओ कि वह नशा नहीं करते हैं। एक यह शपथ करा दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, विराजिए। विराजिए। वक्ता को बोलने दें। (व्यवधान) ऐसे खड़े हैं जैसे आज ही सबको एक-एक दुकान अलाट कराऊं। वक्ता को बोलने दें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर मुद्दा है जिसको एक मजाक का विषय बना दिया। राजस्थान के पवित्र सदन में नशा मुक्ति के बारे में जानकारी ली जा रही है, दी जा रही है। आंकड़े क्या हैं? अनिता जी यह संकल्प लाई हैं तो हम सब उसका समर्थन करना चाहते हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यह खाली राजस्थान का मामला नहीं है, पूरे देश में नशे का कारोबार इतना हो गया है कि आने वाली पीढ़ी किस ओर जा रही है, पीढ़ी खोखली हो गई है, बीमारी के जाल में फंसी हुई है। नशे के जाल में फंसने के कारण पूरा देश और प्रदेश बर्बाद हो रहा है। शहर, गांव-ढाणी में रहने वाले लोग नशे के आदी हो रहे हैं। नशा एक प्रकार का नहीं है, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का, गुटके का, शराब का, गांजे का, भांग का, कोकीन का, स्मैक का, अफीम, डोडा-चूरा, चरस, हेरोइन, एम डी जैसे खतरनाक रासायनिक पदार्थ और अन्य पदार्थ लेकर नशा करने वाले लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और नारकीय जीवन जी रहे हैं। एक दिन ऐसी बीमारी उनको ग्रसित कर जायेगी कि वह इन बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे और एक दिन इनको भगवान के लोक जाना पड़ेगा। इस नशे की प्रवृत्ति के कारण मैंने देखा है कई लोग बीमार हैं। बीमारियों में कैंसर, डायबिटीज, लीवर, किडनी, फेफड़े, बी पी, शुगर, अस्थमा, ऐसी कई भयंकर बीमारियां नशा करने वाले लोगों में हो जाती हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी 'उड़ता पंजाब', ...

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे मंगलवार, 28 फरवरी 2023 के 11.00 तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दूधालेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

182. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक जिले में मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितने मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के दूधालेश्वर महादेव मंदिर एवं नीलकण्ठ महादेव मंदिर, किशनपुरा को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में प्रत्येक जिले में मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी।

(2) पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वतः ही पर्यटन स्थल बन जाता है।

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक छात्रावास की स्थापना

184. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर आगामी वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 75(1) के अनुसार प्रतापगढ़ में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्माण की घोषणा की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

189. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? उक्त के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने में दो वर्ष से अधिक विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा शहीदों के सम्मान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में शहीद सैनिकों के सम्मान में कौन-कौनसे कार्य किये गये व उनमें से कौन-कौनसे कार्य किये जाना शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अतिवृद्ध पूर्व सैनिकों को क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में शहीदों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के 81 प्रकरण लम्बित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

2 साल से अधिक अनुकम्पा नियुक्ति का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(2) सरकार द्वारा शहीद के सम्मान में किये जाने वाले कार्य का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

विगत 2 वर्षों में शहीद सैनिकों के सम्मान में किये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट-ग एवं बकाया/शेष कार्य का विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

सरकार द्वारा अतिवृद्ध पूर्व सैनिक जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में भाग लेने वाले 20 अतिवृद्ध सैनिक, जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/सहायता नहीं मिल रही है, उन्हें 10,000/- रुपए प्रतिमाह आर्थिक अनुदान राशि प्रदान की जा रही है, जिसका विवरण परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नदबई के राजकीय आयुर्वेद औषधालय का क्रमोन्नयन

191. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजकीय आयुर्वेद औषधालय, नदबई को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम पीली में नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 61 के अन्तर्गत नदबई-भरतपुर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय को 'अ' श्रेणी औषधालय में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई है। बजट घोषणा की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आयुष नीति-2021 के मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर औषधालय खोले जाने की नीति निर्धारित है, किन्तु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बून्दी कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण

199. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी को विगत चार वर्षों में कितना राजस्व प्राप्त हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बून्दी में विगत चार वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कितनी सड़कों पर कितनी राशि व्यय की गई? सड़क का नाम व व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी को विगत 4 वर्षों में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त राजस्व (लाख रु. में)
1	2018-19	2186.28
2	2019-20	1992.31
3	2020-21	2247.18
4	2021-22	1577.83
5	2022-23 (माह दिसम्बर 2022 तक)	2007.27

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) विधान सभा क्षेत्र बून्दी में कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी द्वारा विगत 4 वर्षों (दिसम्बर 2022 तक) में एक सड़क निर्माण पर राशि 26.38 लाख रु. का व्यय किया गया है। सड़क का नाम व व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कराड़ा (जैसलमेर) में रिन्यू पावर सोलर कम्पनी को लीज पर जमीन

144. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व ग्राम कराड़ा, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर में रिन्यू पावर सोलर कम्पनी द्वारा जमीन लीज पर ली गई है? जमीन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कम्पनी से किसानों के खेतों में जाने वाले रास्तों को खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार रिन्यू सोलर एनर्जी झारखण्ड थ्री प्रा. लि. द्वारा परियोजना स्थापना हेतु राजस्व ग्राम कराड़ा तहसील फतेहगढ़ में निजी खातेदारान की 345.4162 हैक्टेयर भूमि लीज पर ली गई है, कम्पनी द्वारा 50.64 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि क्रय की गई है तथा 5.8005 हैक्टेयर राजकीय भूमि का आबंटन नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत लीज पर कीमतन आबंटित की गई है। भूमि का खसरावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) ग्राम कराड़ा में सोलर कम्पनी द्वारा अभिलेखीय एवं मौका जांच अनुसार किसानों, हितधारकों की जोत तक आवागमन हेतु रास्ता अवरुद्ध नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मांडलगढ़ में पटवारियों के रिक्त पद

145. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पटवारियों के सभी पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में पटवारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

तहसील का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
मांडलगढ़	39	35	04
बिजौलिया	22	19	03
कोटड़ी	14	13	01
कुल	**75**	**67**	**08**

(2) जी हां। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित 340 सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिनके क्रम में 301 पटवारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण शेष रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी होने के उपरान्त यथासंभव पदस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

मीनापुरा मजरा झाड़गांव को राजस्व ग्राम घोषित करने की योजना

146. **श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम मीनापुरा मजरा झाड़गांव की झौपडिया, ग्राम पंचायत झाड़गांव, उप तहसील सुल्तानपुर (दीगोद) जिला कोटा आबादी एवं अन्य दृष्टि से राजस्व ग्राम बनने के लिए अर्हताएं पूरी करता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम पंचायत, झाड़गांव में स्थित मजरा मीनापुरा राजस्व ग्राम झौपडिया का मजरा है। राजस्व ग्राम झौपडिया की मूल आबादी से लगभग

(राजस्व मंत्री)

500 मीटर से कम दूरी पर मजरा मीनापुरा स्थित है, जिसमें कुल 06 परिवारों के लगभग 30 सदस्य निवास करते हैं।

राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प. 9(16)राज-1/2007 दिनांक 20.08.2009 के अनुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए मापदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित किये गये हैं। जिसके बिन्दु संख्या-1 के अनुसार मूल राजस्व ग्राम से दूर बसे जिन सुदूर आबादी क्षेत्र एवं बिखरी हुई ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाना हो, उनकी आबादी सामान्य क्षेत्रों में 250 एवं रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 200 से कम न हो।

ग्राम पंचायत झाड़गाव में स्थित मजरा मीनापुरा उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या-1 में वर्णित अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता है।

बाड़मेर में सी.एस.आर. फण्ड से कराये गये विकास कार्य

147. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में विगत पांच वर्षों में केयर्न, वेदान्ता द्वारा सी एस आर फंड में कहां-कहां, कितना-कितना व्यय किया गया? वर्षवार व स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केयर्न एवं वेदान्ता के अधीनस्थ कितनी कम्पनियां कार्यरत हैं? उक्त के द्वारा उक्त अवधि में सी.एस.आर. फंड कहां-कहां व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्ष 2017-18 से 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) में केयर्न ऑयल एण्ड गैस (वेदान्ता लि.) द्वारा सी.एस.आर. फंड के तहत किये गये व्यय की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) केयर्न ऑयल एण्ड गैस (वेदान्ता लि.) के अधीनस्थ कोई कम्पनी (सब्सिडियरी कम्पनी) कार्यरत नहीं है। कम्पनी के द्वारा सी.एस.आर. के तहत किये गये कार्यों का प्रकटन कम्पनी की वेबसाइट www.cairnindia.com पर अपलोड कर एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में किया जा रहा है। कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पुष्कर में ट्यूरिस्ट काम्प्लेक्स हेतु बहु-उद्देशीय योजना

148. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्ष 2021-22 में पर्यटन विकास कोष से पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन हेतु पुष्कर (अजमेर) में स्थित होकरा में 90 हैक्टेयर तथा सूरजकुण्ड में 150 हैक्टेयर भूमि में Tourism Complex हेतु बहु-उद्देशीय योजना बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना में कितनी धन-राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 2021-22 में पर्यटन विकास कोष से पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन हेतु पुष्कर (अजमेर) में स्थित होकरा में 90 हैक्टेयर तथा सूरजकुण्ड में 150 हैक्टेयर भूमि में Tourism Complex हेतु बहु-उद्देशीय योजना बनाने की घोषणा नहीं की गई थी। अपितु यह घोषणा राज्य बजट 2021-22 के बिन्दु संख्या 216 के अन्तर्गत "पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन हेतु पुष्कर-अजमेर स्थित होकरा में 90 हैक्टेयर तथा सूरजकुण्ड में 150 हैक्टेयर में Tourist Complex हेतु बहु-उद्देशीय योजना बनाई जायेगी।" की गई है, जिसका क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधीन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण कोष से किया जा रहा है।

योजना के Phase-1 में होकरा में सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 170 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति के अनुसरण में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रु. 127.21 लाख का कार्यादेश दिया गया है, जिसके तहत मौके पर कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

पुष्कर स्थित सूरजकुण्ड योजना हेतु पहुंच मार्ग हेतु राशि रु 470 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, स्वीकृति के अनुसरण में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रु. 354.79 लाख का कार्यादेश दिया गया है, यह कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा इस पर अब तक लगभग राशि रु. 80.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

रामगढ़ में नरेगा में कराये गये विकास कार्य

149. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2022 में क्या-क्या कार्य करवाये गये तथा किस-किस प्रशासनिक मद से उक्त कार्य पूर्ण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति, गोविंदगढ़ में वर्ष 2022 में कुल 33 कार्य करवाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त कार्यों पर व्यय श्रम एवं सामग्री मद से किया गया है तथा प्रशासनिक मद से कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे

150. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे लंबे समय से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बी.पी.एल. सर्वे भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाता है। इस संबंध में जब भी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होंगे, नवीन बी.पी.एल. सर्वे करवाया जा सकेगा।

थानागाजी में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

151. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में गांव की आबादी के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में आबादी के

(श्री कान्ति प्रसाद)

आधार पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र तत्समय सम्पन्न सर्वे अनुसार खोले गये थे। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त होने पर वर्तमान आबादी/जनसंख्या विस्तार के सर्वे उपरान्त जनसंख्या विस्तार के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा सकेंगे।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग में केन्द्रांश के कारण नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.07.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि आई.सी.डी.एस. सेवा विस्तार हेतु अभी नवीन केन्द्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

इसके उपरान्त भी स्थानीय प्रतिनिधियों/जन-प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 21.01.2022 को पत्र प्रेषित किये गये हैं। इनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

विद्याधर नगर में विकास कार्य

152. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य, किन-किन फर्मों को कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में स्वीकृत किये गये कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए व कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों का मय पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण कार्यों का वार्डवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ में संचालित छात्रावासों को देय सुविधाएं

153. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में कितने छात्रावास कहां-कहां व कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में कितने छात्र-छात्राएं निवास कर रहे हैं तथा उक्त को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? देय सुविधाओं सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण उक्त को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के हित में कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विभाग द्वारा 4 राजकीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'अ' अवलोकनीय है।

(2) उक्त छात्रावासों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं का विवरण निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Hostel Name	Admited Students
1	GOVT. GIRLS COLLEGE LEVEL ST HOSTEL, CHITTORGARH	110
2	GOVT. AMBEDKAR HOSTEL, BASSI	50
3	GOVT. AMBEDKAR HOSTEL, CHITTORGARH	31
4	GOVT. DEVNARAYAN HOSTEL, CHITTORGARH	84

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास, बाल कटिंग, स्कूल ड्रैस, मौजे, तोलिया, जूते एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण व अन्य आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करवाई जाती हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' अवलोकनीय है।

(3) विभाग द्वारा संचालित उक्त छात्रावासों में नियमानुसार मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़ में श्रम कल्याण योजनाओं के लाभार्थी

154. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विभाग की विभिन्न योजनाओं में आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए? योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक विभाग के अधीन संचालित हितकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना से मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना व शुभ शक्ति योजना अंतर्गत वर्तमान में भी विभिन्न आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं? यदि हां, तो लम्बित रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में श्रम विभाग के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त आवेदनों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्ष 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2022 तक मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है। हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना से मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना तथा शुभ शक्ति

(राज्य मंत्री, श्रम)

योजना के अन्तर्गत पात्र श्रमिकों की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् तथा मण्डल में पर्याप्त कोष होने के पश्चात् ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में उक्त दोनों योजनाओं में चरणबद्ध भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के आवेदनों में जिला कलेक्टर द्वारा गठित दलों द्वारा कराये गये सत्यापन में पात्र पाये गये श्रमिकों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर में नवीन महिला पोलीटेक्निक कालेज खोलने की योजना

155. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उप खण्ड मुख्यालय, जहाजपुर तथा कोटड़ी में कोई भी महिला पोलीटेक्निक कालेज नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड मुख्यालय, जहाजपुर तथा कोटड़ी में महिला पोलीटेक्निक कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सह शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में महिलाओं हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। भीलवाड़ा जिले में संचालित 01 राजकीय सह शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय में विगत 03 वर्षों में कुल प्रवेश क्षमता 650 में से महिलाओं हेतु आरक्षित 163 सीटों के विरुद्ध मात्र 09 छात्राओं ने ही प्रवेश लिया है। विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त प्रश्न के भाग सं. 1 के उत्तर के दृष्टिगत उप खण्ड मुख्यालय, जहाजपुर तथा कोटड़ी में महिला पोलीटेक्निक कालेज खोलने का वर्तमान में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में आयुर्वेद व होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थमना

156. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कितने आयुर्वेदिक औषधालय व होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं? उक्त में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं व उनमें से कौन-कौनसे पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत औषधालय के अतिरिक्त अन्य औषधालय खोलने व नवीन तकनीकें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 01 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं 23 आयुर्वेद औषधालयों सहित कुल 24 आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय तथा एक राजकीय होम्योपैथिक औषधालय सुमेरपुर (पाली) संचालित है। आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालयों में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट- ''अ'' पर संलग्न है। होम्योपैथिक औषधालय में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है।

जी हां। आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर-704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों में से 579 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष 125 पद न्यायिक प्रक्रिया के कारण रोके गये हैं जिसके पूर्ण होते ही नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्साधिकारी- 639 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

परिचारक-रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

होम्योपैथिक औषधालय में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा 50 शय्यायुक्त 05 एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय, 77 ब्लाक आयुष चिकित्सालय, 1000 आयुष औषधालयों को हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर में रूप में विकसित किया जा रहा है। 06 एकीकृत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले गये हैं एवं 02 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले गये हैं। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में "सेन्टर आफ एक्सीलेन्स इन पंचकर्म" खोला गया। केकड़ी, अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र का प्रारंभिक संचालन किया गया तथा 07 नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले गये। साथ ही 03 औषधालयों को चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है तथा मेडिटूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु 09 स्थानों पर मेडिटूरिज्म सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि आबंटन किया जा चुका है। 10 आंचल प्रसूता, 11 पंचकर्म एवं 12 जरावस्था केन्द्र खोले गये हैं।

वर्तमान में बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में 72 चिकित्सालयों में पंचकर्म केन्द्र खोलने, नाथद्वारा में 01 एकीकृत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने, 01 आयुर्वेदिक औषधालय एवं 01 आयुष चिकित्सालय खोले जाने, 02 आयुर्वेद औषधालयों को क्रमोन्नत किये जाने तथा आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय, चाकसू-जयपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से "सेन्टर आफ एक्सीलेन्स इन पंचकर्म" खोले जाने की घोषणा की गई है।

जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में आयुष नीति-2021 के मापदण्डों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर अन्य औषधालय खोलने व नवीन तकनीकें बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)